राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सी–2/10,
सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया,
श्री अरविन्दो मार्ग
नई दिल्ली–110018, दिनांक 29, दिसम्बर 1998

एफ० संख्या 28–9/96–एन०सी०टी०ई०—धारा 32 की उप धारा (2) के खंड (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 14 तथा 15 के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद [शिक्षा के आमने-सामने के माध्यम के अतिरिक्त मुक्त दूरस्थ शिक्षा अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य माध्यम सहित पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी०एड०) की उपाधि के लिये कोई पाठ्यक्रम चलाने वाले अथवा उन माध्यमों से इस उपाधि के लिये जिनका ऐसा कोई पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है, संस्थानों की मान्यता की तथा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति की शर्तों का निर्धारण] विनियम, 1996, जिन्हें एफ–28–9/96 एन० सी० टी० ई०, दिनांक 6 फरवरी, 1997 के अंतर्गत जारी किया गया था, आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं :

1. इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद [शिक्षा के आमने-सामने के माध्यम के अतिरिक्त मुक्त दूरस्थ शिक्षा अथवा उसके समक्ष किसी अन्य माध्यम सहित पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी० एड०) की उपाधि के लिये कोई पाठ्यक्रम चलाने वाले अथवा उन माध्यमों से इस उपाधि के लिये जिनका ऐसा कोई पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है, संस्थानों की मान्यता की तथा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति की शर्तों का निर्धारण] (संशोधन) विनियम, 1998 है ।

2. ये विनियम तत्काल से लागू माने जाएंगे ।

3. अध्यापक शिक्षा परिषद [शिक्षा के आमने-सामने के माध्यम के अतिरिक्त मुक्त दूरस्थ शिक्षा अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य माध्यम सहित पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी० एड०) की उपाधि के लिये कोई पाठ्यक्रम चलाने वाले अथवा उन माध्यमों से इस उपाधि के लिये जिनका ऐसा कोई पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है, संस्थानों की मान्यता की तथा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति की शर्तों का निर्धारण] विनियम 1996 के परिशिष्ट ।। तथा उक्त विनियम 1996 के पैरा 9 के उपपैरा (ख) तथा पैरा 10 के उपपैरा (ख) में जिसका उल्लेख है, के स्थान पर संलग्न परिशिष्ट–।। अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित मानक और मानदंड—(पत्राचार सहित शिक्षा-स्नातक दूरस्थ शिक्षा) (माध्यमिक) को रखा जाएगा ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

परिशिष्ट—।।

25.5–98/09/11/1998

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये निर्धारित मानक और मानदंड

पत्राचार सहित दूरस्थ माध्यमिक से शिक्षा स्नातक उपाधि (बी० एड०)

(माध्यमिक)

शिक्षा संस्थानों के लिये मानक और मानदंड पत्राचार सहित दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी० एड०) माध्यमिक

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना

1.1 पत्राचार माध्यम सहित दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी०एड०) कार्यक्रम के लिये दिशानिर्देश—सार संक्षेप

2. मानव संसाधन

2.1 मुख्यालय/मोडल केन्द्रों के लिये कर्मचारी वर्ग ।
2.2 अध्ययन केन्द्रों के लिये कर्मचारी वर्ग ।
2.3 अध्यापक वर्ग ।
2.4 सहायक तकनीकी कर्मचारी वर्ग ।
2.5 प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग एवं सहायक कर्मी ।
2.6 कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप ।

3. ढांचागत आधारभूत साज-सामान

3.1 मुख्यालय/नोडल केन्द्र ।
3.1.1 भूखंड तथा स्थान ।
3.1.2 भवन में स्थान ।
3.1.3 कर्मचारी आवास (स्टाफ क्वार्टर्स) ।
3.2 अध्ययन केन्द्र ।
3.2.1 भवन में स्थान एवं सुविधाएं ।
3.2.2 प्रयोगशालाएं ।
3.2.2.1 सामान्य प्रयोगशालाएं ।
3.2.2.2 पाठ्यक्रम विशेष प्रयोगशालाएं ।
3.2.3 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) ।
3.2.3.1 प्रयोगशालाएं ।
3.2.3.2 खेल और खेल क्रीड़ाएं (स्पोर्ट्स) ।
3.2.4 पुस्तकें और पत्रपत्रिकाएं ।
3.3 व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम केन्द्र ।
3.4 क्षेत्रीय प्रायोगिक शिक्षण अभ्यास केन्द्र ।

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

167

4. शैक्षणिक अवधान

4.1 अवधि ।
4.2 पात्रता ।
4.3 सामग्री ।
4.4 सम्पर्क कार्यक्रम ।
4.5 मूल्यांकन ।
4.6 विद्यार्थी सहायता पद्धति ।
4.7 प्रायोगिक ।
4.8 अंतरंग अध्यापन कार्य (इन्टर्नशिप) ।

5. वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान एवं आरक्षित निधि ।
5.2 लेखा-परीक्षा ।
5.3 लागत खर्च ।
5.3.1 अनावर्त्ती लागत खर्च ।
5.3.2 आवर्त्ती लागत खर्च ।

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित मानक और मानदंड

पत्राचार सहित दूरस्थ माध्यम से शिक्षा-स्नातक उपाधि (बी० एड०) माध्यमिक

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माना है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इस समय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का एक बड़ा ही उपयोगी एवं अनेक दृष्टियों से बड़ा ही उपयुक्त माध्यम है। यह माध्यम विद्यालयों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा उनकी शिक्षा में निरन्तर सहयोग देने का भी एक बड़ा ही उपयोगी साधन है । फिर भी इसे अध्यापक के लिये सेवा पूर्व प्रशिक्षण अथवा अध्यापक शिक्षा में ऐसी कोई डिग्री/प्रमाणपत्र देने के माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर अध्यापक के रूप में नियुक्ति का अधिकार मिल जाए। इतना ही नहीं, जहां कहीं भी इस माध्यम का प्रशिक्षण के रूप में प्रयोग किया जाए, वहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसके लिये जो भी निर्धारित शर्तें और अपेक्षाएं हैं, वे भी पूरी हों ।

इस दस्तावेज के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के लिए पत्राचार माध्यम सहित दूरस्थ माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी०एड०) की उपाधि के लिए मानक और मानदंड प्रस्तुत किये जा रहे हैं । ये मानक उन सभी संस्थानों पर लागू होते हैं जिनमें दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है चाहे वह एक अकेले शिक्षा कार्यक्रम के रूप में प्रदान की जाती हो या फिर अन्य अनेक दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही साथ चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के रूप में की जाती हो। जहां तक अन्य कार्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण का प्रश्न है, भवन सम्बन्धी तथा अन्य भौतिक सुविधाएं अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर उपयोग लाई जा सकती है, बशर्ते कि इससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिये । इन मानकों एवं मानदंडों में उन शर्तों का विवरण देकर यह स्पष्ट किया गया है कि मान्यता, अनुमति तथा निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिये इनकी पूर्ति होना आवश्यक है ।

मानकों का उल्लेख दो वर्गों/स्तरों के अंतर्गत किया गया है यथा (1) अनिवार्य मानकों में वे न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित हैं, मान्यता/अनुमति तथा निर्धारित संख्या से अधिक अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए पात्र होने की दृष्टि से सभी संस्थानों द्वारा जिनकी पूर्ति होना अनिवार्य है और (2) अपेक्षित मानकों का अर्थ उन निर्देशों से है कम से कम उचित अवधि में जिनका लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत् प्रयत्न करते रहना आवश्यक है ।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत साज-सामान शीर्षक के अंतर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कक्ष, पुस्तकालय आदि के लिये जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिए और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है । इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे, हाल आदि उतने आकार के अवश्य हों जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य बिना किसी कठिनाई के सुचारू रूप में सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके ।

1.1 पत्राचार माध्यम सहित दूरस्थ माध्यम से बी०एड० के लिय दिशानिर्देश-सार-संक्षेप ।

— पाठ्यक्रम शीर्षक : दूरस्थ शिक्षा माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के लिये शिक्षा-स्नातक (बी० एड०) ।

— अधिकार क्षेत्र : प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो इस समय उन विद्यालयों में काम कर रहे हैं जो अधिनियम अथवा राज्य/संघ सरकार द्वारा उसके लिये निर्धारित भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र में स्थित है ।

— प्रवेश के लिए योग्यताएं : प्रवेश केवल उन्हीं प्रत्याशियों को दिया जाएगा जो स्नातक हैं और जिनके पास मान्यताप्राप्त विद्यालयों में पूर्णकालिक नियमित अध्यापक के पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है । प्रवेश शिक्षा के क्षत्र में काम करने की अवधि के आधार पर दिया जायेगा । वरीयता माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को दी जायेगी ।

Attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

168

— सीटों की संख्या : सीटों की अधिकतम संख्या कितनी रहे, इसका निर्णय हर बार विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच परामर्श से किया जायेगा । निर्णय करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जायेगा :

— अधिकार क्षेत्र ।

— मानव संसाधन विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं ।

— विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों की आवश्यकाएं ।

— राज्य में अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या ।

— विश्वविद्यालय की आयोजन क्षमता ।

—कार्यक्रम को सम्पादित करने में सहायता देने के लिये पारम्परिक अध्यापक शिक्षा-प्रणाली की क्षमता। केवल उन्हीं शिक्षा संस्थानों को जो बी० एड० कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, अध्ययन केन्द्रों का नाम दिया जा सकेगा ।

एक संस्थान द्वारा केवल एक ही अध्ययन केन्द्र चलाने की अनुमति दी जायेगी । एक केन्द्र में एक बैंच में अध्यापक विद्यार्थी 100 से अधिक नहीं रहेंगे । आदान-प्रदान सत्र में 30 से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे । समूह कार्य का आयोजन दस-दस विद्यार्थियो के छोटे-छोटे समूहों में किया जायेगा ।

— अवधि : प्रवेश की औपचारिकताओं में व्यय होने वाले समय को छोड़कर 24 माह। कार्यक्रम को पूरा करने में अधिकतम पांच वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

— शिक्षा शुल्क : शुल्क विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित सरकार द्वारा अधिकतम उस सीमा तक लिया जायेगा जिससे कार्यक्रम को संचालित करने का खर्च पूरा हो सके ।

— कार्यक्रम संघटक

— दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रमों सामग्री। नमूने के बतौर सामग्री का मूल्यांकन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा ।

— श्रव्य-दृश्य सामग्री (ओडियो-वीडियो पैकेजेज) की व्यवस्था ।

— नियमित एसाइनमेन्ट्स, जिनका निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा-पूरा मूल्यांकन आवश्यक । प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम में निर्धारित दो एसाइनमेन्ट्स रहेंगे जिनमें एक एसाइनमेन्ट अभ्यास कार्य से सम्बन्धित रहेगा ।

— चार सप्ताह का अंतरंग अध्यापन कार्य (इन्टर्नशिप) इस अवधि के दौरान विद्यार्थी-अध्यापकों को उन विद्यालयों में जहां वे सेवारत हैं, कम से कम 40 पाठ पढ़ाने होंगे, जिनमें से 10 पाठ पढ़ाने के समय प्रशिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग के नियमित अध्यापक-प्रशिक्षक पर्यवेक्षण के लिये उपस्थित रहेंगे ।

— कम से कम 300 घंटे का अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रम जिसमें 12 सप्ताह तक प्रति दिन अधिक से अधिक 6 घंटे तक यह कार्यक्रम चलेगा । ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/शिक्षा महाविद्यालयों के योग्यताप्राप्त अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा चलाये जाएंगे । कार्यक्रम के दौरान समूह कार्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिक्रियाओं, अनुभवजन्य ज्ञान और दस-दस विद्यार्थियों अध्यापकों के छोटे-छोटे समूहों में क्षत्र में प्रत्यक्ष रूप में तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों पर जोर दिया जायेगा । किसी भी सम्पर्क कक्षा में एक समूह में 30 से अधिक विद्यार्थी अध्यापक नहीं रहेंगे ।

— मूल्यांकन पूरा-पूरा और व्यापक स्तर पर होगा और निरन्तर चलता रहेगा जिसमें सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में हुए मूल्यांकन में कम से कम 30 प्रतिशत अंक और जोड़ दियें जाएंगे।

— शुल्क उतना ही लिया जायेगा जो कार्यक्रम के संचालन पर होने वाले खर्च के लिये काफी रहे ।

— कर्मचारी वर्ग : 500 विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर 10 अध्यापक 1 अध्यापन केन्द्रों पर 10 विद्यार्थियों के लिये 1 अध्यापक ।

— सम्पर्क कार्यक्रमों के लिए निश्चित अवधि को छोड़कर परीक्षाएं उनके लिये विनिर्दिष्ट दिनों में ही ली जाएंगी । सम्पर्क कार्यक्रमों में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

2. मानव संसाधन

2.1 मुख्यालय/नोडल केन्द्रों के लिए कर्मचारी

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम को चलाने में अनेक प्रकार की गतिविधियां जैसे कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, पाठ्यक्रम विकास, परामर्श, शोध-प्रबन्ध लेखन में मार्गदर्शन विद्यार्थियों के दत्तकार्य (एसाइनमेन्ट्स) की जांच स्वयं पढ़कर सीखने की सामग्री में स्वयं किये गये संशोधन कार्य की निगरानी, सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन केन्द्रों पर कर्मचारी वर्ग में रूचि जागृत करना आदि जैसे कार्य सम्मिलित हैं । मुख्यालय/नोडल केन्द्रों पर कार्यरत संकाय यह सुनिश्चित करेगो कि इन सभी क्षेत्रों में सम्बन्धित विषयों का कार्य उपयुक्त रूप में कार्यान्वित हो । निश्चय ही यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और नोडल केन्द्रों दोनों ही स्थानों पर इस कार्य के लिये अपेक्षित सुविधाएं तथा विशेषज्ञों

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

की सुविधा उपलब्ध रहें । परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय/केन्द्रीय इकाई मात्र एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही कार्य नहीं करेंगे बल्कि साथ ही उन्हें एक सक्रिय संसाधन केन्द्र के रूप में अपना योगदान देना होगा । अतः पूर्णकालिक उच्च योग्यता-प्राप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है । पर्याप्त अंशकालिक संकाय-सदस्यों का होना भी आवश्यक है ।

पांच सौ विद्यार्थियों तक प्रवेश दिये जाने की स्थिति में कार्यक्रम निष्पादन पाठ्यक्रम के रखरखाव व उसमें संशोधन के कार्य के लिये विश्वविद्यालय/संस्थान मुख्यालय के स्तर पर दो प्रोफेसर तथा चार रीडरों सहित संकाय में दस सदस्य रहेंगे । फिर प्रति 500 अतिरिक्त विद्यार्थियों अथवा उस संख्या के किसी अंश के लिये संकाय में एक अतिरिक्त सदस्य और रखा जायेगा । अध्ययन केन्द्र पर प्रति दस अध्यापक-विद्यार्थियो के लिए कम से कम एक अंशकालिक प्रशिक्षक रहेगा । अंतरंग अध्यापन (इन्टर्नशिप), कार्यशालाओं और सम्पर्क कार्यक्रमों के लिये आवश्यकतानुसार अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त अंशकालिक संकाय-सदस्यों का सेवाएं पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर ली जानी चाहिये ।

2.2 अध्ययन केन्द्र के लिये अध्यापक

अध्ययन केन्द्र के लिये अध्यापक अंशकालिक आधार पर रहेंगे ।

2.3 अध्यापक वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या		विशेषज्ञता	योग्यता और अनुभव
	अनिवार्य	अपेक्षित		
प्रधान निदेशक (प्रोफेसर की श्रेणी में)	एक	—	शिक्षा	वि० वि० अ० आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार: शिक्षा विषय में पी०एच०डी० के साथ प्रथम/द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री । शिक्षा संस्थानों में अध्यापन तथा/या शोध कार्य अथवा प्रशासन में पाठ्यचर्या विकास ।
प्रोफेसर	एक	—	शिक्षा	प्रबन्धन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव
शिक्षा विषय में रीडर	चार	—	शिक्षा	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अनुभव तथा/या अतिरिक्त योग्यता ।
शिक्षा विषय में प्राध्यापक (लेक्चरर)	चार	—	शिक्षा	वि० वि० अ० आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ।

टिप्पणी :—अध्यापक वर्ग की नियुक्ति करते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि यथासंभव अधिक से अधिक विधि (मेथड) विषयों में भी नियुक्तियां हों ।

2.4 सहायक तकनीकी कर्मचारी

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यता
सहायक लायब्रेरियन	1	2	पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा ।
तकनीकी सहायक	1	2	आई० टी० आई० प्रमाणपत्र/डिप्लोम । उच्च माध्यमिक परीक्षा का प्रमाणप तथा श्रव्य-दृश्य साधनों में प्रशिक्षण सहित बी०एस०सी०
कम्प्यूटर प्रचालक			कम्प्यूटर शिक्षा विषय में डिप्लोमा ।

attested सहायक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

170

2.5 प्रशासकीय कर्मचारी तथा सहायक कर्मी (हैल्पर)

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यता
कार्यालय सहायक एवं टाइपिस्ट	1	उच्च श्रेणी लिपिक	विश्वविद्यालय—केन्द्रीय/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार
लेखा सहायक एवं क्लर्क	1	निम्न श्रेणी क्लर्क–लेखाकार–1 टाइपिस्ट–1	—वही—
सहायक कर्मी (हैल्पर)	3	5	—वही—
ए० आर०/कार्यालय अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी	1	—	—वही—

2.6 कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप :

विधिवत निर्धारित चयन समिति द्वारा चयन के बाद ही सभी वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित होंगी।

अध्यापक वर्ग का वेतनमान सरकार वि० वि० अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार ही होना चाहिए।

3. ढांचागत आधारभूत साजसामान, स्थान और भवन

3.1 मुख्यालय नोडल केन्द्र :

नोडल केन्द्र के रूप में विश्वविद्यालय/संस्थान ही काम करेंगे। पाठ्यक्रम चलाने का दायित्व उन्हीं को लेना होगा। नोडल केन्द्र को (क) पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, योजना बनाने तथा उसका विकास करने, (ख) परिसर में पाठ्यक्रमों अथवा व्यक्तिगत कार्यक्रमों को आयोजित करने, (ग) अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्र में प्रायोगिक शिक्षण-अध्यावत केन्द्रों (फील्ड प्रैक्टिकल सेन्टर्स) के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करने तथा (घ) सभी कार्यक्रम संघटकों के लिए धन, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करने का कार्य करना होगा।

3.1.1 भूखंड और स्थान :

विभिन्न प्रकार के शैक्षिक तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए पर्याप्त भूखंड लगभग 3000 वर्ग मीटर तक की व्यवस्था करनी होगी। पर्याप्त भूखंड का उपलब्ध होना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं कर्मचारियों की संख्या आदि पर निर्भर करेगा।

अच्छा तो यह रहेगा कि संस्थान ऐसे स्थान पर हो जहां शोरगुल न रहता हो तथा जहां का पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो। वहां परिवहन तथा संचार साधनों की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। पीने का पर्याप्त पानी और नियमित बिजली मिलती रहनी चाहिये। कर्मचारियों, पुरुष तथा महिलाओं दोनों के लिए प्रसाधन (शौचालय) की सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिये।

3.1.2 भवन में स्थान

कक्ष	फर्नीचर	तल क्षेत्रफल
1	2	3
1. प्रधान का कक्ष	कुर्सी–6, टेबल–1, आलमारी–1	20 व० मी०
2. संकाय कक्ष (8)	कुर्सी और मेजें—दोनों एक-एक, कुछ अतिरिक्त कुर्सियां/सीटें, आलमारी—एक-एक	8×20 व० मी०
3. सामग्री उत्पादन केन्द्र*	फाइलिंग कैबिनेट, आलमारियां आवश्यकतानुसार	80 व० मी०
4. भंडार कक्ष सामान्य (1)	—	25 व० मी०
5. उत्पादित सामग्री के भंडारण के लिए भंडार कक्ष (1)	—	50 व० मी०
6. कार्यालय कक्ष (2)	फाइलिंग कैबिनेट, आलमारियां, मेजें, कुर्सियां—आवश्यकतानुसार	2×40 व० मी०

attested [signature] 27/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(7)

1	2	3
7. पुस्तकालय** (1)	10 व्यक्तियों के लिए मेज-कुर्सियां, कैटलाग कैबिनेट, बुक शैल्टज—आवश्यकतानुसार	80 व० मी०
8. कम्प्यूटर कक्ष (1)	कम्प्यूटर मेज—1, कुर्सियां—1, कंसोल के लिए मेज—1	20 व० मी०
9. सम्मेलन कक्ष (1)	लम्बी मेज—1, कुर्सियां—50	60 व० मी०
10. समिति कक्ष (2)	मेजें व कुर्सियां—दोनों 20–20	प्रत्येक 30 व० मी०

*सामग्री उत्पादन केन्द्र—उत्पादन खंड

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वाले संस्थानों के लिए प्रशिक्षण, अध्यापन, शिक्षा ग्रहण करने और मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री तैयार करना आवश्यक होता है और उसे उपयोग में लाने का काम करते हैं । इस कार्यक्रम की सफलता इसी में है कि इसकी गुणवत्ता अच्छे स्तर की हो, यह अधिक मात्रा में हो और भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री तैयार की जाए ।

उपयुक्त तो यही होगा कि इस केन्द्र में लेजर प्रिन्टर के साथ डी० टी० पी०, डॉट मैट्रिक्स, जेरोक्स मशीन, इलाक्ट्रानिक टाइपराइटर जैसे यंत्र-संयंत्र तथा मुद्रण की सुविधा उपलब्ध रहे और औडियो वीडियो कैसेट तैयार करने वाले केन्द्र हो । ओडियो कैसेट तैयार करने वाले केन्द्र में ओडियो टेप रिकार्डिंग मशीनें, उच्च श्रेणी के बहुत से टेप तैयार करने के लिए औडियो कैसेट, साउण्ड डबिंग यंत्र-संयंत्र तथा सम्पादन के काम में आने वाली मशीनों की आवश्यकता रहती है । दृश्य सामग्री तैयार करने के लिए वीडियो उत्पादन केन्द्र भी साथ में हो जिसमें वीडियो कैमरे, प्रकाश तथा ध्वनि संयंत्र, वी० सी० आर०, सम्पादन यंत्र-संयंत्र (उपस्कर) रहें ।

**पुस्तकालय :

नोडल केन्द्र में एक अच्छे सुसज्जित पुस्तकालय का होना अनिवार्य है जिसमें कम से कम 3,000 पुस्तकें रहें। साथ ही शिक्षा व्यवसाय पर कम से कम 10 पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध रहने की व्यवस्था होनी चाहिए । ऐसा प्रावधान भी रहना चाहिए कि प्रति वर्ष कम से कम 200 पुस्तकों की वृद्धि उसमें होती रहे ।

3.1.3 कर्मचारी आवास गृह अपेक्षित :

प्राचार्य/निदेशक के लिए आवासगृह की व्यवस्था परिसर में ही की जानी चाहिए । अध्यापक वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए भी आवासगृहों की व्यवस्था होनी चाहिए । जिन क्षेत्रों में रहने के मकानों की गंभीर समस्या है, वहां सभी कर्मचारियों (अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक वर्ग, दोनों के लिए) आवासगृहों की निम्न मानकों के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है :

मद	संख्या
प्रधान (प्रोफेसर की श्रेणी)	1
प्रोफेसर	1
रीडर	4
प्राध्यापक (लेक्चरर)	4
सहायक तकनीकी कर्मचारी	10
सहायक कर्मी (हेल्पर)	5

3.2 अध्ययन केन्द्र :

अध्ययन केन्द्रों की स्थापना नोडल केन्द्र के भीतर अथवा उसके बाहर की जा सकती है । अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों/महाविद्यालयों या कालेजों में स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु वे विश्वविद्यालय के अधिकार-क्षेत्र के भीतर ही स्थित होने चाहिए । बी० एड० में शिक्षा देने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों को ही, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, अध्ययन केन्द्र माना जाएगा । किन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई भी संस्थान केवल एक ही अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा । विद्यार्थियों को प्रदत्त-कार्य (एसाइनमेन्ट्स) उत्तर सामग्री, ट्यूटोरियलों, परामर्श, समूह चर्चा आयोजित करने तथा व्यक्तिगत अध्ययन आदि के लिए तथा प्रदर्शनार्थ वहां पर्याप्त स्थान और सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए ।

3.2.1 भवन में स्थान तथा अन्य सुविधाएं :

100 विद्यार्थियों वाली इकाई के लिए निम्नलिखित निर्मित स्थान निर्धारित किया गया है । कम से कम इतने स्थान का होना अनिवार्य

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

172

		संख्या	क्षेत्रफल
1.	कक्षा के कमरे	हरएक 2	60 व० मी०
2.	बहुउद्देश्यीय कक्ष	1	100 व० मी०
3.	हाल	1	125 व० मी०
4.	कम्प्यूटर, मनोविज्ञान तथा प्रायोगिक विज्ञान के लिए बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला	1	लगभग 100 व० मी० + भंडारण स्थान के लिए 45 व० मी०
5.	कम से कम 30 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय	1	भंडारण स्थान सहित 50 व० मी०
6.	कार्य अनुभव कक्ष	1	60 व० मी०
7.	प्रसाधन (शौचालय आदि) की सुविधाओं सहित प्राचार्य का कक्ष	1	
8.	स्टाफ रूम	1	25 व० मी०
9.	कार्यालय कक्ष	1	60 व० मी०
10.	भंडार कक्ष	1	25 व० मी०
11.	सामान्य विश्राम (बैठक) कक्ष जिसमें छात्राओं के लिए पर्याप्त स्थान रहे		25 व० मी०
12.	लड़कों, लड़कियों तथा अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए अलग प्रसाधन (शौचालय आदि)		
13.	कम से कम दो स्थानों पर पीने के पानी की सुविधाएं जहां कार्यसमय के दौरान हर समय पानी उपलब्ध रहे		

अपेक्षित

1.	संगोष्ठी (सेमिनार) कक्ष	1	120 विद्यार्थियों के लिए 100 व० मी०
2.	विज्ञान खंड, मनोविज्ञान, शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अलग-अलग प्रयोगशालाएं	हरएक के लिए 1	75 व० मी० साथ में भंडारण के लिए 15 व० मी०
3.	लघु समूह कार्य कक्ष	2	25 व० मी०
4.	एक बहुउद्देश्यीय बड़ा हाल	1	150 व० मी०
5.	विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए अलग-अलग कमरे		हरएक 30 व० मी
6.	अध्यापक वर्ग के लिए अलग कमरे		20 व० मी०
7.	कन्टीन, यदि संभव हो तो सहकारी आधार पर		

अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख मार्गदर्शन के लिये है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य रहें जिनमें बिना किसी कठिनाई के अपेक्षित संख्या में पठन-पाठन का काम सुचारू रूप से सुविधापूर्वक चल सके ।

3.2.2 प्रयोगशालाएं :

प्रयोगशालाएं दो प्रकार की रहेंगी यथा सामान्य प्रयोगशालाएं एवं विषय-विशेष प्रयोगशालाएं । सामान्य प्रयोगशालाएं होंगी : मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला आदि । विषय-विशेष प्रयोगशालाएं होंगी जैसे कि विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, कार्य अनुभव प्रयोगशाला आदि । कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये विषयों के अनुसार इन प्रयोगशालाओं का होना अनिवार्य होगा ।

3.2.2.1 सामान्य प्रयोगशालाएं :

(क) मनोविज्ञान प्रयोगशाला :

दूरस्थ अध्यापक शिक्षा प्रणाली वाले संस्थानों में 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें से 15 वर्ग मीटर क्षेत्र में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षाणों के लिए उपकरण और अन्य उपकरण (यंत्र-संयंत्र) रखने का भंडार कक्ष होना चाहिए । शेष 60 वर्ग मीटर क्षेत्र को विद्यार्थी समूहों में अपना प्रायोगिक

attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
नई दिल्ली—54
173

कार्य करने के काम में ला सकेंगे । अपेक्षा तो यह की जाती है कि अलग से एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हो जिसमें आधुनिक परीक्षणों के लिए उपकरण तथा अन्य सामग्री उपलब्ध रहे ।

(ख) कार्य अनुभव प्रयोगशाला :

जिस क्षेत्र में अनुभव ग्रहण किया जाना अपेक्षित है उसमें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए संस्थान में 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी एक कार्य–अनुभव प्रयोगशाला होनी चाहिए । इस कार्याशाला में उन औजारों और उपकरणों का रहना आवश्यक है, संस्थान द्वारा जिस/जिन क्षेत्र/क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ।

(ग) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

यह प्रयोगशाला एक ऐसे कमरे में रहे जिसका तल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होना चाहिए और जिसमें छोटे छोटे समूहों में विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक या प्रयोगधर्मी कार्य करने के लिये कम्प्यूटर सहित पर्याप्त श्रव्य-दृश्य तथा अनेक प्रकार के जनसंचार के यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था रहे । शिक्षण के काम में आनेवाली सामग्री का उत्पादन करने के लिये संस्थान के कर्मचारी भी इस प्रयोगशाला को उपयोग में ला सकेंगे ।

(घ) पुस्तकालय एवं वाचनालय

हर एक संस्थान में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने एक पुस्तकालय एवं वाचनालय का होना अनिवार्य है । इसमें वाचनालय और पुस्तकों के पढ़ने के लिये काफी जगह रहनी चाहिये । अच्छा तो यह रहे कि पुस्तकें पढ़ने वालों के लिए छोटे छोटे कमरे बने हों ।

3.2.2.2 पाठ्यक्रम विशेष प्रयोगशाला

(क) विज्ञान प्रयोगशाला

एक विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए जो 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी हो जिसके 15 वर्ग मीटर क्षेत्र में यंत्र-संयंत्रों तथा रसायनों के रखने की जगह रहे और शेष 60 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रायोगिक कार्य के लिये रहे । प्रयोगशाला में काम करने की टेबिलें काफी संख्या में होनी चाहिए । जिस समय प्रयोगशाला खाली रहे, विज्ञान की शिक्षा और दूसरे पाठ्यचर्या सम्बन्धी कार्यों के लिये उसका उपयोग हो सकता है ।

(ख) कम्प्यूटर प्रयोगशाला

इस प्रयोगशाला के लिये 50 वर्ग मीटर के आकार का एक कमरा चाहिए जिसमें कम से कम 5 कम्प्यूटर रहने चाहिए । इस सुविधा के रहने पर विद्यार्थियों को विषय के सिद्धान्त पक्ष के साथ साथ कम्प्यूटर शिक्षा में व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करने का लाभ मिल सकेगा । जो कम्प्यूटर में अध्यापक शिक्षा विषय लेना चाहते हैं उनके लिये इसका होना अनिवार्य है ।

3.2.3 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

3.2.3.1 प्रयोगशालाएं

(क) विज्ञान प्रयोगशाला अनिवार्य

अध्ययन केन्द्रों पर विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिये निर्धारित परीक्षण करने के लिये सभी वैज्ञानिक यंत्र-संयंत्रों का कम से कम एक सेट अवश्य रहना चाहिये । रसायन व यंत्र-संयंत्रों को रखने के लिये बने शेल्फों और अलमारियों में सभी आवश्यक रसायन उपलब्ध रहने चाहिये ।

अपेक्षित

कुछ यंत्र-संयंत्रों के कई-कई सेट रखे जा सकते हैं ताकि एक से अधिक अध्यापक-विद्यार्थी एक ही समय में उसी परीक्षण को एक साथ कर सकें । कुछ ऐसे यंत्र-संयंत्र भी रहने चाहिये जिनके उपयोग से नये ढंग के उच्च स्तरीय परीक्षण करना भी संभव हो सके ।

(ख) मनोविज्ञान प्रयोगशाला

शिक्षा विज्ञान से सम्बन्धित साधारण परीक्षणों के लिये यंत्र-संयंत्र

अनिवार्य

बुद्धिपरीक्षण (निष्पादन अमौखिक, मौखिक) प्रवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व का स्वरुप, मनोवृत्ति परीक्षण तथा रुचियां–अभिरुचियां ।

अपेक्षित

उक्त परीक्षण अनेक बार, संवेदी यंत्र (सेंसरी मोटर) परीक्षण ।

(ग) शिक्षा प्रौद्योगिकी

अनिवार्य

ओडियो कैसेट रिकार्डर, स्लाइड और फिल्म दिखाने वाला प्रोजेक्टर (स्लाइड-कम-फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर), 35 मि० मी० स्टिल कैमरा, वी०सी०पी०, खाली ओडियो कैसेट तथा चार्ट और स्लाइडें तैयार करने के लिये आवश्यक कला सामग्री ।

अपेक्षित

पर्सनल कम्प्यूटर (पी०सी०), रेडियो, वी० सी० आर०, एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, वीडियो कैसेट ।

(घ) बहुउद्देश्यीय कार्यशाला तथा कार्य-अनुभव सम्बन्धी क्रियाकलाप

हाथ से काम करने वाले औजारों के दो सेट, मार्दा के काम आने वाले औजारों के दो सेट, अध्ययन केन्द्र में व्यावहारिक कार्य द्वारा अनुभव ग्रहण करने और जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके लिये अनिवार्य यंत्र-संयंत्र ।

Attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल सचिवालय, दिल्ली-54

174

अपेक्षित

हाथ से कम करने वाले औजारों के कई कई सेट।

3.2.3.2 खेलकूद

अपेक्षा यह की जाती है कि सामान्य खेलों और मैदानी खेल-कूदों (स्पोर्टर्स) के लिए साधारण यंत्र-संयंत्र उपलब्ध रहेंगे। इनका उपयोग खेलकूद का अभ्यास करने और अध्यापन के उस कार्य के लिये उपयोग किया जा सकता है जिनमें व्यावहारिक रूप से खेल खिलाना आवश्यक है। साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रों में ऐसा शोध कार्य करने में भी इनका उपयोग हो सकता है जिनमें खेल खिलाकर परिणाम पता लगाना आवश्यक है।

3.2.4 पुस्तकें और पत्रपत्रिकाएं

अनिवार्य

अध्ययन केन्द्र में स्थापित पुस्तकालय में प्रारम्भ में स्वयं पढ़कर सीखनेवाली/मोड्यूल/मोड्यूलर सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकों की अनेकों प्रतियां रहनी चाहिएं। अपेक्षा तो यह की जाती है कि स्वयं पढ़कर सीखने वाली/मोड्यूलर सामग्री की कम से कम सौ-सौ प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि सभी 500 विद्यार्थी उनका लाभ उठा सकें। इनके अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों तथा संदर्भ-ग्रंथों सहित उसमें कम से कम 5000 पुस्तकें रहनी चाहिए। अध्ययन केन्द्र को शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित कम से कम दस राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं को मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अपेक्षित

पाठ्य-पुस्तकों एवं संदर्भ-ग्रंथों सहित कम से कम 7000 पुस्तकें, साथ में प्रति वर्ष कम से कम 100 नई प्रकाशित पुस्तकों की वृद्धि करते रहने का प्रावधान होना चाहिए। केन्द्र को कम से कम 15 व्यावसायिक पत्र पत्रिकाएं मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिये। इन पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के उपलब्ध रहने पर सम्बन्धित कार्यक्रम को नई दिशा देने और एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलेगी।

3.2.5 फर्नीचर

अध्ययन केन्द्र में जितने भी कमरे हैं उन सभी में उचित ढंग का फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। संस्थान के भिन्न भिन्न कमरों के लिये फर्नीचर के मानक नीचे दिये जा रहे हैं:—

मानक

	फर्नीचर का स्वरूप	अनिवार्य	अपेक्षित
1	2	3	4
1.	कक्षाओं के लिए कमरे: दो पहले और दूसरे वर्ष की कक्षाएं एक ही समय एक साथ न रखी जाएं	प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट प्रत्येक कक्षा के लिए 50 सेट	प्रत्येक कक्षा के लिए 75 सेट
	अध्यापक के लिए मेज-कुर्सी तथा ब्लैकबोर्ड	1 सेट (2.5 मी०×1 मी०×1 मी०)—एक	उचित आकार के दो
2.	सेमिनार आदि का कक्ष: विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए टेबिल-कुर्सी	उतनी संख्या में जो 100 विद्यार्थियों और दस अध्यापकों के लिए काफी रहे	इतनी जो अधिक विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए पर्याप्त रहें
3.	मंच सहित हाल: (एक) तथा कुर्सियां	मंच (3×6×0.5 मी०) हाल का आकार इतना हो जो 150 विद्यार्थियों के लिए काफी रहे	इतने बड़े आकार का जिसमें 200 विद्यार्थियों व अध्यापकों के लिए स्थान रहे।
4.	प्रयोगशालाएं: (विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा प्रौद्योगिकी)		
	काम की टेबिल (1.25×0.9×0.1),	प्रत्येक प्रयोगशाला में 5	प्रत्येक प्रयोगशाला में 5
	स्टूल (0.6 ऊंचाई),	प्रत्येक प्रयोगशाला में 25	प्रत्येक प्रयोगशाला में 25
	प्रदर्शन टेबिल तथा कुर्सी,	प्रत्येक प्रयोगशाला में 1	प्रत्येक प्रयोगशाला में 1
	लोहे की आलमारी,	प्रत्येक प्रयोगशाला में 1	प्रत्येक प्रयोगशाला में 2
	स्टोरेज रैक्स	प्रत्येक प्रयोगशाला में 2	प्रत्येक प्रयोगशाला में 4
5.	कार्यशाला		
	कार्य की बेंचें (1.25×2×.75)	बेंच : 4	बेंच : 6
	स्टूल (0.5 ऊंचाई)	स्टूल : 25	स्टूल : 30
	अध्यापक के लिए मेज व कुर्सी	प्रत्येक : 1	: 1
	लोहे की आलमारी	प्रत्येक : 1	: 2
	भंडारण रैक	प्रत्येक : 2	: 4
	ब्लैकबोर्ड (3.5×1)	: 1	: 1

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स दिल्ली-54

1	2	3	4
6.	प्राचार्य/प्रधान निदेशक का कक्ष		
	मेज, लोहे की आलमारी, बुक रैक, फाइलिंग कैबिनेट, टेलिफोन/फैक्स	हर वस्तु एक	हर वस्तु एक
	कुर्सियां	10	15
7.	अध्यापक कक्ष		
	आलमारी/कैबिनेट, मेज तथा कुर्सियां	प्रत्येक अध्यापक के लिए एक	वही जो अच्छे किस्म की सामग्री के लिए निहायत जरूरी है ।
8.	कार्यालय कक्ष		
	कुर्सी तथा मेज, अतिरिक्त कुर्सियां, लोहे की आलमारी, फाइल कैबिनेट, फाइल रैक, सूचना पट्ट, स्टूल	यह साज-सामान पर्याप्त संख्या में हो	पर्याप्त संख्या में हर वस्तु अच्छे किस्म की
9.	भंडार कक्ष		
	लोहे की आलमारी, सामान रखने वाले रैक आदि	हर भंडार कक्ष में तीन	हर भंडार कक्ष में चार अथवा पांच
10.	विद्यार्थी कक्ष		
	कुर्सियां, लम्बी टेबिल आदि	इतनी जो 25 विद्यार्थियों के लिए काफी हो	जो 40 विद्यार्थियों के लिए काफी हो

3.3 व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (पी०सी०पी०) केन्द्र

नोडल/अध्ययन केन्द्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये । इन केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में श्रव्य-दृश्य उपकरणों की व्यवस्था रखनी होगी । इन केन्द्रों के लिये नियुक्त कर्मचारीवर्ग में एक समन्वयक (कोआर्डिनेटर), कम से कम दस अध्यापक तथा आवश्यक सहायक तकनीकी कर्मचारी रहेंगे । कक्ष, कक्षा के कमरों तथा भंडार कक्ष आदि की पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध रहनी चाहिये ।

3.4 क्षेत्र स्थित प्रायोगिक अध्यापन प्रशिक्षण केन्द्र

ये केन्द्र कुछ चुने हुए विद्यालयों में रखे जाते हैं जहां अध्यापक-विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य में अभ्यास कराया जाता है, साथ ही जहां अपने काम में अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ वे अध्यापन कार्य में व्यावहारिक शोध तथा पाठ्यचर्या सम्बन्धी पद्धतियों में नये-नये दृष्टिकोणों का प्रयोग करके काम करते हैं । यह आवश्यक है कि पहले वर्ष के 500 अध्यापक-विद्यार्थियों के लिये और दूसरे वर्ष के 500 अध्यापक विद्यार्थियों के लिये लगभग 50 क्षेत्र स्थित प्रायोगिक अध्यापन प्रशिक्षण (प्रैक्टिकल) केन्द्र रहें ।

4. शैक्षिक अवदान

4.1 अवधि

शिक्षा स्नातक (बी० एड०) पाठ्यक्रम के लिए 24 माह : प्रवेश-परीक्षा, प्रवेश आदि सम्बन्धी औपचारिकताओं के समय के अतिरिक्त ।

4.2 पात्रता :

प्रवेश केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो स्नातक हैं और पूर्ण-कालिक नियमित अध्यापक हैं और जो संस्थान के भूभागीय क्षेत्र में स्थित मान्यताप्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर) में काम कर रहे हैं तथा जिनके पास दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव है । प्रवेश देते समय इस बात पर भी विचार किया जायेगा कि अध्ययन-क्षेत्र तक पहुंचने के उनके पास क्या साधन हैं और मान्यताप्राप्त विद्यालयों में कार्य करने का उनका कितने समय का अनुभव है । माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को वरीयता दी जायेगी ।

संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार सीटें आरक्षित रखी जानी चाहिये ।

4.3 सामग्री

(क) दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री, नमूने के बतौर ऐसी मुद्रित सामग्री का जिसका मूल्यांकन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया हो ।

(ख) हर एक पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र के लिये श्रव्य-दृश्य सामग्री (पैकेजेज) की पर्याप्त व्यवस्था ।

(ग) नियमित एसाइनमेन्ट्स, जिनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा-पूरा मूल्यांकन आवश्यक/पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम में दो एसाइन-मेन्ट्स रहेंगे ।

4.4 सम्पर्क कार्यक्रम

कम से कम 300 घंटे (60×5 या 50×6) का अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रम जिसमें 12 सप्ताह तक प्रति दिन 5 घंटे—अथवा 10 सप्ताह तक प्रति दिन 6 घंटे । इनमें कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक । ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों के योग्यताप्राप्त अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा चलाये जाएंगे । इस अवधि के दौरान विशेषज्ञ यह भी देखेंगे कि अंतरंग अध्यापन कार्य के दौरान विद्यार्थी-अध्यापकों ने अध्यापन कार्य में निपुण होने में किस सीमा तक सफलता हासिल की है । किसी भी सम्पर्क कक्षा में एक दल में 30 से अधिक विद्यार्थी-अध्यापक नहीं रहेंगे ।

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार ...

176

4.5 मूल्यांकन

पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में निर्धारक तथा योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। विश्वविद्यालय/परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन नियमित होता रहे। दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिये लिखित, प्रायोगिक, मौखिक तथा अन्य किसी नवीन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। दत्त कार्य (एसाइनमेन्ट्स), प्रायोगिक तथा अन्य कार्यों के आधार पर संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपेक्षित जानकारी निरन्तर मिलती रहे। सिद्धान्त पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारक (आंतरिक) मूल्यांकन में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अधिक दिये जाएंगे। निर्धारक (आंतरिक) तथा योगात्मक (बाह्य) के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंक अलग अलग रहेंगे। प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन आंतरिक स्तर पर होगा और उसमें ग्रेड दिये जाएंगे।

4.6 विद्यार्थी सहायता पद्धति

कार्यक्रम की गुणवत्ता का स्तर श्रेष्ठ बना रहे यह सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय/परीक्षा लेने वाली संस्थाएं, अध्ययन केन्द्र, व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम केन्द्र, सहकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, इन्हें लागू करने वाले विद्यालय, क्षेत्र स्थित प्रायोगिक अध्यापन-अभ्यास केन्द्र आदि सभी में समन्वय बना रहे और वे पूर्ण तालमेल के साथ काम करें।

4.7 प्रायोगिक

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नियत प्रायोजिक कार्य	अनिवार्य	अपेक्षित
विज्ञान के विद्यार्थी के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुकूल प्रायोगिक कार्य	3	5
अन्य विद्यार्थियों के लिए परियोजनाएं	2	3
अध्यापन की सहायक सामग्री की तैयारी	5	10
मनोविज्ञान परीक्षा, स्कोरिंग, व्याख्या तथा विषयानुकूल अन्य आवश्यक परीक्षण	3	5
श्रव्य-दृश्य उपस्करों का प्रचालन	3 अलग-अलग यंत्र	5 अलग-अलग यंत्र
यूनिट योजना सहित पाठ-योजना तैयार करना	यूनिट योजना सहित 40 2 (हर एक विषय के लिए एक-एक)	नवीन दृष्टि से तैयार किए गए अध्यापन के 50 माडल
कुल पढ़ाये जाने वाले पाठ	40	50
हरएक पद्धति से प्रदर्शन व जांच के लिए पढ़ाये जाने वाले पाठ जिनके लिए विषय अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा दिए जाएंगे	कम से कम 2 हर विषय में एक-एक	4
आदर्श वरिष्ठ अध्यापक-विद्यार्थियों (पीयर्स) द्वारा पढ़ाये गये पाठों का निरीक्षण	10	15
हरएक विषय के लिए परीक्षा वस्तुओं, यूनिट-जांच तथा परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों का निर्माण	20+1+1	30+2+1
केस स्टडी/कार्य-अनुसंधान/अन्य परियोजना	1	2

4.8 अंतरंग अध्यापन कार्य

चार सप्ताह की अवधि का अंतरंग-अध्यापन कार्य जिस अवधि के दौरान अध्यापक प्रशिक्षुओं द्वारा उन विद्यालयों में जहां वे काम कर रहे हैं, कम से कम 40 पाठ—हर विषय में 20 पाठ—पढ़ाने का काम किया जाएगा जिनमें से 10 का पर्यवेक्षण कार्य प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों के विशिष्ट रूप से नामित अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा किया जायेगा।

5. वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान (एण्डाउमेन्ट) तथा आरक्षित निधि

संस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और ऐसा होना चाहिये कि उसकी आर्थिक स्थिति से कार्य चलाना संभव हो। सरकार/स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों/विश्वविद्यालय के संस्थानों को चाहिये कि वे उसे समय-समय पर पर्याप्त आर्थिक सहायता देते रहें। निजी उद्योग से चलाये जाने वाले संस्थानों के पास 5 लाख रुपये की वृत्ति दान निधि और इतनी आरक्षित निधि होनी चाहिये जिससे वे अपने कर्मचारियों को तीन माह का वेतन देने में समर्थ हों।

5.2 लेखा-परीक्षा

संस्थान को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमवार बजट बनाने, खर्च की मंजूरी देने, लेखा रखने और लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं/पद्धतियों को अपनाना चाहिये। वार्षिक लेखा-विवरण की लेखा-परीक्षा विधिवत स्वीकृत चार्टर्ड एकाउंटेन्ट सहित सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये।

attested [signature] 27/4/11
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

177

5.3. लागत खर्च

5.3.1 अनावर्ती लागत खर्च

नोडल केन्द्र

(क) शैक्षिक खण्ड (ख) प्रशासकीय खण्ड तथा (ग) संसाधन खण्ड के लिये पर्याप्त स्थान तथा साज-सामान की फिटिंग सहित संस्थान के लिये उपयुक्त भवन हो तथा साथ ही अध्ययन केन्द्र और व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम केन्द्र (पी० सी० पी०) भी रहें। भवन, पुस्तकें, फर्नीचर, वृत्तिदान निधि आदि पर होने वाले लागत खर्च का पर्याप्त अनुमान 40 लाख रुपये से कम होने का नहीं है।

5.3.2 आवर्ती खर्च

वेतन (नियमित संकाय-सदस्य/कर्मचारी वर्ग	वि० वि० अ० आयोग/सरकार के मानकों के अनुसार
अन्य आवर्ती खर्च	500 विद्यार्थियों के लिये 15 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 3000/- रुपये की दर से।
पुस्तकालय की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं पर होने वाला खर्च	एक लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 200/- रुपये की दर से

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन/परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथा-वश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

सी-2/10 सफदरजंग डवलपमैन्ट एरिया

श्री अरविन्दो मार्ग,

नई दिल्ली,-110016, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998

सं० एफ० 28-4/98-99 एन० सी० टी० ई०—धारा 32 की उपधारा 2 के खंड (च० तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) को धारा 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाये, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक-बी० एल० ई० डी० की मान्यता के लिये मानक और शर्तें विनियम, 1998 है।

2. किस पर लागू रहेंगे

ये विनियम विश्वविद्यालयों मुक्त/खुले विश्वविद्यालयों, उनके संघटकों सहित संस्थानों और उन अन्य सभी निकायों/संस्थाओं पर, उनके नाम तथा कार्यशैली जो भी हो, तथा प्रारम्भिक स्नातक (बी० एल० ई० डी०) पाठ्यक्रमों पर लागू रहेंगे।

3. परिभाषा

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो इन विनियमों में

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73)

(2) "अध्यापक शिक्षा में नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण का अर्थ है अध्यापक शिक्षा के लिय कोई ऐसा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण मान्यता प्रदान करने के समय संस्थान द्वारा जिसकी व्यवस्था नहीं थी किन्तु मान्यता-प्राप्त संस्थान द्वारा जिनके लिये व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(3) क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है धारा 20 के अंतर्गत/स्थापित समिति। अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 में निहित है।

(4) अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 में निहित है।

4. मान्यता के लिये आवेदन पत्र

(1) प्रत्येक संस्थान को, जिसने प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० एल० ई० डी०) में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की है जिसका यह व्यवस्था करने का विचार है, मान्यता के लिये अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय समिति से प्राप्त फार्म में आवेदनपत्र देना होगा।

(2) आवेदनपत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा। जिसके भूभागीय अधिकार-क्षेत्र में सम्बन्धित संस्थान स्थित है।

5. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र

(1) यदि कहीं कोई मान्यता-प्राप्त संस्थान प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० एल० ई० डी०) के लिये कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को क्षेत्रीय समिति से प्राप्त फार्म में अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा।

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

178

(2) यदि कहीं कोई मान्यता-प्राप्त संस्थान ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए उसमें प्रवेश के लिए स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहता है तो उस मान्यता-प्राप्त संस्थान को अपना आवेदनपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(3) आवेदनपत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जिसके भूभागीय अधिकार क्षेत्र में वह संस्थान स्थित है ।

6. आवेदनपत्र भेजने की विधि

(क) मान्यता के लिए आवेदनपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ख) मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० एल०ईडी) के लिए नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने या प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ग) संस्थानों की मान्यता अथवा नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने अथवा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवेदनपत्र तीन प्रतियों में भेजना होगा ।

(घ) संस्थानों की मान्यता अथवा नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने अथवा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए जिसमें अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले उपलब्ध थी, आवेदनपत्र सीधे सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजा जाएगा ।

(ङ) ऐसे प्रत्येक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है किन्तु जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले कार्यरत नहीं था, मान्यता के लिए अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त "अनापति प्रमाण-पत्र" के साथ भेजना होगा जिसमें वह संस्थान स्थित है ।

(च) मान्यताप्राप्त संस्थानों को उपर्युक्त विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने की अनुमति के लिए अपना आवेदनपत्र उस सरकार या संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त "अनापति प्रमाणपत्र" के साथ भेजने होंगे जिसमें वह संस्थान स्थित है ।

7. शुल्क

संस्थान को मान्यता अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति के लिए आवेदनपत्र के साथ परिषद द्वारा समय समय पर इस तरह के आवेदन के लिए निर्दिष्ट शुल्क भेजना होगा और यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजना होगा जिसे "क्षेत्रीय समिति अध्यापक शिक्षा परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के स्थान पर अदायगी के लिए बनवाया गया हो ।

8. आवेदनपत्र भेजने की समयसीमा

(क) प्रत्येक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहता है अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जो आगामी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार महीने पहले वहां पहुंच जाना चाहिए ।

(ख) मान्यता-प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र सम्बधित क्षेत्रीय समिति को भेजा जाना चाहिए जो उनके यहां आगामी शिक्षा-सत्र प्रारम्भ होने की निश्चित तारीख से कम कम कम चार महीने पहले पहुंच जाना चाहिए ।

9. मान्यता की शर्तें

मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनपत्र में दिए गए तथ्यों की जांच-परख एवं सत्यापन के आधार पर, और अथवा जहां भी आवश्यक समझा जाए, संस्थान का निरीक्षण करके अथवा जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात की संतुष्टि करनी होगी कि संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यता-प्राप्त कर्मचारीवर्ग, प्रयोगशाला तथा ऐसे अन्य सभी प्रबन्ध हैं जो प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०ईडी०) के उस पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए जिसे वह चला रहा है या जिसे वह प्रारम्भ करना चाहता है, संस्थान के उचित रूप से कार्य करते रहने के लिए आवश्यक है ।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मान्यताप्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र करने वाले प्रत्येक संस्थान द्वारा परिशिष्ट--(1) में निहित मानकों और मानदण्डों की पूर्ति की गई है ।

10. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मान्यता-प्राप्त संस्थानों को अनुमति प्रदान करने की शर्तें

(क) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०ईडी०) का नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मान्यता-प्राप्त संस्थान के आवेदनपत्र में दिए गए तथ्यों की जांच-परख और सत्यापन के आधार पर, और/अथवा जहां भी आवश्यक समझा जाए,

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

179

मान्यताप्राप्त संस्थान का निरीक्षण करके अथवा जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि संस्थान के पास प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (पी०एल०ईडी०) पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को चलाने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यताप्राप्त कर्मचारीवर्ग, प्रयोगशाला तथा अन्य सभी प्रबन्ध हैं।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिए आवेदन देने वाले प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा परिशिष्ट (1) में निहित मानकों और मानदण्डों की पूर्ति कर ली गई है।

सुरेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० एल० एड०)
के लिये
मानक और मानदण्ड
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली
1998

परिशिष्ट–1

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास 3 यह सांविधिक प्राधिकार है कि विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों पर तैयारी सहित अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों और मानदण्डों के विनियमन एवं उनके स्तर को बनाये रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में वह जो भी उचित समझे, कदम उठाए। वस्तुत: अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिये अध्यापकों एवं अध्यापक प्रशिक्षकों को तैयार करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदण्ड निर्धारित करना अनेक कारणों से अनिवार्य हो गया है। ये मानक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले वर्तमान संस्थानों के लिये इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे कि इनके आधार पर वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों से अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना कर सकेंगे और यदि उनमें कोई खामियां या कमियां हैं तो तदनुसार उनमें सुधार करने की आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। इन मानकों से अध्यापक शिक्षा के लिये नये संस्थानों, कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

यहां प्रस्तुत मानकों एवं मानदण्डों में उन 'शर्तों' को स्पष्ट किया गया है मान्यता, अनुमति तथा प्रवेश के लिये अतिरिक्त सीटों की अनुमति के लिये जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है।

इस दस्तावेज में आमने-सामने के माध्यम से चार वर्ष का पूर्णकालिक प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० ई० एल० ई० डी०) कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक और मानदण्डों को स्पष्ट किया गया है।

आशा है कि इस दस्तावेज का अध्यापक शिक्षा के योजनाकारों तथा प्रशासकों और सरकार, अध्यापक शिक्षा से जुड़े स्वायत्त एवं निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा स्नातक (बी० एल० एड०) के कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने, उनका आयोजन और उनकी मान्यता के लिये उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन मानकों का प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की व्यावसायिक मान्यता के लिये उपयोग कर सकेगी। इन मानकों का उपयोग वर्तमान कार्यक्रमों और संस्थानों के स्तर में सुधार करने की दृष्टि से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये सरकार, स्वायत्त तथा निजी प्रबन्धकों को सलाह देने के लिये भी किया जा सकेगा।

1. पाठ्यक्रम की अवधि

(क) समेकित प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा डिग्री कार्यक्रम आगे से जिसे प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० एल० एड०) कहा जायेगा, अध्ययन के चौथे वर्ष/अन्तिम वर्ष में अन्तरंग अध्यापन (इन्टर्नशिप) की अवधि सहित, जो कम से कम 16 कार्य सप्ताहों की होगी, कम से कम चार शैक्षिक वर्ष की अवधि का रहेगा।

(ख) इस कार्यक्रम में जिन प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जायेगा उन्हें प्रवेश के वर्ष से छ: वर्ष के भीतर अपनी अन्तिम वर्ष की परीक्षा को पूरा कर लेना होगा।

2. प्रवेश के मानदण्ड

(क) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा में चार वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों को केन्द्र द्वारा निर्धारित एक प्रवेश परीक्षा (सी० ई० टी०) में प्रत्याशी की क्षमता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, जिसकी रूपरेखा विशेष रूप से तैयार की गई है, उत्तीर्ण होना होगा।

(ख) प्रवेश के लिए योग्यताएं

(1) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक में प्रवेश के लिये कम से कम 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिस में प्राप्त अंकों का योग कुल मिलाकर कम से कम 50% रहा हो।

सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिये।

(2) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी ने विश्वविद्यालय के कैलेण्डर के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के दिन या उसके पहले अपनी आयु के 17 वर्ष अवश्य पूरे कर लिये हों।

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

180

3. प्रवेश के लिये संख्या और संस्थान से निर्गमन

(क) एक इकाई में एक कक्षा में 35 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) संस्थानों द्वारा पहले वर्ष के अन्त में केवल एक बार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमति लेकर विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति दी जायेगी किन्तु शर्त यह है कि प्रवेश के लिये अधिकतम जितने विद्यार्थियों की अनुमति है, संख्या उससे अधिक नहीं हो जानी चाहिये।

4. पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की अवधि

मान्यता के लिये आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। अध्यापन कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में हरेक संस्थान को क्षेत्र में जाने के दौरे तथा विद्यालय स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा में एक नवीन दृष्टि से क्रियाकलाप आयोजित करने वाले केन्द्रों में भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। संस्थानों को पाठ्यक्रमों की निम्नलिखित निर्धारित योजना के अनुसार शिक्षा देने का प्रबन्ध करना होगा।

(क) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०एड०) स्नातक पाठ्यक्रम योजना

बी० एल०एड० कार्यक्रम की रूपरेखा इस ढंग से बनी होनी चाहिये कि उसके अध्ययन के माध्यम से विषय ज्ञान, मानव के विकास, शिक्षण विधि तथा सम्प्रेषण कौशल इन सभी का समेकित मिला जुला ज्ञान प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत सिद्धान्त विषय में दोनों अनिवार्य एवं वैकल्पिक पाठ्यक्रमों, अनिवार्य शिक्षण अभ्यास (प्रैक्टिकम) पाठ्यक्रम तथा अनिवार्य रूप में किसी विद्यालय में अन्तरंग अध्यापन (इन्टर्नशिप) का व्यापक अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिये। सिद्धान्त तथा प्रायोगिक शिक्षण-अभ्यास पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का रहना अनिवार्य है:—

सिद्धान्त पाठ्यक्रम

—विषय प्रवेश (फाउन्डेशन) पाठ्यक्रम
—मुख्य पाठ्यक्रम
—शिक्षण विधि (पेडागोगी) पाठ्यक्रम
—सरल उदारीकृत पाठ्यक्रम
—शिक्षा में अन्य विकल्प

प्रायोगिक

—रंगमंच कलाएं एवं ललित कलाएं, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा
—सामूहिक (पार्टीसिपेटरी) कार्य
—बाल प्रवृति पर्यवेक्षण
—आत्म विकास कार्यशालाएं
—विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम
—विद्यालय में अन्तरंग अध्यापन कार्य (इन्टर्नशिप)
—परियोजना कार्य
—ट्यूटोरियल्स एवं कोलोकिया
—शैक्षिक ज्ञान संवर्धन क्रियाकलाप

(ख) तालिका 1 क तथा 1 ख में जो सुझाव दिये गये हैं, सिद्धान्त एवं प्रायोगिक शिक्षण-अभ्यास पाठ्यक्रमों (प्रैक्टिकम) का वर्गीकरण ज्ञान के क्षेत्रों के आधार पर किया जाये।

तालिका: (क) 1 व्यावसायिक शिक्षा के लिये विषय-प्रवेश का आधार

अध्ययन का क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०ई०एल०ई०डी०) पाठ्यक्रम
विषय के ज्ञान का आधार	मुख्य पाठ्यक्रम सी० 1.1 भाषा की प्रकृति सी० 1.2 मुख्य गणित सी० 1.3 मुख्य प्राकृतिक विज्ञान सी० 1.4 मुख्य सामाजिक विज्ञान दो-स्तरीय उदारीकृत विषय विशेष वैकल्पिक पाठ्यक्रम 02 एक्स और 03 एक्स विषय प्रवेश पाठ्यक्रम (बहु-विषयक) एफ० 1.2 समकालीन भारत
शिक्षा	विषय, प्रवेश पाठ्यक्रम एफ० 3.6 शिक्षा के मूल सिद्धान्त एफ० 3.7 विद्यालय नियोजन तथा प्रबन्धन एफ० 4.8 पाठ्यचर्या अध्ययन एफ० 4.9 लिंग एवं विद्यालय शिक्षा

attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार प्रकाशन विभाग
... दिल्ली—54

181

अध्ययन का क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०ई०एस०ई०डी०) पाठ्यक्रम
	विषय-प्रवेश पाठ्यक्रम
बाल अध्ययन	एफ 1.1 बाल विकास
	एफ 2.3 अक्षर-ज्ञान (कोगनीशन) एवं पढ़ाई
	एफ० 2.4 भाषा ज्ञान
तालिका 1 (ख)	व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रायोगिक पाठ्यक्रम
बाल अध्ययन	शिक्षण अभ्यास (प्रक्टिकम) पाठ्यक्रम
	पी०आर० 1.2 (क) विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम
	(ख) शिल्प
	पी० आर० 2.3 बाल-प्रवृत्ति पर्यवेक्षण
	पी० 2.1 पाठ्यचर्या से भाषाज्ञान (लेन्गुएज एक्रोस दि करीकुलम)
	पी० 3.2 बुद्धि (लोजिको) गणित शिक्षा
	पी० 3.3 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा विधि (पेडागगी)
	कोई एक वकल्पिक शिक्षण विधि (पेडागामी) पाठ्यक्रम
	ओ०पी० 4.1 भाषा
	ओ०पी० 4.2 गणित
	ओ०पी० 4.3 प्राकृशिक विज्ञान
	ओ०पी० 4.4 सामाजिक विज्ञान
	अथवा
	शिक्षा से सम्वधित कोई एक वैकल्पिक उदारीकृत पाठ्यक्रम
	ओ० एल० 4.1 कम्प्यूटर शिक्षा
	ओ० एल० 4.2 विशेष शिक्षा
	विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम
	एस०सी० 3.1 कक्षा में प्रबन्धन
	एस०सी० 3.2 सामग्री विकास तथा मूल्यांकन
अध्यापकों का विकास एवं कौशल प्रशिक्षण	विषय-प्रवेश पाठ्यक्रम
	एफ० 2.5 मानव सम्बन्ध एवं सम्प्रेषण
	प्रायोगिक शिक्षण-अभ्यास पाठ्यक्रम
	पी०आर० 1.1 रंगमंच
	पी०आर० 1.2 शिल्प
	पी०आर० 2.4 आत्म-विकास
	पी०आर० 2.5 शारीरिक शिक्षा
	कोलोकिया/ट्यूटोरियल्स
	शैक्षिक ज्ञान समृद्धि
	क्षेत्र–आधारित परियोजनाएं/एसाइनमेन्ट्स
विद्यालय अनुभव	एस०आई० विद्यालय में शिक्षण अभ्यास (इन्टर्नशिप) परियोजना

टिप्पणी : मार्गदर्शी (सजेस्टिव)/उदाहरणत: विवरण परिशिष्ट–: (ए) में दिये गये हैं।

(ग) विद्यार्थी सम्पर्क के घंटे

वर्षवार विद्यार्थी सम्पर्क के कम से कम घंटों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली–54

182

तालिका 2 : वर्षवार विद्यार्थी सम्पर्क कार्यक्रम के कम से कम घंटे

अध्ययन का वर्ष	प्रति दिन विद्यार्थी सम्पर्क कार्यक्रम के घंटे	प्रति सप्ताह विद्यार्थी सम्पर्क कार्यक्रम के घंटे	सम्पर्क कार्यक्रम के कुल घंटे
I	6.7	33.5	837.5
II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
योग	23.2	116.0	2900.0

विद्यार्थी सम्पर्क के घंटों को सम्पर्क पीरियड पढ़ा जाए। एक पीरियड आमतौर पर 50 मिनट का होता है। औषत विद्यार्थी सम्पर्क घंटों की गणना प्रति सप्ताह पांच कार्य-दिवस मानकर की गई है।

कुल सम्पर्क घंटों की गणना यह मान कर की गई है कि प्रति वर्ष कार्य के 25 सप्ताह रहेंगे।

5.0 प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी० एल० एड०) कार्यक्रम का संचालन

संस्थानों को व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्नलिखित विशेष मांगों को पूरा करना होगा :

(क) संस्थानों के अन्य क्रियाकलापों में शैक्षिक, साथ ही सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करना होगा और उन्हें कम्पयूटर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने दिया जायेगा।

(ख) संस्थानों के भीतर विभिन्न विषयों में विभिन्न विभागों के बीच पारस्परिक शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना होगा।

(ग) विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए संगोष्ठियों, भाषणों तथा सामूहिक चर्चा-परिचर्चाएं आयोजित कर शिक्षा पर सम्बाद की शुरुआत करनी होगी।

(घ) कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष क्रियाकलापों के संचालन के लिए (अर्थात् रंगमंच, शिल्प, आत्मविकास कार्य शालाएं) विश्वविद्यालय/संस्थान के भीतर/बाहर उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों से सहायता अवश्य ही लेनी होगी।

(ङ) संस्थान को कम से कम छ: प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के समूहों के बीच विचारों और क्रियाकलापों को प्रारम्भ करना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि उनका क्रम निरन्तर चलता रहे। ये विद्यालय अध्ययन कार्यक्रम की समूची अवधि में सभी प्रायोगिक क्रिया कलापों एवं उनसे सम्बन्धित कार्य के लिए मूल सम्पर्क बिन्दु बने रहेंगे।

(च) संस्थान को विद्यालयों में स्नातकों की नियुक्ति/सेवाओं के उपयोग की दिशा में भी कदम उठाना होगा।

6. परीक्षा, मानदंड और परीक्षकों की योग्यताएं

सम्बंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त अध्यादेशों में निम्नलिखित को यथास्थान सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए जो अपने सांविधिक निकायों द्वारा जब भी उचित समझा जाए, साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से इनकी समीक्षा के लिए प्रावधान बनाएंगे।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष के अन्त में परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(ख) प्रायोगिक शिक्षण-अभ्यास (प्रैक्टिकल) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन स्वयं आन्तरिक स्तर पर ही हो सकता है।

(ग) सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित एक मोडरेशन बोर्ड द्वारा सभी प्रायोगिक पाठ्यक्रमों तथा इटर्नशिप कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संस्थानों के बीच गुणवत्ता एवं समान स्तर से सम्बन्धित प्रश्नों पर निगरानी रखने का काम किया जायेगा।

(घ) आंतरिक स्तर पर हुए मूल्यांकन के आधार पर सिद्धान्त विषय के सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 30 प्रतिशत की और प्रायोगिक शिक्षण अभ्यास विषय में प्राप्त हुए अंकों में 100 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी।

(ङ) प्रति वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में कम से कम 40 प्रतिशत, आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 45 प्रतिशत, प्रायोगिक शिक्षण अभ्यास में 50 प्रतिशत और सब मिलाकर योग में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) केवल उन्हीं प्रत्याशियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी, जो आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे।

attested 27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

183

(छ) यदि किसी प्रत्याशी ने कुल मिलाकर योग में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किये हैं किन्तु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है और उस विषय में यदि उसके अंक 25 प्रतिशत से कम नहीं है, तो उसे अस्थायी रूप में आगामी वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जायेगी; किन्तु शर्त यह है कि उसे (पुरुष हो या महिला) विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क की अदायगी करके आयोजित होने वाली सहायक (कम्पार्टमेन्टल) परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा । यदि प्रत्याशी उस सहायक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है या वह (पुरुष या महिला) सहायक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती तो उसे वापस पिछले वर्ष में भेज दिया जायेगा ।

(ज) परीक्षा के किसी भी विषय का परीक्षक होने के लिए परीक्षक (पुरुष या महिला जो भी) के पास अपने अध्ययन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अध्यापन का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए ।

7. कर्मचारी वर्ग, उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) तथा प्रशिक्षण

(क) शैक्षिक उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

— पूर्णकालिक संकाय-सदस्यों की संख्या — 14

— संकाय-सदस्य-विद्यार्थी अनुपात — 1:10

— विद्यार्थियों की संख्या —
$35 \times 4 = 140$

— अंशकालिक संकाय उदस्यों की संख्या — 3

(ख) संस्थानों द्वारा संकाय सदस्यों को शोधकार्य सहित व्यावसायिक अभ्यास सम्बन्धी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(ग) संस्थानों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम में संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(घ) प्रशासकीय कर्मचारीवर्ग

— पाठ्यचर्या प्रयोगशाला सेवक : 1

— संसाधन प्रयोगशाला सेवक : 1

— स्टेनो टाइपिस्ट : 2

(ङ) कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जायेगा । सभी पदों के लिए चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जायेगा । अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि० वि० अ० आयोग सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रहेगा ।

(च) संकाय सदस्यों का चयन

शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री* अथवा शिक्षा विषय में शोधकार्य में डिग्री* अथवा शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसिद्ध व्यक्तिगत अनुभव/शोधकार्य* के साथ प्राथमिक अध्यापक शिक्षा विभाग के संकाय-सदस्यों के पास भिन्न-भिन्न विषयों में योग्यताएं (तालिका 3 के विवरण के अनुसार) होनी चाहिये ।

तालिका 3 : प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की संख्या, योग्यताएं, अनुभव आदि का विवरण

विशेष योग्यता	पदों की संख्या	अनिवार्य योग्यताएं	विशेष रुचि तथा प्रदर्शित अनुभव	प्राथमिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित विषय
1	2	3	4	5
मनोविज्ञान/बाल विकास	एक	एम० ए० मनोविज्ञान/प्रायोगिक मनोविज्ञान (बाल विकास में विशेष योग्यता)/एम० एस सी० बाल विकास तथा शिक्षा विषय में शोध कार्य में डिग्री	बच्चों के साथ कार्य/बच्चे किस तरह सीखते हैं/काम करते हैं, इन प्रश्नों पर बच्चों के साथ रहकर किया गया कार्य	बाल विकास, अक्षर ज्ञान (कोगनीशन) तथा शिक्षा ग्रहण करना सम्बन्धित शिक्षण-अभ्यास
	तथा	एम० ए० मनोविज्ञान/प्रायोगिक मनोविज्ञान/(क्लिनिकल मनोविज्ञान/काउंसलिंग में विशेष योग्यता	क्लिनिकल मनोविज्ञान काउंसिलिंग	मानव सम्बन्ध/सम्प्रेषण

*प्राथमिक शिक्षा में वरीयता ।

Attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

184

1	2	3	4	5
	एक	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एस० डब्ल्यू०) (व्यक्तित्व विकास तथा काउंसलिंग में विशेष योग्यता तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि/शिक्षा में शोध कार्य		सम्बन्धित शिक्षा अभ्यास
गणित	एक	एम० ए० गणित/तथा एम० एस० सी० गणित तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	रचनात्मक अध्यापन पद्धति	मुख्य गणित बुद्धि (लोजिको) गणित शिक्षा विद्यालय सम्पर्क गणित शिक्षण विधि (पेडागामी)
विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान	एक	एम० एस० सी० जीव विज्ञान तथा शिक्षा विषय में व्यावसायिक स्नाकतकोत्तर डिग्री	शिक्षा ग्रहण मनोविज्ञान पाठ्यक्रम विषय, विज्ञान शिक्षा	मुख्य प्राकृतिक विज्ञान
	तथा			पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा विधि (पेडागागी) विद्यालय सम्पर्क
	एक	एम० एस० सी० भौतिक-विज्ञान तथा शिक्षा विषय में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	—वही—	प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षण विधि (पेडागागी)
सामाजिक विज्ञान	एक	एम० ए० राजनीति शास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनैतिक अर्थशास्त्र में विशेष योग्यता) एम० ए० समाजशास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनीति एवं अर्थ-व्यवस्था में विशेष	सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा समकालीन भारतीय समस्याओं का बहु-आयामी परिप्रेक्ष्य का समेकित अध्ययन	मुख्य सामाजिक विज्ञान समकालीन भारतवर्ष
	तथा	योग्यता (एम० ए० इतिहास) सामाजिक शास्त्र दर्शन में विशेष योग्यता तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य		
	एक	एम० ए० सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	सामाजिक विज्ञानों में शिक्षण विधि सम्बन्धी अध्ययन, रचनात्मक अध्यापन विधि	पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण-विधि
		एम० ए० सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री		समाजशास्त्र की शिक्षण विधि

attested [signature] 21/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

185

1	2	3	4	5
भाषा शास्त्र (लिंगुस्टिक्स)	एक	एम० ए० भाषा शास्त्र/ एम० ए० अंग्रेजी/एम० ए० हिन्दी - भाषा शास्त्र में डिप्लोमा सहित तथा बच्चों में भाषा विकास विषय पर शोधकार्य/शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा पर शोधकार्य	बच्चों में भाषा विकास, रचनात्मक भाषा अध्यापन विधि	भाषा की प्रकृति भाषा ज्ञान
भाषा : हिन्दी अथवा अंग्रेजी	एक	अंग्रेजी/हिन्दी में एम० ए० साथ ही शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर उपाधि	पाठ्यचर्या सामग्री का विकास; नवीन विधियों से भाषा-शिक्षण; भाषा की अध्यापन-विधि	पाठ्यचर्या के साथ भाषा सम्बन्धित प्रायोगिक अभ्यास-शिक्षण भाषा की अध्यापन विधि
शिक्षा	एक	दर्शनशास्त्र में एम० ए० तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि/शिक्षा में व्यावसायिक उपाधि	शिक्षा-सिद्धान्त दर्शन तथा नीति	शिक्षा, बाल विकास तथा पाठ्यचर्या अध्ययन के मूल तत्व विद्यालय योजना तथा प्रबन्धन एवं
	तथा एक	सामाजिक विज्ञान में एम० ए०/विज्ञान में एम० एस० सी० तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि	पाठ्यचर्या विषयक, प्रश्न एवं समस्याएं, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य	अन्य पाठ्यक्रमों की प्रासंगिक इकाइयों का पाठ्यचर्या अध्ययन
उदार विकल्प (कम से कम 4)	तीन*	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य	लिये गये उदार विकल्प
अंशकालिक संकाय	तीन**	सम्बन्धित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन-आधारित अनुभव		
रंगमंच		शिक्षा में रंगमंच	आत्म-विकास तथा शिक्षा में रंगमंच के उपयोग की क्षमता	रंगमंच तथा ललित कलाएं
शिल्प		शिल्प-निर्माण/प्रशिक्षण	शिल्प-निर्माण में कुशलता तथा दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता	आत्म-विकास कार्यशालाएं
आत्म विकास		क्लिनिकल/काउंसलिंग प्रैक्टिस/सामूहिक प्रशिक्षण	व्यक्तिगत विकास/काउंसलिंग में कार्यशालाएं संचालित करने की क्षमता	आत्म-विकास कार्यशालाएं
शारीरिक शिक्षा		शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास	शिक्षा के साथ शारीरिक क्रीड़ाओं के विभिन्न रूपों का समेकन करने की क्षमता	शारीरिक शिक्षा

*इनकी सेवाएं किसी संस्थान के सहयोग देने वाले विभागों से ली जाएंगी ।

**एक पूर्णकालिक संकाय के बराबर [ये विशेष योग्यता-प्राप्त स्रोत पुरुष (रिसोर्स परसन) होंगे जो संस्थान के बाहर रहकर अपनी सेवाएं देंगे] ।

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

186

8. अन्य सुविधाएं

संस्थान को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी :—

भौतिक साज-सामान की सुविधाएं

प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०एड०) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान में जिस भौतिक साज-सामान की व्यवस्था करनी होगी उसका वर्गीकरण (1) शैक्षिक क्षेत्र, (2) प्रशासकीय क्षेत्र तथा (3) सुख—सुविधाओं के अतर्गत हो सकता है।

— शैक्षिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, संसाधन प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, कार्यशाला, प्रेक्षा गृह (ऑडीटोरियम), कम्प्यूटर कक्ष तथा पुस्तकालय रहेंगे।

— प्रशासकीय क्षेत्र में प्राचार्य कक्ष, संकाय के लिए कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, अभिलेखागार (रिकार्ड रूम), कम्प्यूटर कक्ष तथा स्वागत कक्ष रहेंगे।

— सुख-सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए सामान्य बैठक कक्ष, कर्मचारी कक्ष (स्टाफ रूम), हाल, खेलकूद/मनोरंजन के केन्द्र, जलपान गृह, सहकारी भंडार, औषधालय, तथा सुरक्षा सेवाओं के लिए स्थान रहेगा।

9. स्थान के मानक

जहां अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था किसी ऐसे विभाग/महाविद्यालय में की गई है जो किसी विश्वविद्यालय/संस्थान का ही जहां अनेक संकाय और अध्ययन के विभाग हैं, एक अभिन्न अंग है, वहां केन्द्र में उपलब्ध सभी सुविधाओं/सुख-सुविधाओं का उपयोग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग मिलकर करेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का प्रश्न है, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा ताकि प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०ई० एल०ई०डी०) पाठ्यक्रम के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्वयं विभाग का अलग से एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाना चाहिए जिससे प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०एड०) के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रायोगिक शिक्षण-अभ्यास कार्य (पैडागोगी-बेस्ड प्रैक्टिकम) तथा विद्यालय सपर्क कार्यक्रम के लिए आवश्यक अन्य उपस्करों के साथ ही संसाधन प्रयोगशाला में पढ़ने की पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध रहनी चाहिए। सामान्य सुविधा संबंधी स्थानों जैसे कि प्रेक्षागृह (ऑडीटोरियम), हॉल, सम्मेलन कक्ष आदि का उपयोग अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा सकता है।

10. प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०एड०) के विद्यार्थियों के लिए ढांचागत विशेष साज-सामान

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला—एक

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होगी, जहां प्रत्यक्ष रूप में व्यक्तिगत अनुभव ग्रहण करने के कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान रहेगा। इस प्रयोगशाला का उपयोग पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों जैसे कि शिल्प, मुख्य गणित, मुख्य विज्ञान तथा आंशिक रूप से मुख्य सामाजिक विज्ञान तथा तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में बुद्धि गणित शिक्षा (लोजिको-मैथेमैटिक्स एज्यूकेशन), पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण-पद्धति तथा सामग्री-विकास के प्रायोगिक शिक्षण अभ्यास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

प्रयोगशाला में विज्ञान तथा गणित में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा साज-सामान जैसे कि यंत्र-सयंत्र (एपरेट्स रसायन, किट, नक्शे, ग्लोब, उपकरण तथा तार उपलब्ध रहने चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में काम करने के प्रयोग में आने वाली टेबल भी रहनी चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ताकि तलक्षेत्र में काम करने की जगह मिल सके। प्रयोगशाला में एक ओवरहैड प्रोजेक्टर के उपयोग, सूचना-पट्ट तथा कक्षाएं चलाने के शिए ब्लैकबोर्ड के लिए भी स्थान रहना चाहिए।

(ख) संसाधन प्रयोगशाला—एक

संसाधन प्रयोगशाला का उपयोग एक प्रयोगशाला एवं विभागीय पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। इसमें एक भंडार कक्ष रहना चाहिए। साथ ही पढ़ने के उपयोग की पुस्तकें, पाठ्यचर्या सामग्री, बाल साहित्य, पाठ्यपुस्तकें, रिपोर्ट तथा दस्तावेज उपलब्ध रहने चाहिए। यह सामग्री वह होगी, मुख्य रूप से जिसका उपयोग प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी० एल०एड०) से संबंधित पाठ्यक्रमों में होता है। इन सभी वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक रहनी चाहिए जिससे इनका उपयोग साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी कर सकें। संसाधन प्रयोगशाला में संकाव तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक कम्प्यूटर भी रहना चाहिए। प्रयोगशाला में स्थान भी काफी रहना चाहिए। जिससे इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की बैठकों, कक्षाओं तथा सामूहिक परिचर्चा एवं पढ़ने के लिए भी किया जा सके।

(ग) कार्यशाला के लिए स्थान—दो

संस्थान को रंगमंच कार्यशालाओं, आत्म-विकास कार्यशालाओं तथा शारीरिक शिक्षा कार्यशालाओं जैसी प्रायोगिक शिक्षण-अभ्यास गतिविधियों का आयोजन करने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी। यह स्थान इतना होना चाहिए कि उसमें 30–40 विद्यार्थियों के बैच के लिए आसानी से शारीरिक व्यायाम क्रियाएं करने और आने-जाने की काफी जगह रहे।

11. शुल्क की दरें एवं छात्रवृत्तियां

अनिवार्य

शुल्क की दरों का ढांचा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों के अनुसार रहना चाहिए। किन्तु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

लिया गया शुल्क और दूसरे खर्च की कुल राशि संस्थान के प्रति विद्यार्थी पर हुए आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अपेक्षित

अपेक्षा की जाती है कि योग्य गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था हो सकेगी। योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी रहना चाहिए।

12. कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए। सभी पदों के लिए चयन उचित ढंग से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाना। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार के मानदंडों के अनुसार रहेगा।

चार वर्ष की अवधि के प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी० एल० एड०) की योजना

इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को +2 के बाद प्रवेश दिया जायेगा।

परिशिष्ट—1 (ए)

सिद्धान्त			प्रायोगिक अभ्यास	शिक्षण		क्रोलोकिया परियोजना	ज्ञानवृद्धि				
	परीक्षा अवधि	कुल डंक		प्रति सप्ताह सम्पर्क के घण्टे	कुल अंक		प्रति सप्ताह सम्पर्क के घण्टे	कुल अंक		प्रति सप्ताह सम्पर्क के घण्टे	कुल योग
1	2	3		4	5		6	7		8	9
प्रथम वर्ष एफ़–1 बाल विकास	3	100	पी० आर० आई० पी० सी ललित कलायें	4	75						
एफ़–2 समकालीन भारत	3	100									
सी–1.1 भाषा की प्रकृति	3	50	पी० आर० आई०–2 शिक्षा निर्माण में भागीदारी	3	25	क्रोलोकिया ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षिक ज्ञानवर्धन	1	
सी–1.2 मुख्य गणित	2	50									
सी–1.3 मुख्य प्राकृतिक विज्ञान	2	50									
		350		7	100		1	50		1	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
द्वितीय वर्ष	3	100	वी० आर० 2.3 बाल निरीक्षण	2	75						
एफ 2.3 अक्षर ज्ञान और शिक्षा ग्रहण (ओगनीशन एवं लर्निंग)											
एफ.-2.4 भाषा ज्ञान	2	50									
एफ० 5 मानव सम्पर्क एवं संप्रेषण	2	50									
पी 2.1 पाठ्यचर्या माध्यम से भाषा ज्ञान	2	50	पी० आर० 24 आत्म विकास विकास कार्यशाला	3	50	क्रोलोकिया ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षिक ज्ञानवर्धन क्रियाकलाप	1	
उदार पाठ्यक्रम (विकल्प)	3	100	पी० आर 25								
0.2.1 अंग्रेजी-1			शारीरिक शिक्षा	2	25						
0.2.2 हिन्दी-1											
0.2.3 गणित-1											
0.2.4 भौतिक विज्ञान-1											
0.2.5 रसायन विज्ञान-1											
0.2.6 जीव विज्ञान-1											
0.2.7 इतिहास-1											
0.2.8 राजनीति शास्त्र-1											
0.2.9 भूगोल-1											
0.2.10 अभिकरण-1											
		350		7	150		1	50		1	550

4—509 GI/98

189

attested
सहायक नियंत्रक (प्रकाशन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

एक : विषय प्रवेश फाउंडेशन पाठ्यक्रम : सी : मुख्य पाठ्यक्रम : पी : शिक्षण–विधि पाठ्यक्रम : ओ : वैकल्पिक पाठ्यक्रम : ओ : पो : वैकल्पिक शिक्षण-विधि पाठ्यक्रम : ओ : एल : वैकल्पिक पाठ्यक्रम : पी : आर : अभ्यास प्रैक्टिस : एस : सी : विद्यालय संपर्क कार्यक्रम : एस : आई : विद्यालय में अंतरंग अध्यापन–1

पाठ्यक्रम के नाम के अक्षरों के तुरंत बाद एफ० सी० पी० आदि दी गई संख्या कार्यक्रम के उस वर्ष की है जिसमें पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाना है। दूसरी संख्या विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम के क्रमांक की संख्या है। उदाहरण के लिए एफ० 2.5 से यह संकेत मिलता है कि मानव संसाधन एवं संप्रेषण 5वां पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम के अध्ययन काल के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाना है ।

सं० एफ० 28–3/98–99 एन० सी० टी० ई० : धारा 32 का उपधारा 2 के खंड (च) तथा (ज) के अधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित बनाये गये हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम–शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी० पी० एड०), शारीरिक शिक्षा में स्नातक । (बी० पी० एड०) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० पी० एड०)––की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998 है।

2. किस पर लागू रहेंगे

ये विनियम पूरा–। में उल्लिखित कोई भी पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयो, मुक्त / खुले विश्वविद्यालयों, उनके / संघटकों सहित संस्थानों और उन अन्य सभी निकायो / संस्थाओं पर, उनके नाम तथा कार्यशैली जो भी हो, लागू रहेंगे ।

3. परिभाषा

संदर्भ के अनुसार जब कोई अन्यथा अर्थ न हो इन विनियमों में :––

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73)।

(2) "अध्यापक शिक्षा में नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण" का अर्थ है अध्यापक शिक्षा के लिए कोई ऐसा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण मान्यता प्रदान करने के समय संस्थान द्वारा जिसकी व्यवस्था नहीं थी किन्तु मान्यता-प्राप्त संस्थान द्वारा जिनके लिये व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(3) "क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है धारा 20 के अंतर्गत स्थापित समिति ।

(4) अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 में निहित है ।

4. मान्यता के लिये आवेदनपत्र

(क) प्रत्येक संस्थान को, जिसने अध्यापक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को व्यवस्था की है / जिसका यह व्यवस्था करने का विचार है, उक्त अधिनियम के अधीन मान्यता के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को क्षेत्रीय समिति से प्राप्त फार्म में अपना आवेदनपत्र देना होगा ।

(ख) आवेदनपत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा सम्बन्धित संस्थान जिसके भूभागीय अधिकार – क्षेत्र में स्थित है ।

5. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियो की संख्या बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र ।

(क) यदि कहीं कोई मान्यता–प्राप्त संस्थान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा के लिये कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति से प्राप्त फार्म में अपना नया आवेदन पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ख) यदि कहीं कोई मान्यताप्राप्त संस्थान ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए उसमें स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहता है तो उस मान्यता-प्राप्त संस्थान को अपना आवेदनपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ग) आवेदनपत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा, जिसके भूभागीय अधिकार क्षेत्र में संस्थान स्थित है ।

6. आवेदनपत्र भेजने की विधि

(क) मान्यता के लिए आवेदनपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ख) मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा में तथा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ग) संस्थान की मान्यता अथवा तथा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियो को प्रवेश

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

देने की अनुमति के शिए आवेदनपत्र तीन प्रतियो में भेजना होगा।

(घ) उस संस्थान की मान्यता के लिए जिसमें अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले उपलब्ध थी, आवेदनपत्र सीधे सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजा जाएगा।

(ङ) ऐसे प्रत्येक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है किन्तु जो 15 अगस्त, 1995 से ठीक पहले कार्यरत नहीं था, मान्यता के लिए अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के साथ भेजना होगा, जिसमें वह संस्थान स्थित है।

(च) मान्यता-प्राप्त संस्थानों को उपर्युक्त विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के अन्तर्गत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति के लिए अपना आवेदनपत्र उस सरकार या संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के साथ भेजने होगें, जिसमें वह संस्थान स्थित है।

7. शुल्क

संस्थान की मान्यता अथवा मान्यता-प्राप्त संस्थानों द्वारा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रवेश के लिए विद्यार्थियो की स्वीकृति संख्या में वृद्धि करने या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति के लिए भेजे जाने वाले आवेदनपत्र के साथ परिषद द्वारा समय-समय पर उस आवेदन के लिए निर्दिष्ट शुल्क भेजना होगा और यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रुप में भेजना होगा, जिसे "क्षेत्रीय समिति, अध्यापक शिक्षा परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के स्थान पर अदायगी के शिए बनवाया जाएगा।

8. आवेदनपत्र भेजने की समयसीमा

(क) प्रत्यक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहता है, अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जो आगामी शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार महीने पहले वहां पहुंच जाना चाहिए।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करन या प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृति संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्राप्त करने का आवदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजा जाना चाहिए। जो उनके यहां आगामी शिक्षा-सत्र से प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार महीनें पहले पहुंच जाना चाहिए।

9. मान्यता की शर्तें

(क) मान्यता के शिए प्राप्त आवेदनपत्र में दिए गए तथ्यों की जांचपरख एवं सत्यापन के आधार पर और/अथवा जहां भी आवश्यक समझा जाए संस्थान का निरीक्षण करके अथवा जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यता प्राप्त कर्मचारीवर्ग, प्रयोगशाला तथा ऐसे अन्य सभी प्रबन्ध हैं जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के के लिए, जिसे वह चला रहा है या जिसे वह प्रारम्भ करना चाहता है, संस्थान के उचित रूप में कार्य करने रहने के लिए आवश्यक है।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक संस्थान द्वारा परिशिष्ट (i), (ii) तथा (iii) में निहित मानकों और मानदण्डों की पूर्ति की गई है।

10. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मान्यता-प्राप्त संस्थानों को अनुमति प्रदान करने की शर्तें

(क) अध्यापक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त आदवेनपत्र में दिए गए तथ्यों का जांच परख और सत्यापन के आधार पर और/अथवा जहां भी आवश्यक समझा जाए, संस्थान का निरीक्षण करके अथवा जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि संस्थान के पास अध्यापक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए अथवा प्रवेश देने के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यता-प्राप्त कर्मचारीवर्ग, प्रयोगशाला तथा अन्य सभी प्रबन्ध हैं जो पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को चलाने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के शिए आवश्यक है।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा परिशिष्ट (I), (II) तथा (III) में निहित मानकों और मानदण्डों को पूर्ति की गई है।

सुरेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

attested 27/5/11
शिक्षक शिक्षक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

191

परिशिष्ट-I

शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थानों
के लिये
मानक और मानदंड
शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
(सी० पी० एड०) 2 वर्ष
एन० सी० टी० ई०
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी–2/10, सफदरजंग डवलपमेन्ट एरिया

नई दिल्ली–110016
1998

शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये मानक और मानदंड

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी० पी० एड०)–2 वर्ष

100 विद्यार्थियों की क्षमता वाली इकाई के लिये प्रति वर्ष 50 विद्यार्थियों का प्रवेश

------

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है जिसमें यह उल्लेख है कि शिक्षा के विशाल प्रांगण में शारीरिक शिक्षा के एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की अत्यंन्त आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और अभिवृद्धि करने, साथ ही मानव संसाधनों, शैक्षिक अवदान, आधारभूत भौतिक साज-सामान तथा वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा उत्तर स्तर की व्यवस्था सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित हो सके इस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिये मानक और मानदंड निर्धारित किये गये हैं।

सिद्धान्ततः अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि साधारण शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के लिये यदि आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम उच्च माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो, साथ ही उनके पास 2 वर्ष की अवधि का व्यावसायिक प्रमाणपत्र हो। तदनुसार प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले शारीरिक शिक्षा विषय के अध्यापकों के लिये यह आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, साथ ही उनके पास 2 वर्ष की अवधि का शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक प्रमाणपत्र भी हो।

इस दस्तावेज में, शारीरिक शिक्षा (सी० पी० एड०–2 वर्ष) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा चलाये जाने, नियमित कार्यक्रमों के मानक और मानदंड प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ये मानक उन सभी संस्थानों पर लागू होंगे, अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा में तैयार करने के लिये जो संस्थान में नियमित कार्यक्रम चलाते हैं। ये मानक संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रमों की अनुमति तथा प्रवेश के लिये अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लागू होते हैं।

मानकों का उल्लेख दो वर्गों यथा (1) अनिवार्य तथा (2) अपेक्षित के अंतर्गत किया गया है। अनिवार्य का सम्बन्ध उन न्यूनतम अपेक्षाओं से है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के लिये सभी संस्थानों द्वारा जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है और (2) अपेक्षित मानक वे हैं—उचित अवधि में जिनके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत प्रयत्न करते रहना आवश्यक है।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत भौतिक साज-सामान शीर्षक के अंतर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कक्षा के कमरे, पुस्तकालय आदि के लिये जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिये और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य हों जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य बिना किसी कठिनाई के सुचारु रूप में सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके।

2. मानव संसाधन

2.1 अध्यापक वर्ग

अध्यापक-विद्यार्थी का अनुपात
अनिवार्य 1 : 12
अपेक्षित 1 : 10

पदनाम	आवश्यक संख्या: अनिवार्य	आवश्यक संख्या: अपेक्षित	शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव
प्राचार्य	1	--	जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक स्नातकोत्तर डिग्री, किसी मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा संस्थान में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
प्राध्यापक (लेक्चरर)	8	10	जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री।

attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स दिल्ली–54

192

2.3 प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या	
	अनिवार्य	अपेक्षित
कार्यालय अधीक्षक	1	--
वरिष्ठ सहायक एवं कोषाध्यक्ष	1	2
क्लर्क	1	3

2.4 अन्य कर्मचारी वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या	
	अनिवार्य	अपेक्षित
चिकित्सा अधिकारी (अंशकालिक)	1 लेक्चरर ग्रेड/संकित भत्ता	1 लेक्चरर ग्रेड
लायब्रेरियन	1	2
अटेन्डेन्ट्स/पचरासी	2	3
प्रयोगशाला सहायक	1	3
चौकीदार	3	4
सफाई कर्मचारी	2	4
ग्राउण्डमेन	6	8
छात्रावास कर्मचारी---बाबर्ची (कुक)		
अटेन्डेन्ट		
सफाई कर्मचारी, चौकीदार	--	हर एक एक-एक

योग्यताएं. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार।

3. ढांचागत आधारभूत साज-सामान

संस्थान की इमारत यदि उपयुक्त हो और उसमें पर्याप्त स्थान रहे (शैक्षिक खंड, जिमनाजियम, प्रशासकीय खंड, छात्रावास तथा कर्मचारी आवासगृह) तो निश्चय ही शारीरिक शिक्षा विषय में गुणवत्तायुक्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने में अत्यंत सुविधा रहती है। शैक्षिक खंड, खेल के मैदान, इन्डोर-आउटडोर खेलों के लिये कुछ सुविधाएं तथा प्रशासकीय खंड संस्थान के भवन में इनका होना अनिवार्य है। अपेक्षा तो यह भी है कि सस्थान में अन्य सहवर्ती पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भी पर्याप्त सुविधाएं रहें।

3.1 स्थान और भवन

भूखंड और स्थान

कम से कम जितना स्थान चाहिए उसमें संस्थान का भवन और खेल के मैदानों के लिये स्थान सम्मिलित है। प्रातःकालीन एवं सायंकालीन शारीरिक क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करने के लिये छात्रावासों और कर्मचारी आवासगृहों (स्टाफ क्वार्टरों) के लिये पर्याप्त भूखंड का होना भी अनिवार्य है।

अनिवार्य --5 एकड़

अपेक्षित --8 एकड़

संस्थान ऐसे स्थान पर हो जहां शोरगुल न रहता हो। स्थान का अपेक्षाकृत प्रदूषण-मुक्त होना चाहिए। वहां परिवहन और संचार साधनों की सुविधाएं होनी चाहिएं और बिजली और पानी उपलब्ध रहना चाहिए।

attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

193

3.2 शैक्षिक क्षेत्र

	अनिवार्य	अपेक्षित
1	2	3
कक्षाओं के कमरे	प्रति 50 विद्यार्थियों के लिए एक कमरा आकार 30 वर्ग मीटर—लगभग	2 अतिरिक्त कमरे (30 वर्ग मीटर)
बहुउद्देशीय हाल	200 वर्ग मीटर	1 (600 वर्ग मीटर)
स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला	2 (30 वर्ग मीटर)	1 (50 वर्ग मीटर)
शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	1 (30 वर्ग मीटर)	1 (60 वर्ग मीटर)
एनाटोमी फिजियोलाजी प्रयोगशाला	—	1 (30 वर्ग मीटर)
फिजियोथेरापी प्रयोगशाला	—	1 (30 वर्ग मीटर)
खेलकूद—मनोविज्ञान प्रयोगशाला	—	1 (30 वर्ग मीटर)
बायो-मेकेनिक्स प्रयोगशाला	—	1 (30 वर्ग मीटर)
पुस्तकालय	150 वर्ग मीटर	250 वर्ग मीटर

3.3 प्रशासकीय क्षेत्र

मद	तल क्षेत्र	संख्या
	अनिवार्य	अपेक्षित
1	2	3
प्राचार्य कक्ष	1 (25 वर्ग मीटर)	40 वर्ग मीटर
अध्यापक वर्ग के लिये बैठक कक्ष	1 (30 वर्ग मीटर)	50 वर्ग मीटर
अलग अलग कक्ष	—	प्रत्येक के लिये—1 20 वर्ग मीटर 70 वर्ग मीटर
कार्यालय कक्ष	1 (40 वर्ग मीटर)	40 वर्ग मीटर
भंडार-कक्ष		
(क) उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)	1 (25 वर्ग मीटर)	40 वर्ग मीटर
(ख) खेलकूद का सामान	1 (25 वर्ग मी०)	
प्रसाधन कक्ष (शौचालय)	2 (पुरुष)	4 (पुरुष)
	3 (महिला)	4 (महिला)
	1 (कर्मचारी वर्ग)	2 (कर्मचारी वर्ग)

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

194

3.4 पुस्तकालय एवं वाचनालय

अनिवार्य

एक पुस्तकालय एवं वाचनालय हो जिसका तलक्षेत्र 150 वर्ग मीटर (अपेक्षित 250 वर्ग मीटर) हो। इसमें वाचनालय में बैठकर पढ़ने के लिये कम से कम 30 विद्यार्थियों के लिये स्थान रहे। इसमें कम से कम 500 मानक पाठ्य पुस्तकें/संदर्भ ग्रंथ तथा 3 व्यावसायिक पत्रपत्रिकाएं रहें।

अपेक्षित

40 विद्यार्थियों के लिये वाचनालय में बैठकर पढ़ने की सुविधा का स्थान, 1000 पुस्तकें, 5 पत्रपत्रिकाएं हों।

3.5 विद्यार्थी छात्रावास

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप के अनुरूप अपेक्षा यह है कि प्रारम्भ में कम से कम 75 प्रतिशत और 5 वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत विद्यार्थियों के रहने के लिये छात्रावास में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो जाएगी। महिला और पुरुष विद्यार्थियों के लिये अलग-अलग छात्रावासों का होना अनिवार्य है।

3.6 कर्मचारी आवासगृह (स्टाफ क्वार्टर्स)

अपेक्षा यह की जाती है कि प्रारम्भ में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को और 5 वर्ष के भीतर शतप्रतिशत कर्मचारियों को (आवासगृह) (स्टाफ क्वार्टर्स) दे दिये जाने की व्यवस्था हो सकेगी। प्राचार्य/प्रधान, वार्डन, सफाई कर्मचारी, ग्राउण्डमेन तथा अनिवार्य श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के रहने का स्थान, संस्थान परिसर में ही होना चाहिए।

3.7. इनडोर और आउटडोर खेलों एवं शारीरिक शिक्षा क्रिया-कलापों के लिये सुविधाएं

एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाना वहां खेलकूद और शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध पर्याप्त सुविधाओं पर निर्भर करता है। शारीरिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यक्रम सुबह जल्दी और देर सायंकाल के समय आयोजित किये जाने चाहिए। विभिन्न खेलों और खेलकूद के अन्य कार्यक्रमों के लिये 100 मी०×60 मी० आकार के खेल के एक बहुउद्देशीय मैदान का होना अनिवार्य है।

3.8 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

3.8.1 प्रयोगशालाएं

अनिवार्य

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

अनिवार्य	अपेक्षित
लाउडस्पीकर (पब्लिक एड्रेस सिस्टम)	वीडियो कैमरा
स्लाइड प्रोजेक्टर	एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर
टेप रिकार्डर	कम्प्यूटर
टेलीविज़न सेट	--
वी० सी० आर०	--
ओवरहेड प्रोजेक्ट	

(ख) स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

अनिवार्य	अपेक्षित
एक लीवर चालित तुलन यंत्र (ए लीवर हवेइंग मशीन)	बोडी कम्पोजीशन एनेलाइज़र
एक एन्थ्रोपो मीटर	हेल्थ स्टाइल टेस्टिंग यूनिट
शरीर की बढ़त (ग्रोथ चार्ट) और शरीर संरचना चार्ट	पानी के भीतर तुलन घनत्व एवं मोटापा-प्रवृत्ति मापक यंत्र
अपेक्षित भार-लम्बाई मापी सारिणी चार्ट	
स्किनफोल्ड कैलिपर्स	
रेस्पो मीटर (सांस मापी यंत्र)	
हैमोग्लोबिनो मीटर	

अपेक्षित

एनाटोमी—फीजियालॉजी प्रयोगशाला; फीजियो थरापी प्रयोगशाला; खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला; बायो मेकेनिक प्रयोगशाला; माप-तौल के उपयुक्त यंत्र-संयंत्र।

3.8.2 खेल-कूद (स्पोर्टस)

(1) एथलेटिक्स

*	हर्डल्स	20
*	एक स्टार्टिंग क्लियर	1
*	मेजरिंग टेप (लोहे के)	4
*	ट्रेक निशानदेही के लिए तार	1
*	स्टाप वाच	6
*	स्टार्टिंग ब्लाक	6
*	हाईजम्प अपराइट्स	एक जोड़ी
*	क्रासबार	6
*	पोल वाल्ट (कूदने के पोल) (फाइबर ग्लास)	6+2
*	वोल्टिंग बाक्स	
*	डिस्कस (चक्का) (पुरुष तथा महिला)	प्रत्येक के लिए 6
*	हैमर (गोला)—12 (प्रत्येक 4 कि० ग्रा०)	6
*	स्टाप बोर्ड	2
*	सर्किल्स	2
*	फिनिश (छोर) पर निर्णायकों के लिए स्टैण्ड	2
*	झंडों के लिए खंभे (पोल)	20
*	जैवेलिन—पुरुष तथा महिला (जिनमें दो एलकूनियम के हों)	6
*	टेक ऑफ बोर्ड	2

attested 22/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

195

(2) खेल

*	बास्केट बाल बोर्ड तथा रिंग	1 (पूरा सेट)
*	वालीबाल पोस्ट	4
*	क्रिकेट, सोफ्ट बाल, थ्रो बाल के लिये उपस्कर (हर एक के लिए सेट)	2
*	टेबिल टैनिस तथा लान टैनिस	2
*	फुटबाल के गोल पोस्ट तथा नेट	2 जोड़ी
*	हैण्डबाल पोस्ट	2 जोड़ी
*	बैडमिन्टन पोस्ट	4
*	बैडमिन्टन रेकिट	24
*	हाकी गोलपोस्ट तथा नेट	1 जोड़ी
*	हाकी स्टिक	3 दर्जन

(3) खेलकूद का सामान तथा अन्य वस्तुएं

*	लेज़म	50 जोड़ी
*	वालीबाल	12
*	बास्केट बाल	12
*	डम्बल	50 जोड़ी
*	भारतीय मुग्दर	50 जोड़ी
*	शारीरिक क्रियाकलापों के लिये झंडियाँ, हूपला रिंग तथा प्रकाश उपकरण	
*	प्रदर्शन बीट बोर्ड	
*	मार्शल आर्ट के लिए उपस्कर	
*	पैरेलल बार	1
*	पैरेलल बार-अनईविन लड़कियों के लिए	1
*	होरीजोन्टल बार्स	1
*	रोमन रिंग	2
*	रस्से चढ़ने के लिये	2
*	मैट	1 दर्जन जूट की+1 दर्जन रबड़ की
*	वेट लिफ्टिंग सेट/ (पावर लिफ्टिंग सेट)	1
*	बैलेन्स बीम (एडजस्टेबल सेट)	1
*	पोमेल्ड हार्स	1
*	फुटबाल	12
*	हाकीबाल	24

3.8.3 सांस्कृतिक क्रियाकलाप :

पर्याप्त संख्या में उपयुक्त संयंत्र-यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

3.8.4 विविध :

बड़े-बड़े प्रमुख खेलों, छोट खेलों, मनोरंजन खेलों, रिले दौड़ तथा कुश्ती आदि जैसे कम्बेटिव खेलों के लिए जो भी और यंत्र-संयंत्र चाहिए उन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. शैक्षणिक अवदान

4.1 कार्य दिवस :

अनिवार्य

200 दिन (प्रति वर्ष 1400 घंटे)

अपेक्षित :

220 दिन (प्रतिवर्ष 1540 घंटे) ।

छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्यदिवस 7 घंटे का रहेगा (सिद्धान्त एवं प्रायोगिक विषयों के लिए बराबर-बराबर समय) । 5 दिन का सप्ताह होने पर घंटे अनुपात में रहेंगे ।

4.2 प्रवेश

4.2.1 पात्रता :

प्रत्याशी ने किसी मान्यता-प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो और परीक्षा में कुल मिला कर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

4.2.2 चयन क्रियाविधि :

सभी प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए । योग्यता की सूची में स्थान का निर्धारण योग्यता-निर्धारण परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) तथा/अथवा साक्षात्कार तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा के अधार पर लिया जाएगा ।

अंकों में निम्नलिखित दर से वृद्धि की जायेगी :

(क)	नीरोग/श्रेष्ठ स्वास्थ्य (फिजीकल फिटनेस/प्रोफिसिएंसी)	वृद्धि 40 प्रतिशत
(ख)	सिद्धान्त विषय में परीक्षा	वृद्धि 40 प्रतिशत
(ग)	खेलकूदों में भाग लेने का स्तर	वृद्धि 20 प्रतिशत
	(1) राष्ट्रीय स्तर (पहला स्थान)	20 अंक
	(दूसरा स्थान)	18 अंक
	(तीसरा स्थान)	16 अंक
	भाग लेने पर	12 अंक
	(2) राज्य स्तर (पहला स्थान)	12 अंक
	(दूसरा स्थान)	10 अंक
	(तीसरा स्थान)	08 अंक
	भाग लेने पर	06 अंक

attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

196

(3) जिला स्तर	(पहला स्थान)	06 अंक
	(दूसरा स्थान)	04 अंक
	(तीसरा स्थान)	02 अंक
	भाग लेने पर)	01 अंक

प्रमाण-पत्रों की वैधता निश्चित करने के लिए व्यावहारिक परीक्षण के लिए खेलों को व्यक्तिगत रूप से खिला कर देखा जायेगा । सीटों में आरक्षण संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

5. वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान तथा आरक्षित निधि :

संस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसका कार्य चलाना सभव हो । सरकार स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों विश्वविद्यालय को यह दायित्व लेगा चाहिए कि समय-समय पर उसके पास पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था बनी रहे । निजी उद्योग से चलाये जाने वाले संस्थानों के पास 5 लाख रुपये की वृत्तिदान निधि और इतनी आरक्षित निधि रहनी चाहिए जिससे वे अपने कर्मचारियों को तीन माह के वेतन का भुगतान कर सकें ।

5.2 बजट निर्माण :

संस्थान को अनिवार्य रूप से बजट बनाने, खर्च की मंजूरी देने, लेखा रखने और लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं/पद्धतियों को अपनाना होगा । वार्षिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी चाहिए ।

5.3 लागत खर्च :

(1) अनावर्त्ती :

संस्थान के भवन, खेल के मैदानों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, भवन में साज-सामान (फर्निशिंग एंड फिटिंग्स) पर पर्याप्त धन का विनियोग होना चाहिए ।

	अनिवार्य	अपेक्षित
क. संस्थान का भवन और खेल के मैदान	20 लाख	20 लाख
ख. उपस्कर (यंत्र संयंत्र) तथा पुस्तकें	2 लाख	5 लाख
ग. फर्नीचर	2 लाख	5 लाख
घ. विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	—	20 लाख
ङ. कर्मचारियों के लिये आवास	—	25 लाख

2. आवर्त्ती : वार्षिक

	अनिवार्य	अपेक्षित
5.4.1 वेतन	राज्य/केन्द्रीय सरकार के मानकों के अनुसार	—
5.4.2 रखरखाव का खर्च मानदेय, यात्रा, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, प्रयोग शालाएं, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर आदि के लिये सामग्री की खरीद तथा सामान्य सुख सुविधाएं आदि	3 लाख	4 लाख
5.4.3 पुस्तकालय के लिये पुस्तकें	25000 रु०	50000 रुपये
5.4.4 उपस्करों (यंत्र-संयंत्र) में वृद्धि /नई खरीद : खेल कूद /खेल तथा एथलेटिक्स	30000 रुपये	50000 रुपये

टिप्पणी : सुख सुविधाओं और सहूलियतों में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रति वर्ष योजना-शीर्ष के अन्तर्गत 1 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिये ।

5—509 GI/98

attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

197

5.4 शुल्क :

शुल्क की दरें समय-समय पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार होनी चाहिए । ट्यूशन शुल्क निर्धारित करने का मानदंड यही है कि वह आवर्ती लागत खर्च के रूप में प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी पर जितना खर्च होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए ।

अपेक्षा यह की जाती है कि योग्यता और साधन के आधार पर 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देने/छात्रवृत्तियां दी जाएं ।

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन/परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

परिशिष्ट—II

शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए

मानक और मानदंड

स्नातकोत्तर (पी० जी०) डिप्लोमा/स्नातक शारीरिक शिक्षा (बी० पी० एड०)

दो वर्ष

एन० सी० टी० ई०

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

सी—210 सफदरजंग डवलपमैन्ट एरिया

नई दिल्ली

1998

परिशिष्ट II

स्नातकोत्तर (पी० जी०) डिप्लोमा/शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी० पी० एड०) पाठ्यक्रम (दो वर्ष की अवधि) में शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए मानक और मानदंड

(100 विद्यार्थियों की क्षमता वाली इकाई—प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों का प्रवेश)

1. प्रस्तावना :

शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में इसके महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि शिक्षा के विशाल प्रांगण में शारीरिक शिक्षा के एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है । शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और अभिवृद्धि करने, साथ ही मानव संसाधनों, शैक्षिक अवदान, आधारभूत भौतिक साज-सामान तथा वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा उत्तम स्तर की व्यवस्था सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित हो सके। इस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित किये गये हैं ।

सिद्धान्तत: अब यह व्यापक रुप से स्वीकार कर लिया गया है कि उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों ने कम से कम स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की हो; साथ ही उनके पास व्यावसायिक डिप्लोमा/डिग्री भी हो । तदनुसार उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले शारीरिक शिक्षा विषय के अध्यापकों के लिए यह आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा (व्यावसायिक डिग्री) में स्नातक हों अथवा सामान्य शिक्षा में स्नातक हों, साथ ही उनके पास शारीरिक शिक्षा विषय में डिग्री हो ।

इस दस्तावेज में स्नातकोत्तर (पी० जी०) डिप्लोमा/बी० पी० एड० (दो वर्ष की अवधि) तक शिक्षा देने वाले संस्थानों द्वारा चलाये जाने वाले नियमित कार्यक्रमों के मानक और मानदंड प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये मानक उन सभी संस्थानों पर लागू होंगे, अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा में तैयार करने के लिए जो नियमित कार्यक्रम चलाते हैं । ये मानक संस्थानों को मान्यता, पाठ्यक्रमों की अनुमति तथा प्रवेश के लिए अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लागू होते हैं ।

मानकों का उल्लेख दो वर्गों यथा (1) अनिवार्य तथा (2) अपेक्षित के अन्तर्गत किया गया है । अनिवार्य का सम्बन्ध उन न्यूनतम अपेक्षाओं से है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी संस्थानों द्वारा जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है और (2) अपेक्षित मानक वे हैं उचित अवधि में जिनके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत् प्रयत्न करते रहना आवश्यक है ।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत भौतिक साज-सामान शीर्षक के अन्तर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कक्षा के कमरे, पुस्तकालय आदि के लिए जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिये और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है । इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य हों जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य बिना किसी कठिनाई के सुचारु रुप में सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके ।

2. मानव संसाधन :

2.1 अध्यापक—विद्यार्थी अनुपात

अनिवार्य : 1:12

अपेक्षित : 1:10

Attested [signature] 27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

198

2.2 अध्यापक वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या अनिवार्य	अपेक्षित	शैक्षिक योग्यतायें और अनुभव
प्राचार्य/प्रधान (प्रोफेसर पदक्रम)	1	–	वि०वि०अ० आयोग/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार; मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष के अनुभव के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
रीडर	2	2	वि० वि० अ० आयोग/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार; शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री
प्राध्यापक (लेक्चरर)	6	8	वि० वि० अ० आयोग/विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार; शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री
अंशकालिक प्रशिक्षण (कोच)	खेलकूद/स्पोर्ट में हरएक में एक एक		वि० वि० अ० आयोग/विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार; शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

2.3 सहायक कर्मचारी वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या अनिवार्य	अपेक्षित	शैक्षिक योग्यतायें एवं अनुभव
चिकित्सा अधिकारी	1		एम० बी० बी० एस० 1 खेलकूद, औषधि विज्ञान (स्पोर्टस मैडीसिन), फिजियोथेरापी में डिप्लोमा धारक को वरीयता
प्राध्यापक (लैक्चरर ग्रेड)			
लायब्रेरियन	1		वि०वि० अ० आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार
व्यावसायिक सहायक (पी०ए)	1	2	,,
पुस्तकालय सहायक	1	2	,,
अटेंडेन्ट	1	2	,,
प्रयोगशाला सहायक	1	हर एक प्रयोगशाला में एक	,,
तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर)	1	2	,,
चपरासी/अटेंडेन्ट	1	2	,,
चौकीदार	3	4	,,
सफाई कर्मचारी	2	3	,,
ग्राउंडसमैन कम-मार्कर्स	6	8	,,

2.4 प्रशासकीय कर्मचारी

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित
प्रधान/प्राचार्य के लिये निजी सहायक	1	– –
अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक	1	2
सहायक/खंजांची/क्लर्क	3	4
स्टोरकीपर	1	2
छात्रावास कर्मचारी : बावर्ची (कुक) अटेन्डेन्ट, चौकीदार, सफाई कर्मचारी	–	हर एक एक-एक

योग्यतायें : राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

199

3. ढांचागत आधारभूत साजसामान :

संस्थान की इमारत यदि उपयुक्त हो और उसमें पर्याप्त स्थान रहे (शैक्षिक खंड, जिमनाजियम, प्रशासकीय खंड, छात्रावास तथा कर्मचारी आवासगृह सहित) तो शारीरिक शिक्षा विषय में गुणवत्तायुक्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने में निश्चय ही सुविधा रहती है ।

3.1 स्थान और भवन :

भूखंड तथा स्थान :

कम से कम जितना स्थान चाहिए उसमें संस्थान का भवन और खेल के मैदानों के लिए स्थान सम्मिलित है।

अनिवार्य	अपेक्षित
8 एकड़	10 एकड़
भूखण्ड (5 एकड़ खेल के मैदानों के लिये और 3 एकड़ भवन, छात्रावास तथा कर्मचारी आवासगृहो के लिए)	(6 एकड़ खेल के मदानों के लिये 4 एकड़ भवन, छात्रावास तथा कर्मचारी आवासगृहों के लिये)

संस्थान ऐसे स्त्रान पर होना चाहिये जहां शोरगुल न रहता हो। स्थान को अपेक्षाकृत प्रदूषण मुक्त होना चाहिष। जहां परिवहन और संचार साधनों की सुविधायें होनी चाहिएं और बिजली तथा पानी उपलब्ध रहना चाहिये।

3.2 शैक्षिक क्षेत्र

	अनिवार्य	अपेक्षित
कक्षाओं के कमरे	प्रति 50 विद्यार्थियो के लिए कमरा (1) आकार : 50 वर्ग मीटर	संगोष्ठी (सेमिनार आदि) के लिये प्रति 100 विद्यार्थी (1)
बहुद्देशीय हाल	1 (150 वर्ग मीटर)	1 (500 वर्ग मीटर)
खेल-कूद सम्बधी दवाइयां	1 (30 वर्ग मीटर)	1 (50 वर्ग मीटर)
स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाशा	1 (30 वर्ग मीटर)	1 (50 वर्ग मीटर)
शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाशा		-- 1 (30 वर्ग मीटर)
एनाटोमी फिजियोलोजी प्रयोगशाला		-- 1 (30 वर्ग मीटर)
फिजियोथेरापी प्रयोगशाला		-- 1 (30 वर्ग मीटर)
खेल-कूद मनोविज्ञान प्रयोगशाशा		1 (30 वर्ग मीटर)
बायो--मेकेनिक्स प्रयोगशाला		-- 1 (30 वर्ग मीटर)
पुस्तकालय	150 वर्ग मीटर	250 वर्ग मीटर)

3.3 प्रशासकीय क्षेत्र

मद	तल क्षेत्र/संख्या	
	अनिवार्य	अपेक्षित
प्राचार्य कक्ष	1 (25 वर्ग मीटर)	40 वर्ग मीटर
अध्यापक वर्ग के लिए बैठक कक्ष	1 (30 वर्ग मीटर)	50 वर्ग मीटर
अलग-अलग कक्ष	--	प्रत्येक के लिए 1
कार्यालय कक्ष	1 (40 वर्ग मीटर)	70 वर्ग मीटर
भंडार कक्ष		
(क) उपस्कर (यंत्र संयंत्र)	1 (25 वर्ग मीटर)	40 वर्ग मीटर
(ख) खेलकूद का सामान	1 (25 वर्ग मीटर)	40 वर्ग मीटर
प्रसाधन कक्ष (शौचालय आदि)	2 (पुरुष) 2 (महिला) 1 (कर्मचारी वर्ग)	4 (पुरुष) 4 (महिला) 2 (कर्मचारी वर्ग)
पुरुष बैठक कक्ष	24 वर्ग मीटर	50 वर्ग मीटर
महिला बैठक कक्ष	24 वर्ग मीटर	50 वर्ग मीटर

टिप्पणी : महिला/पुरुष सामान्य कक्ष ऐसे बने होने चाहिए जिनका वस्त्र आदि बदलने व प्रसाधन के लिए भी उपयोग हो सके और अच्छा तो यह रहेगा कि यह कक्ष खेल के मदानों में बना होगा।

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

200

3.4 विद्यार्थी छात्रावास :

अपेक्षित :

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप के अनुरूप अपेक्षा यह है कि प्रारम्भ में कम से कम 75 प्रतिशत और 5 वर्ष के भीतर शतप्रतिशत विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो जायेगी। महिला और पुरुष विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रावासों का होना अनिवार्य है।

3.5 कर्मचारी आवासगृह (स्टाफ क्वार्टर्स) :

अपेक्षा यह की जाती है कि प्रारम्भ में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को और 5 वर्ष के भीतर शतप्रतिशत कर्मचारियों के रहने के लिए आवासगृह (स्टा क्वार्टर्स) दे दिये जायेंगे। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिए (अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक वर्ग दोनों के लिये) आवासगृहों के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रामाणिक मानकों का पालन किया जाना चाहिए। प्राचार्य/प्रधान, वार्डन, सफाई कर्मचारी, ग्राउण्ड मेन के रहने का स्थान संस्थान के परिसर क्षेत्र में ही होना चाहिए।

3.6 पुस्तकालय एवं वाचनालय :

एक पुस्तकालय एवं वाचनालय हो जिसका तलक्षेत्र 150 वर्ग मीटर होना आवश्यक है तथा 250 वर्ग मीटर अपेक्षित है। इसमें वाचनालय में बैठकर पढ़ने के लिए कम से कम 30 विद्यार्थियों के लिए स्थान रहे। इसमें कम से कम 1000 मानक पाठ्यपुस्तकें/संदर्भ ग्रंथ तथा 5 व्यावसायिक पत्रपत्रिकाएं रहें।

3.7 इनडोर तथा आउटडोर खेलों और शारीरिक शिक्षा क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं

3.7.1 इनडोर खेल :

जिमनाजियम :

अनिवार्य : हाल 30×20 मीटर

अपेक्षित : पूर्ण आकार की जिमनाजियम

शारीरिक शिक्षा संस्थान में जिमनास्टिक, बास्केट बाल, वालीबाल, बैडमिन्टन, भारोत्तोलन (वेट लिफ्टिंग) तथा बहुउद्देश्यीय कार्यों के उपयोग के लिए एक ऐसी जिमनाजियम होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार का पूरा-पूरा साजसामान हो।

3.7.2 आउटडोर खेल और शारीरिक क्रियाकलाप

एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थान में खेल के मैदान में प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें खेलकूद और शारीरिक क्रियाकलापों के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहें। बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेलों और शारीरिक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिये अपेक्षित सुविधाओं का रहना एक अनिवार्य आवश्यकता है।

शारीरिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यक्रम सुबह जल्दी और देर सायंकाल के समय आयोजित किये जाने चाहिए।

अनिवार्य	अपेक्षित
— 400 मी० का एथलैटिक ट्रैक–1	— अतिरिक्त–1
— लौंग जम्प पिट–1 (ट्रैक के भीतर)	— क्रिकेट का मैदान–1
— गोला, जैवेलिन तथा चक्का फेंकने का क्षेत्र–1 (ट्रैक के भीतर)	— टेनिस कोर्ट–2
— बास्केट बाल कोर्ट–1	— बैडमिन्टन कोर्ट–2 (साथ ही प्रकाश व्यवस्था इन्डोर भी)
— बैडमिन्टन कोर्ट–1	— बास्केट बाल कोर्ट–2
— वालीबाल कोर्ट–1	— वालीबाल कोर्ट–2
— कबड्डी का मैदान–1	— कबड्डी मैदान–2
— खो खो मैदान–1	— खो-खो मैदान–2
— हाकी का मैदान–1 (ट्रैक के भीतर हो सकता है)	— मानक आकार का फुटबाल का मैदान–1
— फुटबाल का मैदान–1 (हाकी के साथ सम्मिलित ट्रैक के भीतर रह सकता है)	— हाकी का मैदान–1
— हैण्डबाल मैदान–1	— सर्किट प्रशिक्षण ट्रैक–1
— स्वस्थ शरीर परीक्षण क्षेत्र	— गहरा गोता लगाने की सुविधा सहित तरणताल—साथ में जीवन रक्षक गार्ड, अटेन्डेन्ट्स तथा तरणताल सफाई संयंत्र
— जिमनाजियम उपकरण (पैरेलल बार, होरिजोन्टल बार)	

attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

201

3.8 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

3.8.1 प्रयोगशालाएं

अनिवार्य

(क) खेलकूद औषधि प्रयोगशाला (स्पोर्टस मेडीसिन लैब) के लिये उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

डायग्नोस्टिक टेबिल, इन्फ्रा-रेड लैम्प, स्टेरिलाइजिंग यूनिट, प्रथमोपचार बाक्स (फस्ट एड बाक्स), रक्तचाप मापी यंत्र, स्टेथोस्कोप, गोनियो मीटर, स्टाप वाच, ओरल थर्मामीटर, आइस बाक्स, वायब्रेटर्स–2, एक्सरसाइजर (बाइसिकिल)।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

अपेक्षित

अल्ट्रा साउण्ड थेरापी यूनिट, शोर्टवेव थेरापी यूनिट, ह्वील चेयर, एक जोड़ी बैसाखी (क्रचेज), तूलन-यंत्र, स्किन-कोल्ड कैलिपर्स, इलाक्ट्रोनिक्स वायसिकिल एर्गोमीटर (श्वसन क्षमता) अपटेक कैपेसिटी) की माप के लिए एक आपरेशन टेबिल।

(ख) शिक्षा प्रौद्योगिकी उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

लाउडस्पीकर (पब्लिक ट्रेस सिस्टेक), स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकार्डर, टेलीविजन सेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक ऐपियाडिस्कोप, डिस्प्ले बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर।

अपेक्षित

वीडियो कैमरा, एक सिनेमा प्रोजेक्टर, मूवी कैमरा

— एक लीवर चालित तुलनयंत्र (ए लीवर व्हेइंग मशीन)
— एक एन्थ्रोपो मीटर
— शरीर की बढ़त चार्ट (ग्रोथ चार्ट) और शरीर संरचना चार्ट)
— अपेक्षित भार-लम्बाई मापी सारिणी चार्ट
— स्किन फोल्ड कैलिपर्स
— बोडी कम्पोजीशन एनेलाइजर
— हेड स्टाइल टेस्टिंग यूनिट
— पानी के भीतर तुलन वनत्व एवं मोटापा प्रवृत्ति मापक यंत्र

अपेक्षित

(क) खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला—मनोविज्ञान मापी यंत्र।
(ख) एनाटोमी तथा फिजियोलाजी प्रयोगशाला—माप-तौल के उपयुक्त यंत्र-संयंत्र।
(ग) फिजियोथेरापी प्रयोगशाला।
(घ) बायो-मैकेनिक्स प्रयोगशाला—बायो मैकेनिक्स मापतौल के यंत्र।

3.9 खेलकूद तथा मैदान में प्रयोग आने वाले उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

(1) एथलेटिक्स

— हर्डल्स	20
— एक स्टार्टिंग क्लिपर	1
— मेजरिंग टेप (लोहे के)	4
— ट्रेक निशानदेही के लिए एक तार	1
— स्टाप वाच	6
— स्टार्टिंग ब्लाक	6
— हाई जम्प अपराइट्स (एक जोड़ी और छः क्रासबार)	1 जोड़ी
— वोल्टिंग बाक्स	1
— डिसक्स (चक्का) (पुरुष तथा महिला)	प्रत्येक के लिए 6
— हैमर (गोला)	महिला व पुरुष 6–6
— स्टाप बोर्ड	2
— सर्किल्स	2
— फिनिश (छोर) पर निर्णायकों के लिए	2

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

202

-- झंडों के लिए खंभे (पोल)	6
-- जैवेलियन–पुरुष तथा महिला (जिनमें दो एलमूनियम के हों)	6
-- टेक आफ बोर्ड	2
-- मैटरेसेस	6
-- शाटपुट (गोला)	6

(2) खेल

-- बास्केट बाल बोर्ड तथा रिंग	1 (पूरा सेट)
-- वालीबाल पोस्ट	4 (2 सेट)
-- क्रिकेट, सोफ्ट बाल के लिए उपस्कर (हर एक के लिए सेट)	2
-- टेबिल टैनिस	2 सेट
-- फुटबाल के गोल पोस्ट तथा नेट	2 जोड़ी
-- हैण्डबाल पोस्ट	2 जोड़ी तथा 12 बाल
-- बैडमिन्टन पोस्ट	4
-- हाकी गोल पोस्ट तथा नेट	1 जोड़ी
-- हाकी स्टिक	3 दर्जन तथा 3 दर्जन बाल
-- बैडमिन्टन रेकिट	2 दर्जन शटल आवश्यकतानुसार
-- लाल टैनिस पोस्ट	2

(3) खेलकूद का सामान तथा अन्य वस्तुएं

-- लैजम	50 जोड़ी
-- वालीबाल	12
-- डम्बेल	50 जोड़ी
-- भारतीय मुग्दर	50 जोड़ी
--शारीरिक क्रियाकलापों के लिए झंडियां, हूपला रिंग तथा प्रकाश उपकरण	
-- प्रदर्शन	
-- बीट बोर्ड	
-- मार्शल आर्ट के लिए उपकरण	
-- पैरेलल बार्स	1
-- पैरेलल बार––अनईविन लड़कियों के लिए	1
-- हारीजोन्टल बार्स	1
-- रोमनरिंग	2
-- रस्से चढ़ने के लिए	2
-- मैट	1 दर्जन जूट की
-- वेटलिफ्टिंग सेट/पावर लिफ्टिंग सेट	एक एक
-- बैलेन्स बीम (एडजस्टेबल सेट)	1 सेट
-- फुटबाल	12
-- बास्केट बाल	12
-- टेबिल टेनिस बाल	10 दर्जन
-- पोमेल होर्स	एक
-- मल्टीजिम	

Attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

203

3.9.3 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

पर्याप्त संख्या में उपयुक्त यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

3.9.4 विविध

अन्य छोटे-छोटे खेलों, मनोरंजन खेलों, रिले दौड़ तथा कुश्ती आदि जैसे कम्बेटिव खेलों के लिये जो भी और यंत्र-संयंत्र चाहिए उन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए ।

4. शैक्षणिक अवदान

4.1 कार्य दिवस

अनिवार्य

200 दिन (1400 घंटे) प्रति वर्ष परीक्षा तथा दाखिले के दिवस सहित ।

अपेक्षित

220 दिन (1540 घंटे) प्रति वर्ष परीक्षा तथा दाखिले के दिवस सहित । छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य-दिवस 7 घंटे का रहेगा (प्रायोगिक विषयों के लिये 5 घंटे तथा सिद्धान्त विषयों के लिये 2 घंटे) ।

4.2 प्रवेश

4.2.1 पात्रता

मुख्य शारीरिक शिक्षा विषय लेकर किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि अथवा उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा विषय लेकर किसी भी विषय में स्नातक, साथ ही स्नातक स्तर पर कुल मिला कर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

अथवा

कोई भी स्नातक जिसने स्पोर्टस/खेलों/एथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो

अथवा

कोई भी स्नातक जिसका अंतर महाविद्यालय स्तर पर आयोजित स्पोर्टस/खेलकूद प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान रहा हो ।

अथवा

कोई भी स्नातक जिसने परीक्षा में कुल मिला कर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

4.2.2 चयन क्रियाविधि

सभी प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिये । योग्यता की सूची में स्थान का निर्धारण योग्यता-निर्धारण परीक्षा (क्वालीफाइंग एगजामिनेशन) तथा/अथवा साक्षात्कार तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा ।

अंकों में निम्नलिखित दर से वृद्धि की जाएगी :

(क) सिद्धांत विषय में परीक्षा — वृद्धि 40 प्रतिशत

(ख) नीरोग/श्रेष्ठ स्वास्थ्य — वृद्धि 40 प्रतिशत

(ग) खेलकूदों में भाग लेने का स्तर — वृद्धि 30 प्रतिशत

(1) राष्ट्रीय स्तर (पहला स्थान) — 30 अंक
(दूसरा स्थान) — 25 अंक
(तीसरा स्थान) — 20 अंक

(2) अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय स्तर :

(पहला स्थान) — 20 अंक
(दूसरा स्थान) — 15 अंक
(तीसरा स्थान) — 10 अंक

(3) अंतर-महाविद्यालय स्तर

(पहला स्थान) — 7 अंक
(दूसरा स्थान) — 5 अंक
(तीसरा स्थान) — 3 अंक

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

204

सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

5. वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान तथा आरक्षित निधि

संस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसका कार्य चलाना संभव हो। सरकार/स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों/विश्वविद्यालय को यह दायित्व लेना चाहिए कि समय-समय पर उसके पास पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था बनी रहे । निजी उद्योग से चलाये जाने वाले संस्थानों के पास 5 लाख रुपये की वृत्तिदान निधि और इतनी आरक्षित निधि रहनी चाहिये जिससे वे कर्मचारियों को तीन माह के वेतन का भुगतान कर सकें ।

5.2 बजट निर्माण

संस्थान को अनिवार्य रूप से बजट बनाने, खर्च की मंजूरी देने, लेखा रखने और लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं/पद्धतियों को अपनाना होगा । वार्षिक लेखा-परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी चाहिए ।

5.3 लागत खर्च

(1) अनावर्त्ती

संस्थान के भवन, खेल के मैदानों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, भवन में साज-सामान (फर्निशिंग एंड फिटिंग्स) पर पर्याप्त धन का विनियोग होना चाहिये ।

	अनिवार्य	अपेक्षित
संस्थान का भवन और खेल के मैदान	20 लाख	50 लाख
उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) तथा पुस्तकें	2 लाख	5 लाख
फर्नीचर	2 लाख	4 लाख
विद्यार्थियों के लिए छात्रावास	—	20 लाख
कर्मचारियों के लिए आवास	—	25 लाख

(2) आवर्त्ती : वार्षिक

	अनिवार्य	अपेक्षित
वेतन	वि०अ० आयोग राज्य/केन्द्रीय सरकार के मानकों के अनुसार	
रखरखाव का खर्च, मानदेय, यात्रा, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर आदि के लिए सामग्री की खरीद तथा सामान्य सुख-सुविधाएं आदि	2 लाख रुपये	5 लाख रुपये
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	25,000/– रुपये	50,000/– रुपये
खेलकूद/खेलों और एथलेटिक्स से सम्बन्धित सामानों की भरपाई	100,000/– रुपये	1,50,000/– रुपये

टिप्पणी : सुख-सुविधाओं और सहूलियतों में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रति वर्ष योजना-शीर्ष के अंतर्गत दो लाख रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

5.5 शुल्क

शुल्क की दरें समय-समय पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार होनी चाहिये । ट्यूशन शुल्क निर्धारित करने का मापदंड यही है कि वह आवर्त्ती लागत खर्च के रूप में प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी पर जितना खर्च होता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिये ।

अपेक्षा यह की जाती है कि योग्यता और साधन के आधार पर 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने/छात्रवृत्तियां दी जाएं ।

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन/परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

205

परिशिष्ट—III

शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा-संस्थानों के लिए मानक और मानदण्ड

स्नातकोत्तर—दो वर्ष
(एम० पी० एड०)

एन० सी० टी० ई०
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी०-2 / 10, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया
नई दिल्ली
1998

शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थानों
के लिये
मानक और मानदण्ड
(स्नातकोत्तर दो वर्ष)

(100 विद्यार्थियों तक की क्षमता वाली इकाई—प्रति वर्ष 50 विद्यार्थियों को प्रवेश)

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में इसके महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि शिक्षा के विशाल प्रांगण में शारीरिक शिक्षा के एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और अभिवृद्धि करने, साथही मानव संसाधनों, शैक्षिक अवदान, आधारभूत भौतिक साज-समान तथा वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा उत्तम स्तर की व्यवस्था सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित हो सके इस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिये मानक और मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

सिद्धान्ततः अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि साधारण शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के पास शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (मास्टर्स) डिग्री होना चाहिये। जो अध्यापक शारीरिक शिक्षा संस्थानों में अध्यापक-प्रशिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिये यह भी आवश्यक है कि वे शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम०पी०एड०) तक शिक्षा प्राप्त करें, साथ ही उनके लिये यह भी आवश्यक है कि उन्होंने वि०वि०अ० आयोग, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एन० ई० टी०/जे०आर०एफ० पात्र-योग्यता-निर्धारण (क्वालिफाइंग) परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो। तदनुसार शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम०पी०एड०) की उपाधि से उच्च माध्यमिक स्तर पर काम करने वाले शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों, साथ ही शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभागों में काम करने वाले अध्यापक-प्रशिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

इस दस्तावेज में शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (2 वर्ष) की शिक्षा देने वाले संस्थानों द्वारा नियमित कार्यक्रमों के मानक और मानदण्ड प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ये मानक उन सभी संस्थानों पर लागू होंगे, अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने के लिये जो नियमित कार्यक्रम चलाते हैं। ये मानक उन संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रमों की अनुमति तथा प्रवेश के लिये अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति प्राप्त करने सम्बन्धी अपेक्षाओं पर लागू होते हैं।

मानकों का उल्लेख दो शीर्षों यथा (1) अनिवार्य तथा (2) अपेक्षित के अंतर्गत किया गया है। अनिवार्य का सम्बन्ध उन न्यूनतम अपेक्षाओं से है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के लिये जिनकी पूर्ति होना अनिवार्य है जबकि अपेक्षित का अर्थ उन निर्देशों से है, उचित अवधि में जिनका लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत प्रयत्न करते रहना आवश्यक है।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत भौतिक साज-सामान शीर्षक के अंतर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कक्षा के कमरों, पुस्तकालय आदि के लिये जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिए और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य हों जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य बिना किसी कठिनाई के सुचारु रूप में सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके।

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

2.0 मानव संसाधन

2.1 अध्यापक वर्ग

अध्यापक विद्यार्थी अनुपात

अनिवार्य : 1 : 12

अपेक्षित : 1 : 10

पदनाम	आवश्यक संख्या अनिवार्य	अपेक्षित	शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव
प्राचार्य/प्रधान (प्रोफेसर पदक्रम)	1	--1	वि० वि० अ० आयोग/विश्वविद्यालय राज्य सरकार के मानकों के अनुसार; शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री; मान्यता-प्राप्त शारीरिक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष का अनुभव।
रीडर	2	3	वि० वि० अ० आयोग/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार; शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।
प्राध्यापक (लेक्चरर)	6	7 (हर विषय में विशेष योग्यता के लिये एक-एक)	--वही--

2.2 सहायक कर्मचारी वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या अनिवार्य	अपेक्षित	शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव
चिकित्सा अधिकारी	1 (प्राध्यापक) (लेक्चरर ग्रेड)	--	एम० बी० बी० एस०, खेलकूद औषधि-विज्ञान में डिप्लोमा-धारक को वरीयता
लाइब्रेरियन	1	--	वि० वि० अ० आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार।
तकनीकी सहायक	3	5	राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार
हेल्पर	2	4	----वही----

2.3 प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित
प्रधान/प्राचार्य के लिए निजी सहायक	1	--
अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक	1	2
सहायक/आशुलिपिक टंकक/खजांची	2	3
स्टोरकीपर	1	2
होस्टल कर्मचारी (स्टाफ)--बावर्ची (कुक), अटेन्डेन्ट, सफाई कर्मचारी, चौकीदार	--	हरएक एक-एक

attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

207

3.0 ढांचागत आधारभूत साज-सामान :

संस्थान की इमारत यदि उपयुक्त हो और उसमें पर्याप्त स्थान रहे (शैक्षिक खंड, जिमनाज़ियम, प्रशासकीय खंड, छात्रावास तथा कर्मचारी आवासगृह) तो शारीरिक शिक्षा विषय में गुणवत्तायुक्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने में निश्चय ही सुविधा रहती है। शैक्षिक खंड, खेल के मैदान, इंडोर–आउटडोर खेलों के लिये कुछ सुविधाएं तथा प्रशासकीय खंड संस्थान के भवन में इनका होना अनिवार्य है। अपेक्षा तो यह भी है कि संस्थान में अन्य सहवर्त्ती पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भी पर्याप्त सुविधाएं रहें।

3.1 स्थान और भवन

भूखंड तथा स्थान

कम से कम जितना स्थान चाहिए उसमें संस्थान का भवन और खेल के मैदानों के लिये स्थान सम्मिलित है।

	अनिवार्य	अपेक्षित
भूखंड	8 एकड़	10 एकड़
	5 एकड़ खेल के मैदानों के लिए और 3 एकड़ भवन, छात्रावास तथा कर्मचारी अवासगृहों के लिए	6 एकड़ खेल के मैदानों के लिए और 4 एकड़ भवन, छात्रावास तथा कर्मचारी आवासगृहों के लिए

संस्थान ऐसे स्थान पर हो जहां शोरगुल न रहता हो। स्थान अपेक्षाकृत प्रदूषणमुक्त होना चाहिये। वहां परिवहन और संचार साधनों की सुविधाएं होना चाहियें और बिजली तथा पानी उपलब्ध रहना चाहिए।

3.2 शैक्षिक क्षेत्र

	अनिवार्य	अपेक्षित
*कक्षाओं के कमरे	4 (50 वर्ग मीटर) प्रति 50 विद्यार्थियों के लिये एक कमरा	5
*बहुउद्देश्यीय हाल	1 (150 व० मी०)	1 (500 व० मी०)
*स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला	1 (30 व० मी०)	50 व० मी०
*शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	1 (30 व० मी०)	,,
*फिजियोथेरापी प्रयोगशाला	1 (30 व० मी०)	,,
*खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला	1 (30 व० मी०)	,,
*बाया-मकेनिक्स प्रयोगशाला	1 (30 व० मी०)	,,
*खेलकूद औषधि प्रयोगशाला	1 (30 व० मी०)	,,
*पुस्तकालय	1 (50 व० मी०)	250 व० मी०

3.3 प्रशासकीय क्षेत्र

मद	तल क्षेत्र/संख्या	
	अनिवार्य	अपेक्षित
*प्राचार्य कक्ष	25 व० मी०	40 व० मी०
*स्टाफ कक्ष	30 व० मी०	50 व० मी०
*अलग अलग कक्ष	—	प्रत्येक के लिये एक 20 व० मी०
*कार्यालय कक्ष	40 व० मी०	70 व० मी०
*भंडार कक्ष :		
*(क) उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)	25 व० मी०	40 व० मी०
*(ख) खेलकूद का सामान	25 व० मी०	40 व० मी०
*प्रसाधन कक्ष (शौचालय आदि)	2 (पुरुष) 2 (महिला) 1 कर्मचारी	4 (पुरुष) 4 (महिला) 2 कर्मचारी

attested 27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

208

3.4 पुस्तकालय एवं वाचनालय

एक पुस्तकालय एवं वाचनालय हो जिसका तलक्षेत्र 150 वर्ग मीटर होना अनिवार्य तथा 250 वर्ग मीटर होना अपेक्षित है। वाचनालय में कम से कम 30 विद्यार्थियों के लिये स्थान हो।

अनिवार्य : इसमें 1000 मानक पाठ्यपुस्तकें /सन्दर्भग्रंथ तथा 5 राष्ट्रीय व्यावसायिक पत्र पत्रिकायें हैं।

अपेक्षित : 2000 पुस्तकें तथा 15 व्यावसायिक पत्र-पत्रिकायें रहें। इसमें प्रति वर्ष 200 पुस्तकें जोड़ी जायें।

3.5 विद्यार्थी छात्रावास

अनिवार्य

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप के अनुरूप अपेक्षा यह है कि प्रारम्भ में कम से कम 50 प्रतिशत और 5 वर्ष के भीतर शतप्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। महिला और पुरुष विद्यार्थियों के लिये अलग-अलग छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिये।

3.6 कर्मचारी आवासगृह (स्टाफ क्वार्टर्स)

अपेक्षा यह की जाती है कि प्रारम्भ में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को और 5 वर्ष के भीतर शतप्रतिशत कर्मचारियों के रहने के लिये आवासगृह (स्टाफ क्वार्टर्स) दे दिये जायेंगे। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिये (अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक वर्ग दोनों के लिये) आवासगृहों के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रामाणिक मानकों का पालन किया जाना चाहिये। प्राचार्य/प्रधान, वार्डन, कर्मचारी वर्ग और ग्राउण्ड मेन के रहने का स्थान संस्थान के परिसर क्षेत्र में ही होना चाहिये।

3.7 इंडोर तथा आउटडोर खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों के लिये सुविधायें

3.7.1 इंडोर खेलकूद सुविधायें

एक बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल/जिमनाजियम

अनिवार्य : हाल 30×20 मीटर

अपेक्षित : पूर्ण आकार की जिमनाजियम।

3.7.2 आउटडोर स्पोर्ट्स (बाहर मैदानों में खेले जाने वाले खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए सुविधायें

मूल रूप से इस स्तर पर कार्यक्रम एक उच्चतर के शैक्षिक स्तर एवं शोधपरक ही रहेगा। तथापि खेलों और अन्य खेल कार्यक्रमों (स्पोर्टस) के लिये यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि उपयुक्त सुविधायें रहे।

शारीरिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यक्रम सुबह जल्दी और देर सांयकाल के समय आयोजित किये जा सकते हैं।

3.8 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

3.8.1 प्रयोगशालाएं

अनिवार्य :

(1) स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

अनिवार्य	अपेक्षित
*एक लीवर चालित तुलनयंत्र (ए लीवर ह्वेइंग मशीन) *एक एन्थ्रोपोमीटर *अपेक्षित भार-लम्बाई मापी सारिणी चार्ट	*बोडी कम्पोजीशन एनेलाइजर *हैल्थ-स्टाइल टेस्टिंग यूनिट *पानी के भीतर तुलन-घनत्व एवं मोटापा-प्रवृत्ति मापी यंत्र

(2) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

अनिवार्य	अपेक्षित
*लाउडस्पीकर (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) *स्लाइड प्रोजेक्टर *टेपरिकार्डर *ओवरहैड प्रोजेक्टर *एक ऐपिआडिस्कोप *डिस्प्ले बोर्ड (3) *वीडियो रिकार्डर (वी० सी० आर०)	*एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर *मूवी कैमरा

attested सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

209

(3) फिजियो-थेरापी प्रयोगशाला

अनिवार्य	अपेक्षित
*डायग्नोस्टिक टेबिल *इन्फ्रारेड लैम्प *स्टेरिलाइजिंग यूनिट *प्रथमोपचार बाक्स (फर्स्ट-एड बाक्स) *रक्तचाप-मापी यंत्र *स्टैथोस्कोप *गोनियोमीटर *स्टाप वाच *ओरल थर्मामीटर *आइस बाक्स *वायब्रेटर्स–2 *एक्सरसाइजर (बाइसिकिल)	*अल्ट्रासाउण्ड थेरापी यूनिट *शोर्टवैव थेरापी यूनिट *व्हील चेयर *एक जोड़ी बैसाखी (क्रचेज) *तुलन मंत्र *स्किनफोल्ड कैलिपर *इलाक्ट्रानिक्स बायसिकिल एर्गोमीटर (श्वसन क्षमता) *(अपटेक कैपेसिटी) की माप के लिये) *एक आपरेशन टेबिल

(4) अनाटोनी–फिजियोलाजी प्रयोगशाला

अनिवार्य	अपेक्षित
*मीटरोनोम्स–1 *शरीर संरचना की विभिन्न प्रणालियों के माडल और चार्ट *एपरेटस–2 *स्टापवाच––5 *स्पाइरोमीटर––2 *इलाक्ट्रानिक बैरोमीटर *तुलन यंत्र	*कैलोरीमीटर *कियोनोमोग्राफ *ट्रेडमिल *एग्रोनियमो मीटर *इलैक्ट्रानिक तुलन-यंत्र *ब्लेंडिंग मशीन *स्किनफोल्ड कैलिपर *हेमोग्लोबिन मीटर––5 *लंग फंक्शन टेस्टर माइक्रोस्प्रिओ

(5) खेल कूद औषधि प्रयोगशाला

अनिवार्य

डायग्नोस्टिक टेबिल, इन्फ्रारेड कैम्प, स्टेरिलाइजिंग यूनिट, प्रथमोपचार बाक्स (फर्स्टएड बाक्स), रक्तचापमापी यंत्र स्टेथोस्कोप गोनियोमीटर, स्टापवाच, ओरल थर्मामीटर आइस बाक्स, वायब्रेटर्स–2 एक्सरसाइजर (बाइसिकिल)।

अपेक्षित

अल्ट्रासाउण्ड थेरापी यूनिट, शोर्टवेव थेरापी यूनिट, व्हील चेयर, एक जोड़ी बैसाखी (क्रचेज), तुलनयंत्र, स्किनफोल्ड कैलिपर, इलैक्ट्रिनिक्स बायसिकिल एर्गोमीटर (श्वसन क्षमता) (अपटेक कैपैसिटी) की माप के लिये, एक आपरेशन टेबिल।

(6) खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

मनोविज्ञान मापी यंत्र तथा अन्य यंत्र

(7) बायोमेकेनिक्स प्रयोगशाला

बायो-मेकेनिक्स मापी यंत्र तथा अन्य यंत्र

3.8.2 खेल कूद (स्पोर्ट्स)

(1) एथलेटिक्स

*हर्डल्स	20
*स्टार्टिंग क्लिपर	1
*मेजरिंग टेप (लोहे के)	4
*ट्रेक निशानदेही के लिये एक तार	1
*स्टापवाच	6
*स्टार्टिंग ब्लाक	6
*हाई जम्प अपराइट्स (एक जोड़ी और छः क्रासबार)	1 जोड़ी
*वोल्टिंग बाक्स	1
*डिस्क्स (चक्का) पुरुष तथा महिला	प्रत्येक के लिये 6
*हैमर (गोला) पुरुषों तथा महिलाओं के लिये)	6
*शौटपुट्स	6

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

210

*स्टाप बोर्ड	2
*सर्किल्स	2
*फिनिश (छोर) पर निर्णायकों के लिये स्टैण्ड	2
*झण्डों के लिये खम्भे (पोल)	
*जैवेलिन—पुरुष तथा महिला (जिनमें दो एल्यूमिनियम के हों)	6
*टेक आफ बोर्ड	2
*चटाइयां	6

(2) खेल

*बास्केट बाल बोर्ड तथा रिंग	1 (पूरा सेट)
*बालीबाल पोस्ट	2 सैट
*क्रिकेट, सोफ्टबाल, थ्रो बाल के लिये उपस्कर (कम से कम एक दर्जन बाल सहित)	
*टेबिल टैनिस टेबिल	2
*फुटबाल के गोल पोस्ट तथा नेट	1 जोड़ी
*हैण्डबाल पोस्ट	1 जोड़ी
*बैडमिन्टन पोस्ट	4
*हाकी गोल पोस्ट तथा नेट	1 जोड़ी
*भारोत्तोलन सेट	

(3) खेलकूद का सामान तथा अन्य वस्तुयें

*लेजम	50 जोड़ी
*बालीबाल	24
*हैण्डबाल	6
*फुटबाल	24
*बास्केटबाल	24
*डम्बेल	50 जोड़ी
*इण्डियन क्लब्स (भारतीय मुग्दर)	50 जोड़ी
*बीट बोर्ड	
*मार्शल आर्ट के लिये उपकरण	
*पैरेलल बार	1
*पैरेलल बार (अनईविन लड़कियों के लिये)	1
*होरीजोन्टल बार्स	1
*रोमन रिंग्स	2
*रस्से चढ़ने के लिये	6
*जूट के मैट	1 दर्जन
*भारोत्तोलन सेट/पावर लिफ्टिंग सेट/भार प्रशिक्षण सेट	1
*बैलेंस बीम (एडजस्टेबिल सेट)	1
*पोमेल्ड होर्स	1
*शटल कौक्स	10 दर्जन
*हाकी स्टिक	24
*बेडमिन्टन रैकेट	12
*हैण्डबाल	6

3.8.3 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

पर्याप्त संख्या में उपर्युक्त यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

3.8.4. विविध

छोटे-छोटे प्रमुख खेलों, मनोरंजन खेलों, रिले दौड़ तथा कुश्ती आदि जैसे कम्बेटिव खेलों के लिए जो भी यंत्र-संयंत्र चाहिए, उन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए ।

4.0 शैक्षिक अवदान

4.1 कार्य दिवस

अनिवार्य

200 दिन (1400 घंटे)

अपेक्षित

220 दिन (1540 घंटे)

छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्यदिवस 7 घंटे का रहेगा । (सिद्धान्त के लिये 3 घंटे तथा प्रायोगिक विषयों के लिये 4 घंटे)। 5 दिन के सप्ताह होने पर घंटे अनुपात में रहेंगे ।

4.2 प्रवेश

4.2.1 पात्रता

शारीरिक शिक्षा के रूप में मुख्य विषय लेकर किसी भी विषय में स्नातक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा विषय लेकर किसी भी विषय में स्नातक, साथ ही परीक्षा में (उच्च माध्यमिक परीक्षा) कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

अथवा

कोई भी स्नातक जिसने राज्य अंतरविश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो

अथवा

शारीरिक शिक्षा में स्नातक 50 प्रतिशत अंक

4.2.2 चयन क्रियाविधि

अनिवार्य

सभी प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए । योग्यता की सूची में स्थान का निर्धारण योग्यता निर्धारण परीक्षा (क्वालीफाईंग एग्जामिनेशन) तथा/अथवा साक्षात्कार तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा ।

अंकों में निम्नलिखत दर से वृद्धि की जाएगी :

(क) सिद्धांत विषय में परीक्षा		वृद्धि 60 प्रतिशत
(ख) खेलकूदों में भाग लेने का स्तर		बृद्धि 40 प्रतिशत
(1) अंतर्राष्ट्रीय स्तर		40 अंक
(2) राष्ट्रीय स्तर	(पहला स्थान)	30 अंक
	(दूसरा स्थान)	25 अंक
	(तीसरा स्थान)	20 अंक
	भाग लेने पर	15 अंक

21

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(3) अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय

पहला स्थान	20 अंक
दूसरा स्थान	15 अंक
तीसरा स्थान	10 अंक
भाग लेने पर	08 अंक

(4) अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर :

पहला स्थान	10 अंक
दूसरा स्थान	5 अंक
तीसरा स्थान	3 अंक
भाग लेने पर	2 अंक

सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिये ।

5.0 वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान तथा आरक्षित निधि

संस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और ऐसी स्थिति में होना चाहिएकि उसका कार्य चलाना संभव हो । सरकार/स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों विश्वविद्यालय को यह दायित्व लेना चाहिए कि समय-समय पर उसके पास पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था बनी रहे निजी उद्योग से चलाये जाने वाले संस्थानों के पास 5 लाख रुपये की वृत्तिदान निधि और इतनी आरक्षित निधि रहनी चाहिए जिससे वे अपने कर्मचारियों को तीन माह के वेतन का भुगतान कर सकें ।

52 बजट–निर्माण

संस्थान को अनिवार्य रूप से बजट बनाने, खर्च की मंजूरी देने लेखा रखने और लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं पद्धतियों को अपनाना होगा । वार्षिक/लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी चाहिए ।

5.3 लागत खर्च

(1) अनावर्त्ती

स्थान के भवन, खेल के मैदानों, पुस्तकालय, प्रयोग शालाओं, भवन में साजसामान (फर्निशिंग एंड फिटिंग्स) पर पर्याप्त धन का विनियोग होना चाहि

	अनिवार्य	अपेक्षित
क. संस्थान का भवन और खेल के मैदान	20 लाख	50 लाख
ख. उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) तथा पुस्तकें	2 लाख	5 लाख
ग. फर्नीचर	2 लाख	4 लाख
घ. विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	—	20 लाख
ङ. कर्मचारियों के लिये आवास	—	25 लाख

(2) आवर्त्ती : वार्षिक

	अनिवार्य	अपेक्षित
क. वेतन	(वि०वि०अ०आयोग/राज्य/केन्द्रीय सरकार के मानकों के अनुसार)	
ख. रख-रखाव का खर्च, (मानदेय, यात्रा, क्षेत्र-भ्रमण, पुस्तकालय, प्रयोग-शालाएं, पुस्तकालय के लिये पुस्तकें, कम्प्यूटर तथा सामान्य सुखसुविधाओं आदि की खरीद पर खर्च)	2 लाख	5 लाख
ग. खेलकूद की सामग्रियों की भरपाई	50,000/–	25,000/–
घ. खेलकूद तथा एथलेटिक्स का सामान	1,25,000/–	1,50,000/–

टिप्पणी : सुख–सुविधाओं और सहूलियतों में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रति वर्ष योजना–शीर्ष के अंतर्गत 2 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

5.4 शुल्क

शुल्क की दर समय–समय पर राज्य सरकार/विश्वविद्याल द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क निर्धारित करने का मान दंण यही है कि वह आवर्त्ती लागत खर्च के रूप में प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी पर जितना खर्च होता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए ।

अपेक्षा यह की जाती है कि पहले योग्यता और साधन के के आधार पर 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण देने/छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी ।

6.0 एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन/परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

attested 23/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

212

1	2	3
9.	4091	— After the entries relating to "ENDOCRINOLOGY", the heading IMMUNOLOGY may be inserted before the entries "(A) Professor ...... DM IMMUNOLOGY) etc."

Mrs. M. SACHDEVA
Secretary

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

C-2/10, Safdarjung Development Area
Sri Aurobindo Marg

New Delhi-110 016, the 29th December 1998

F. No. 28-9/96 NCTE—In exercise of the powers conferred under sub-clause (f) and (h) of sub-section (2) of the Section read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993) the National Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations to further amend the NCTE (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations, 1996 issued vide F. 28-9/96 NCTE dated February 6, 1977.

1. These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) (Amendment) Regulations, 1998.

2. They shall come into force with immediate effect.

3. The existing Appendix II to the National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996 and referred to in sub-para (b) of para 9 and sub-para (b) of para 10 of the said Regulations 1996 shall be substituted by the enclosed Appendix II—Norms and Standards for Teacher Education Institutions—(B.Ed distance education including correspondence) (Secondary).

SURENDRA SINGH
Member Secy.

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

[B. ED. DISTANCE EDUCATION INCLUDING CORRESPONDENCE] [SECONDARY]

1. Preamble

The NCTE accepts distance education as a useful and viable mode for training teachers presently serving in schools. This mode is also useful for providing training and continuing education support for other functionaries working in the school system. However, it is unacceptable as a mode for pre-service teacher training or for conferring degrees/certificates in teacher education as a qualification for seeking employment as a teacher. Further, wherever this mode is used for training, it should be ensured that it satisfies the prescribed conditions and requirements.

This document presents the norms and standards for distance education of teachers including correspondence programmes leading to B.Ed degree. These norms apply to all institutions offering distance teacher education programme whether as the only exclusive educational programme of the Institution or as one of several other programmes offered by them. In the latter case, the building and other physical facilities may be shared with the other programmes without compromising the quality of the course. The norms and standards specify the details of the conditions to be satisfied for recognition, permission and additional intake for any course or training in teacher education.

The norms are stated under two categories/levels—(i) essential norms are the minimum requirements that all institutions should fulfil in order to be eligible for recognition/permission and additional intake and (ii) desirable norms indicate directions which institutions should strive to move towards in a reasonably short period of time.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

213

Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

1.1. Guidelines For B.Ed. Programme Through Distance Education Including Correspondence Mode—A Summary

- Course Title—B.Ed. through Distance Education Mode for Secondary schools.
- Jurisdiction—Each University will admit only those candidates who are currently working in schools systems located in the terrritorial jurisdiction assigned to it by the Act/State Government.
- Entry Qualifications—Entry qualifications for admissions shall be graduates having at least two years teaching experience as full time regular teachers in recognized schools. Admission will be based on the length of service, preference to be given to secondary school teachers.
- Number of Seats—The maximum number of seats shall be determined every time by consultation between university and the State Govt. concerned, taking the following parameters into consideration:
  - — Jurisdiction
  - — Human resource development requirements
  - — Needs of teachers in the school system
  - — Number of untrained teachers in the State
  - — Organizational capacity of the university.
- Capacity of conventional teacher education system to support the delivery of programme. Only teacher education institutions offering regular B.Ed. Programme recognized by the NCTE shall be designated as study centres.

Only one study centre shall be hosted by an institution. Maximum number of student teachers in a study centre shall not exceed 100 per batch. Interactional sessions shall not have more than thirty students. Group work shall be organised in smaller groups of ten students.

- Duration—24 months excluding time taken for admissions. The maximum period to complete the Programme shall not exceed five years.
- Tuition Fee—Fee shall be limited to cover the operational cost of running the programme as determined by the University and the concerned Government.
- Programme Components
  - — Adequate amount of self-learning printed course-material in distance education format. Sample evaluation of material to be conducted by Committees to be set up by NCTE.
- Provision for audio and video packages.
- Regular assignments which are fully evaluated within stipulated time. There would be two assignments in each of the papers/courses out of which one would be a practice oriented assignment.
- Internship of 4 weeks duration, during which the student teachers deliver at least 40 lessons in the schools they are serving, 10 of which will be supervised by the regular teacher educators of training institution/university departments.
- Minimum 300 hours of compulsory contact programmes at the rate of a maximum of 6 hours per day, spread over 12 weeks. These will be conducted by qualified teacher educators from the university departments/ Colleges of Education with emphasis on group work, individual and collective reflection, experiential learning, and direct and mediated experiences of field using small groups of 10 student teachers. No contact class will consist of more than 30 student teachers in one group.
- Evaluation shall be comprehensive and continuous, with formative evaluation having a minimum of 30% weightage for theory courses.
- Fees shall be limited to cover the operational cost of running the programme.
- Staff—10 teachers for an intake of 500 students. At the study centres : 1 teacher for 10 students.
- Examinations will be conducted on specified days, outside the period assigned to the contact programmes. Minimum of 80 per cent attendance in contact programmes would be necessary.

2. Human Resources

2.1 Sraff for Headquarters/Nodal Centre

The teacher education through Distance Education includes a number of activities like course designing, course development, checking students' assignments, monitoring self corrective learning materials, organizing contact programmes, monitoring student-teaching, orientation of the staff at study centres, etc. The faculty at the nodal centres /Hqrs will ensure proper implementation in respect of all

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

214

these. It is essential that facilities and expertise be made available both at the university headquarters as well as study centres. The central unit or examining university would not act only as an administrative body but also act as active resource centre. It is essential to appoint full-time well qualified staff. Sufficient part-time faculty should also be made available.

There shall be a faculty strength of ten members including two Professors and four Readers at the University/Institutional Headquarters for an intake of up to 500 students to co-ordinate programme delivery, course maintenance and revision. For every additional 500 students or part thereof there shall be one additional faculty member. At the study centre there shall be at least one teacher educator for every ten student teachers on a part-time basis. Requisite number of additional part-time faculty shall be hired for internship, workshops and contact programmes.

2.2. Staff for Study Centre

The teachers will be on part time basis.

2.3 Teaching Staff

Designation	Number Required		Specialization	Qualification & Experience
	Essential	Desirable		
Head/Director (Professor's Rank)	One	—	Education	As laid down by UGC/Government Norms; Ph.D in Education with Masters Degree First/Secon Class. 10 years experience in teaching and or/research or administration in educational institutions/management development of instructional materials.
Professor	One	—	Do.	
Reader in Education	Four	—	Do.	Experience and/or additional qualification in distance education.
Lecturer in Education	Four	—	Do.	As laid down by/UGC/Government.

Note : While appointing staff care should be taken to cover as many methods subjects as possible.

2.4 Technical Support Staff

Designation	Essential	Desirable	Qualification
Assistant Librarian	1	2	Dinloma in Library Science
Technical Assistant	1	2	ITI Certificate/Diploma. HSC with training in A-V B.Sc.
Computer Operators	2	3	Diploma in Compuer Education

2.5 Administrative Sta and Helpers

Designation	Essential	Desirable	Qualification
Office Assistant-cum-Typist	1	UDC-1	As per University/Central/ State Govt. norms
Accounts Asstt.-cum-Clerk]	1	LDC-Account-1, Typist-1	Do.
Helpers	3	5	Do.
AR/Office Superintendent/Section Officer	1	—	Do.

2.6 Nature of Employment of Staff

All staff shall be appointed on full time regular basis after selection by properly constituted selection Committee.

The salary structure of teaching staff should be as per Government/UGC/ NCTE : Norms.

3. Physical Infrastructure

Space and Buildings.

3.1 Headquarters / Nodal Centre

Nodal Centre will be the universities/institutions that will undertake the responsibility of running the course. Nodal Centre will (a) design, plan, and develop course material (b) organise campus courses or Personal Contact Programme (c) make all necessary arrangements for study centres, field practicum centres and (d) fund, guide, supervise and evaluate all programme components.

3.1.1 Land Area and Location

Adequate land area of approx. 3000 sq.m. has to be provided for various academic and administrative functions. Adequacy of land area will depend upon the socio-economic conditions of

attested 27/4/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइंस, दिल्ली–54

25

the region, curricular requirements, staff strength, etc.

The institution should be preferably located in a noise and pollution free environment. There should be good transportation and communication facilities. Sufficient drinking water and regular electricity should be available. Toilet facilities for staff, men and women students should also be available.

3.1.2 Building Space

Rooms	Furniture	Floor Area
1. Head's room	Chairs-6: Table.1; Almirah-1	20 sq. m.
2. Faculty Rooms (8)	Chairs and Tables—one each, Some extra chairsls/seats, Almirah—one each	8×20 sq.m.
3. Material Production Centre*	Filling cabinets, Almirahs as needed	80 sq. m.
4. Store Room (General) (1)	—	25 sq. m.
5. Store Room for storing produced material (1)	—	50 sq. m.
6. Office Rooms (2)	Filing cabinets, Almirahs Tables, Chairs as needed	240 sq.m.
7. Library** (1)	Tables and Chairs for 10 persons Catalogue cabinet, Book Shelves as needed	80 sq. m.
Computer Room (1)	Computer Table-1, Chair—1, Chair for console—1	20 sq.m.
9. Conference Room (1)	Long Table-1, Chairs—50	60 sq.m.
10. Committee Rooms (2)	Tables and Chairs—20 each	30 sq. m. each

* Material Production Centre—Production Wing

Distance Education institutions produce and use training, teaching, learning and evalution materials. The strength of the programme lies in the quality, quantity and variety of these materials.

It is desirable to have equipment like DTP with laser printer, dot matrix, Xerox machine, electronic typewriter and printing facility, audio and video production centres. The audio production centre requires audio recording machines, audio cassettes for reproduction of multiple copies of high quality, sound dubbing equipment and editing machines. The video productiont centre having equipments like vedio cameras, light and sound equipment, VCRs, editing equipment, may be added for producting vedio materials.

**Library

It is essential that the nodal centre has a well equipped library with a minimum of 3000 books and 10 professional journals with provision of addition of at least 200 books every year.

3.1.3 Staff Quarters

Desirable

Principal's/Director's residence should be provided on the campus. Quarters for at least 50% of the teaching staff may also be provided. Quarters for all staff (both teaching and non-teaching) may be provided as follows in those areas where housing is an acute problem :

Item	Number
Head (of Professor's Rank)	1
Professor	1
Readers	4
Lecturers	4
Technical Support Staff	10
Helpers	5

3.2 Study Centres

These centres could be located within or outside the nodal centre. The study centres could be spread over different teacher education institutions/ colleges affiliated to the university, but within the area of jurisdiction of the university. Only those teacher education institutions offering B.Ed. programme which are recognised by the NCTE shall be designated as study centres provided that only one study centre shall be hosted by one such institution. Adequate space and facilities should be available for organising tutorials, counselling, group discussions, individual studies and display of assignments and response materials of students etc.

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

216

3.2.1 Building Space and Facilities

For a unit of 100 students the following built in space is prescribed as the minimum essential :

	Number	Area
(i) Classrooms	2 each	60 sq. m.
(ii) Multipurpose room	1	100 sq. m.
(iii) Hall	1	125 sq. m.
(iv) Multipurpose Laboratory for Computer, Psychology and Science Practical	1	Approx 100 sq. m. + 45 sq. m. for storage space
(v) Library room with reading facilities for at least 30 students	1	50 sq. m. including storage space
(vi) Work experience room	1	60 sq. m.
(vii) Principal's room with attached toilet facilities		
(viii) Staff room	1	25 sq. m.
	1	60 sq. m.
(ix) Office room	1	40 sq. m.
(x) Store room	1	25 sq. m.
(xi) Common room with adequate space for women students		
(xii) Separate toilets for girls, boys and teachers/staff		25 sq. m.
(xiii) Provision for drinking water facilities in at least two places with drinking water available at all times during working hours.		
Desirable		
(i) Seminar room	1	100 sq. m. for 120 students
(ii) Separate laboratories for Science, Psychology, Educational Technology	1 each	75 sq. m. with 15 sq. m. for storage
(iii) Small group work rooms	2	25 sq. m.
(iv) A large multipurpose Hall	1	150 sq. m.
(v) Separate school subject rooms		30 sq. m. each
(vi) Separate room for teachers		20 sq. m.
(vii) Canteen, if possible on co-operative basis		

The measurements mentioned as essential or desirable serve as a guide. It is to be ensured that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of the required number can be conducted conveniently and comfortably.

3.2.2 Laboratories

There will be two types of labs i.e. general labs and course-specific labs. The general labs are : Psychology lab, Educational Technology lab, etc. Course-specific lab, such as Science lab, Computer lab, Work Experience lab etc. will be considered essential with reference to the specializations offered in the programme.

3.2.2.1 General Laboratories

(a) Psychology Laboratory

Institutions of Distance Teacher Education should have a Psychology Laboratory of 75 sq. m. area of which 15 sq. m. will consitute the store room for educational and psychological tests and other instruments. The remaining space of 60 sq. m. will be used for practical work by students working in groups. A separate Psychology Lab having upto date tests, equipment, and other materials is desirable.

(b) Work Experience Laboratory

A work experience lab of floor area 75 sq. m. should be provided in the institution conducting

attested
27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

217

practicals in the chosen area of work experience. The work experiece lab should be equipped with the required tools and equipment related to the concerned work experience area/areas offered by the institution.

(c) Educational Technology Laboratory

A room of floor area 60 sq. m. with adequate audio-visual and mass media equipment should be available for practical work by students in smaller groups. Students may also use this lab for the preparation of teaching aids. The staff of the institute may also use this lab for the purposes of producing insturctional materials.

(d) Library-cum-Reading Room

A library-cum-reading room of floor area 100 sq. m. is essential for each institution. It should have adequate reading room space and storage space for books. It will be desirable to have small study cabins in the library for the users.

3.2.2.2 Course Specific Laboratories

(a) Science Laboratory

There should be a science lab of area 75 sq.m. of which about 15 sq.m. for the storage of apparatus and chemicals and 60 sq.m. for practical work. There should be adequate number of work tables. During the time of non-occupancy, the science lab can be used for other curricular activities in science education.

(b) Computer Laboratory

A room of floor area 50 sq.m. with at least five personal computers will be required for this lab. With such a facility, the students can learn both theory and acquire hands on experience in Computer Education. It is an essential lab for those who opt for computer teacher education.

3.2.3 Equipment

3.2.3.1 Laboratories

(a) Science Laboratory

Essential

The study centres should make available at least one set of all science apparatus required to perform the experiments prescribed at different school levels. All required chemicals should be available on the shelf and in the almirah meant for keeping chemicals and other equipment.

Desirable

Multiple sets of some apparatus may be provided so that more than one student teacher can perform the same experiment at the same time. Some apparatus to perform innovative and higher level experiments may also be provided.

(b) Psychology Laboratory

Apparatus for simple experiments related to educational psychology.

Essential

Intelligence Tests (performance, non-verbal and verbal), Aptitude Tests, personality Scales, Attitude Tests and Interest Inventories.

Desirable

Multiple sets of the above tests, sensory-motor tests.

(c) Educational Technology

Essential

Audio Cassette recorder, Slide-cum-film-strip projector, 35 mm. Still Camera, VCP, blank audio cassettes and Art materials for preparation of charts and slides.

Desirable

Radio, TV, VCR, Amplifier, Loudspeakers, Microphone, Video Camera, Video Cassettes, Computer PC.

(d) Multipurpose Workshop & Work-Experience Activities

Essential

Two sets of working hand tools, two sets of gardener's tools, other essential equipment required for work experience activities provided in the study centre.

Desirable

Multiple sets of hand tools.

3.2.3.2 Games and Sports

It is desirable to have simple equipment and materials for games and sports. These can also be used for practising game or play based pedagogy, and for conducting action research in related areas.

Attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

218

3.2.4 Books and Journals

Essential

The library at the study centre should have initially multiple sets of instructional modules/modular materials and texts books. It is desirable to have at least 100 sets so as to cover 500 students. Apart from this, there should be at least 5000 books including texts and reference books. The study centre should subscribe to a minimum of ten professional journals national and international.

Desirable

At least 7000 books including text books and reference books, with a provision of adding at least 100 titles per year. It should subscribe to at least 15 journals. These books and journals will help to transform and innovate the given programmes.

3.2.5 Furniture

All rooms in the study centre should have adequate and appropriate furniture. The norms for furniture in different rooms of the institution are as follows:

NORMS

NATURE OF FURNITURE	ESSENTIAL	DESIRABLE
1. Classrooms: Two The 1st & 2nd year classes are not to be arranged simultaneously.	1 Set for each student x 50 sets for each classroom.	75 sets for each classrooms
Table & Chair for Teacher	1 set (2·5m x 1m x 1m)	Appropriate size
Blackboard	One	Two
2. Seminar Room: Students' & Teachers' Tables & Chairs	An adequate number to accommodate 100 students & 10 teachers	Enough to accommodate more teachers & students
3. Hall with Dais: (One), & Chairs	Dais (3 x 6 x 0·5m) Halls sufficient to accommodate 150 students	Sufficient to accommodate about 200 students and teachers
4. Laboratory: (Science, Psychology, Educational Technology)		
Work Tables (1·25 x 0·9 x 0·1)	5 in each laboratory	5 in each lab
Stools (0·6 ht.)	25 in each lab	25 in each lab
Demonstration Table & Chair,	Demo. table 1 in each lab	1 in each lab
Steel Almirah,	1 in each lab	2 in each lab
Storage racks	2 in each lab	4 in each lab
5. Workshop :		
Work Benches (1·25 x 2 x ·75)	4 benches	6 benches
Stools (0·5 ht.)	25 stools	30 stools
Teacher's Table & Chair	1 each	1
Steel Almirah	1 each	2
Storage racks	2 each	4
Black Board (3·5 x 1)	1	1
6. Principal/Head/Director's Room Table, Steel Almirah, Book Rack, Filing Cabinet, Telephone/Fax	One each	One each
Chairs	10	15
7. Teachers' Room : Almirah/Cabinets, Tables & Chairs	One for each Teacher	Same as essential by having good quality materials.
8. Office Room : Chair & Table, Extra Chairs, Steel Almirah, Filing Cabinet, Filing Racks, Notice Boards, Stools	Adequately furnished	Sufficiently furnished by having good quality materials.
9. Store Room : Steel Almirah, Storage Racks etc.	Three in each store room	Four or Five in each store room
10. Students' Common Room : Chairs, Long Tables etc.	Adequate to accommodate 25 students	Sufficient to accommodate 40 students

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली—54

219

3.3 Personal Contact Programme Centres

Personal Contact Programme may be organized at the nodal/study centres. These centres will be equipped with adequate AV equipment. Staff for these centres may include, one coordinator, ten teachers and technical support personnel. Adequate facilities for Coordinator's room, Class room and Store room etc. should also be available.

3.4 Field Practicum Centres

These are the selected schools where student teachers are working for the organization of practice teaching, work experience, action research studies, and innovative curricular practices. It is necessary to have nearly 50 field practicum-centres for 500 student teachers of first year and 500 student teachers of second year.

4. Academic Input

4.1 Duration

24 months for B.Ed. course: exclusive of the time taken for formalities of entrance test, admission, etc.

4.2 Eligibility

Only full time regular teachers who are graduates and are serving in recognized schools (primary, secondary or higher secondary levels) located within the jurisdiction of the institution and with a minimum of two years of teaching experience. Admission will be considered on the basis of access to the study centres, and length of service in recognised schools. Preference will be given to teachers working in secondary schools.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

4.3 Materials

(a) Adequate amount of self-learning printed course material in distance education format, for which sample based evaluation of the printed materials has to be done by a Committee to be set up by NCTE.

(b) Adequate provision for Audio and Video packages in each course/paper.

(c) Regular Assignments which should be duly evaluated within stipulated time. There would be two assignments per year, one in each of the papers/courses.

4.4 Contact Programmes

There will be minimum of 300 hours (60×5 or 50×6) of compulsory contact programmes of 5/6 hours spread over 5 day-12 weeks or 6 day-10 weeks. At least 80% attendance will be required. These programmes will be conducted by teacher educators from the university departments/training colleges. During this period, the experts will also see the extent to which the student teachers have mastered teaching skills during internship. No contact class will consist of more than 30 student teachers in one group.

4.5 Evaluation

Formative and summative evaluation will be conducted in all curricular and co-curricular areas of the courses. The University/Examining bodies will ensure continuous and comprehensive evaluation as per the guidelines. The written, practical, oral, and other innovative forms of evaluation will be employed as and when necessary. The institution will ensure continuity of feed back on the basis of evaluation of assignments, practical, and other activities. The overall framework of marks, marking/grading shall be comparable to those in the regular programme. Formative (internal) evaluation shall have a minimum of 30% weightage for theory courses. There shall be separate pass marks for both formative (internal) and summative (external) evaluation. Practical components shall be internally evaluated in terms of grades.

4.6 Student Support System

The University/Examining Bodies and Study Centres, Personal Contact Programme Centre, co-operative teacher education colleges, practicing schools, field practicum centres etc. will co-ordinate for achieving high quality of the programme.

attested [signature] 27/4/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-

220

4·7 Practicals

Practical Work to be done by each student	Essential	Desirable
Experiments relevant to school syllabus for Science Student.	3	5
Projects for other students	2	3
Preparation of Teaching Aids	5	10
Administration of Psy. Tests, Scoring, Interpretation & other experiments of relevance	3	5
Operation of audio-visual equipment	3 different Items	5 different items
Preparation of lesson plans, including unit plans	40 including unit plans-2(one of each subject)	50 with Innovative teaching models
Total number of lessons to be delivered	40	50
Observation of demonstration lessons in each method subject given by teacher educators	Minimum 2 One in each subject	4
Observation of lessons taught by peer senior student teachers	2	4
Observation of supervised lessons given by peers	10	15
Construction of test items, unit test and examination question paper in each subject	20+1+1	30+2+2
Case study/action research/other project	1	2

4.8 Internship

An internship of 4 weeks duration, during which the teacher trainees deliver at least 40 lessons, 20 in each subject etc. in the schools they are serving, 10 of which will be supervised by the specified teacher educators of training colleges/university departments.

5. Financial Provisions

5.1 Endowment and Reserve Funds

The institution should be financially sound and viable. Government/Local Self-Government/University institutions should undertake to provide adequate finance from time to time. Institution under private management should have an endowment fund of Rs. five lakh and a reserve fund of an amount equal to three months salaries (unless full grant-in-aid is assured.)

5.2 Auditing

The institution must adopt coursewise budgeting expenditure sanctioning, accounting and auditing procedures/systems. The annual accounts should be audited by authorities including duly approved Chartered Accountant.

5.3 Cost

5.3.1 Non-Recurring Cost

(i) Nodal Centre

Suitable institutional building with adequate space and fittings for (a) academic wing, (b) administrative wing, and (c) resources wings alongwith Study Centres and Personal Contact Programme Centres (PCP). Adequate cost estimation of non-recurring items like buildings, books, furniture, endowments funds, etc. shall be not less than Rs. 40 lakh.

5.3.2 Recurring Cost

Salaries (for regular faculty/staff)	As per UGC/Government norms
Other recurring costs	Rs. 15 lakh for 500 students
	@ Rs. 3000/- per year per student
Expenditure on library	Rs. 1 lakh
Books and Journals etc.	@ Rs. 200 per year per student

6. More than One Course in the Same Institution

If one or morles courses in teacher education run by the same institution in the same building complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

attested 27/4/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

221

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

C-2/10, Safdarjung Development Area Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016, the 29th December, 1998

F. No. 28-4/98-99/NCTE.—In exercise of the powers conferred under sub clauses(f) and (h) of sub-section 2 of section 32 read with Sections 14 and 15 of National Council for Teacher Education Act 1993 (No. 73 of '93) National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations:—

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Norms and Conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education-B.El.Ed.) Regulations, 1998.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to institutions including universities, open universities, constituents thereof and any other bodies called by whatever name and style and courses in B.El.Ed.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires—

(i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institution at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution.

(iii) "Regional Committee" means a committee established under Section 20.

(iv) All other terms shall have the same meaning as contained in Section 2 of the Act.

4. Application for Recognition

(i) Every institution offering/intending to offer a course or training in B.El.Ed. shall make an application in the form obtainable from Regional Committee of NCTE on payment of price fixed by NCTE from time to time for recognition under the Act.

(ii) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

5. Application for permission to start new course or training or increase in intake.

(i) Where any recognised institution intends to start any new course or training in B.El.Ed. it shall make new application in the form obtainable from Regional Committee of NCTE on payment of price fixed by NCTE from time to time to the Regional Committee concerned.

(ii) Where any recognised institution intends to increase its intake of students beyond the intake approved for such course or training, the recognised institution shall make an application to the Regional Committee of NCTE concerned.

(iii) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

6. Manner of making application

(a) Application for recognition shall be made to the Regional Committee of NCTE concerned.

(b) Application for permission to start new course or training in B.El.Ed. or increase in intake approved shall be made by the recognised institution to the Regional Committee concerned.

(c) Application for recognition of institutions or permission to start new course or to increase intake approved shall be submitted in triplicate.

(d) Application for recognition of institution offering a course or training in teacher training immediately before 17th August, 1995, shall be submitted directly to the Regional Committee concerned.

(e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August 1995 shall submit application for recognition with a "No Objection Certificate" from the respective State Govt. or Union Territory administration in which the institution is located.

(f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with "No Objection Certificate" from the State or Union Territory in which the institution is located.

7. Fees

Application for recognition of the institution or permission to start new course or training or to increase the intake approved by recognised institutions shall be accompanied by fees for such application as indicated from time to time by Council and shall be in the form of Demand Draft in favour of "Regional Committee, National Council for Teacher Education" payable of the place of location of the Regional Committee concerned.

8. Time limit for making applications

(a) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee at least four months before the scheduled date of commencement of next academic session.

(b) Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institution shall be submitted so as to reach the Regional Committee concerned at least four months before the scheduled date of commencement of next academic session.

9. Conditions for recognition

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application for recognition and/or inspection of the institution where considered necessary or any other manner deemed fit, that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory 2nd such other conditions required fo the proper functioning of the institutions for the course or training in B.El.Ed. which are being offered or intending to offer.

attested 27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

222

(b) Regional Committ e shall ensure that every institution applying for recognition fulfil the norms and standards given in Appendix (I).

10. Conditions for grant of permission to recognised institutions to start new course or training or increase in intake

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the bleasis of scrutiny and verification of facts as contained in the application of recognised institution for starting a new course or training in B.El.Ed. or inerease in intake approved, and/or inspection of the recognised institution where considered necessary or any other manner deemed fit, that institution has adequate financial resources, accommodaion, library, qualified staff, laboratory an such other conditions required for offering the course or training or increase in intake.

(b) Regional Committee shall ensure that every recognised institution applying for permission to start a new course or training or incr ease in intake fulfil the norms and standards given in Appenxix (I).

SURENDRA SINGH
Member Secretary

Appendix I
13-11-1998

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTION—

BECHLOR OF ELEMENTARY EDUCATION (B. EL.ED.)

Preface

The National Council for Teacher Education has now been vested with statutory authority to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and coordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards of teacher education including preparation for pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages of school education. The formulation of norms and standards for teacher education institutions preparing teachers and teacher educators for different level of school education is essential for a variety of reasons. Norms will help existing institutions offering teacher education programs, to compare the provisions in their institutions with norms of the NCTE and take necessary action to correct deficiencies, if any. Norms will also help in proper planning of new institutions, programs and courses of teacher education.

Here, the norms and standards specify the 'Conditions' required for recognition, permission, and additional intake of seats.

This document specifies norms and standards approved by the NCTE for Bachelor of Elementary Education (B.El. Ed.) Programme by the institutions offering four-year full-time integrated face to face instruction.

It is expected that this document will be used by planners and administrators of teacher education, and by government, autonomous and private managements of teacher education in planning, organizing and recognizing programs of Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programme. The NCTE will be using these norms for professional recognition of institutions organizing Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programme. These norms will also be used for advising government, autonomous and private managements for taking suitable action for improving existing programs and institutions.

1. Duration of the Course

(a) The integrated Elementary Teacher Education Degree Programme, henceforth, called the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), shall be of a minimum duration of four academic years, including an Internship of a minimum of 16 working weeks in the fourth/final year of study.

(b) Candidates admitted in this Programme shall complete the final year examination within 6 years from the year of admission.

2. Admission Criteria

(a) Candidates seeking admission to the four-year degree programme in Elementary Teacher Education shall have to qualify in the prescribed Centralised Entrance Test (CET), especially designed to assess the candidate's potential.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

(b) Qualification for admission

(i) The minimum qualification for admission to the B.El.Ed. shall be a pass in the 10+2 Senior Secondary Examination or any other examination re-cognised as equivalent thereto with a minimum aggregate of 50% marks.

(ii) Candidate seeking admission to this programme must have completed the age of 17 years on or before the commencement of admission as per University Calender.

3. Intake and Migration

(a) The intake of candidates in one unit shall not exceed 35 in a class.

(b) The institutions may permit migration of students from one institution to another only once at the end of 1st year subject to the number of students not exceeding the permitted maximum intake with prior permission of the NCTE.

4. Courses and Periods of Study

The institutions seeking recognition shall impart instructions in courses of Elementary Teacher Education. As an integral part of the teaching programme, each institution shall arrange for field tours and visits to centres of innovative activity in elementary school education. The institutions imparting instructions shall follow the Scheme of courses given below:

(a) Scheme of Courses for the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

The B.El.Ed. programme should be designed to integrate the study of subject knowledge, human development, pedagogy and communication skills. The programme should offer both compulsory and optional theory courses; compulsory practicum courses and a compulsory comprehensive school internship experience. Theory and Practicum courses should essentially cover the following.

attested 27/4/11

(हायक नियंत्रक (प्रशासन)

223

Theory Courses

- Foundation Courses
- Core Courses
- Pedagogy Courses
- Liberal Courses
- Other options in Education

Practicum

- Performing and Fine Arts, Crafts and Physical Education
- Participatory Work
- Observing Children
- Self Development Workshops
- School Contact Programme
- School Internship
- Project Work
- Tutorials and Colloquia
- Academic Enrichment Activities

(b) The theory and practicum courses may be classified in terms of knowledge areas as suggested in Table 1 a and 1 b.

Table 1(a): Foundational Basis for Professional Education

Area of Study	B.El.Ed. Course
Subject Knowledge Base	Core Courses: C1 ·1 Nature of Language C1 ·2 Core Mathematics C1 ·3 Core Natural Science C1 ·4 Core Social Science Two-level liberal discipline specific optional courses: O2. X and O3 X in any one chosen discipline. Foundation Course (multi-disciplinary): F1 ·2 Contemporary India.
Education	Foundation Courses: F3 ·6 Basic Concepts in Education F3 ·7 School Planning and Management F4 ·8 Curriculum Studies F4 ·9 Gender and Schooling
Child Study	Foundation Courses: F1.1 Child Development F2 ·3 Cognition and Learning F2 ·4 Language Acquisition

Table 1 (b) : Applied Courses in Professional Training:

Area of Study	B.El.Ed. Courses
Child Study	Practicum Courses : PR1.2 (a) School Contact Programme (b) Craft PR 2.3 Observing Children P 2.1 Language Across the Curriculum P 3 ·2 Logico-Mathenatics Education P 3 ·3 Pedegogy of Environmental Studies One of the Optional Pedegogy Courses OP 4 ·1 Language OP 4 ·2 Mathematics OP 4 ·3 Natural Sciences OP 4.4 Social Sciences OR One of the Optional Libral Courses Related to Education : OL 4 ·1 Computer Education OL 4 ·2 Special Education School Contact Programme : SC 3 ·1 Classroom Management SC 3 ·2 Material Development and Evaluation
Development of Teachers and Skill Training	Foundation Course : F 2 ·5 Human Relations and Communication Practicum Courses : PR 1 ·1 Theatre PR 1 ·2 Craft PR 2 ·4 Self-development PR 2 ·5 Physical Education Colloquia / Tutorials Academic Enrichment Field-based projects / assignments
School Experience	SI School Internship Project

Note : Suggestive / illustrative details are given in Appendix I (A).

(c) Student Contract Hours :

The mimimum student contract hours year-wise may be as indicated in Table 2.

Table 2: Year-Wise Minimum Student Contact Hours

Year of Study	Student Contact Hours per day	Student Contact Hours per week	Total No. of Contact Hours
I	6 ·7	33 ·5	837 ·5
II	5 ·3	26 ·5	662 ·5
III	5 ·4	27 ·0	675 ·0
IV	5 ·8	29 ·0	725 ·0
Total	23 ·2	116 ·0	2900 ·0

Students Contact Hours to be read as contact periods. A period is usually of 50 min. duration. Average Student Contact Hours computed at 5 working days per week.

Total No. of Contact Hours computed for 25 working weeks in a year.

attested 27/4/11

सहायक निदेशक (प्रशासन)

224

5·0 The conduct of the B.El.Ed. Programme

The institutions will have to meet the following specific demands of a professional programme of study :

(a) Integrate the B.El.Ed. students with other institutions' academic as well as co-curricular, and for the use of all facilities such as computers, playground, library, auditorium, etc.

(b) Promote inter-discip linary academic activities bertween various departments within the institutions

(c) Initiate discourse on education by organizing seminars, lectures and discussion gtroups for students and faculty.

(d) Professional assistance must be sought from within and outside the University / Institutions conducting speciafic of the programme (eg : theatre, craft, self-development workshops).

(e) The institution must initiate and sustain interaction with at cluster of a least six elementary schools. These schools shall form basic contact point for all practicum activities and related work throughout the programme of study.

(f) The institution must initiate placement services for the graduates in schools.

6. Examination, Standards and Qualification of Examiners.

The following shall be integrated into the appropriate Ordinances of the University/Institution concerned which will make provisions through its Statutory Bodies for review as and when appropriate and in consultation with the NCTE.

(a) The University shall conduct the examination at the end of each year.

(b) Practicum courses may be assessed internally.

(c) A Moderation Board constituted by the concerned University / Institution shall monitor issues of quality and parity between Institutions for all Practicum Courses and the Internship Programme.

(d) The weightage of internal assessment for all theory courses may be 30% and for all practicum courses 100%.

(e) The minimum marks required to pass the examination may be 40% in each written paper, 45% in the internal assessment, 50% in Practicum and 50% in the aggregate for each year.

(f) Only those candidates who have passed in the internal assessment, shall be permitted to appear in the examination.

(g) Any candidates who has obtained not less than 50% in aggragate but has failed in one subject only, obtaining not less than 25% in that subject may be provisionally allowed to proceed to the next year on the condition that she / he will appear for a compartment examination to be held on payment of fees as per University rules. If the candidate fails to pass or fails to present her self himself at the compartment examiantion she / he will be reverted to the previous year.

(h) An examiner for any of the subjects of examination shall have a minimum of 3 years teaching/ professional experience in his / her field of study.

7. Staff, Equipment and Training

(a) Academic Faculty

— Full-Time Faculty strength : 14
— Faculty-Student Ratio : 1 : 10
— Number of Students : 35x4=140
— Part-Time Faculty strength : 3

(b) The inxtitutions shall encourage the faculty members to involve in professional practice including research.

(c) The institutions shall encourage exchange of faculty members for academic programme.

(d) Administrative Staff

— Curriculam Laboratory attendant. : 1
— Resource Laboratory attendant. : 1
— Steno typist : 2

(e) Nature of employment of staff
All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly consutituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC / Govt. Norms.

(f) Selection of Faculty

Faculty of the Department of Elementary Teacher Education shall have diverse specialisation (as indicated in Table 3) alongwith a postgraduate professional degree in education* or a research degree in education* or demonstrated experience / research in the field of education*.

Table 3: Profiles of Faculty Required for the Department of Elementary Education

Specialisation	No. of Posts	Essential Qualification	Special interest and Demonstrated Experience	Suggested B.El.Ed. Course to be Taught
1	2	3	4	5
Psychology/Child Development	One	M.A. Psychology/Applied Psychology (with specialisation in Child Development)/M.Sc. Child Development and Research Degree in Education	Work with children/ Issues of how children learn, work undertaken with children	Child Development Cognition and Learning Related Practicum
	plus	M.A. Psychology/Applied Psychology (with specialisation in Clinical Psychology/	Clinical psychology/ Counselling	Human/Relations and Communications

attested [signature] 27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, ... विभाग
सेविल ... दिल्ली-54

225

1	2	3	4	5
	One	Counselling)/MSW (with specialisation in Personality Development and Counselling) and P.G. Degree/Research in Education.		Related Practicum
* Preferably elementary education.				
Mathematics	One	M.A. Maths/M.Sc. Maths and Post-graduate professional degree in Education.	Creative teaching methods	Core Mathematics Logico-Math Education School Contact Pedagogy of Maths
Science Biological Sciences and Physical Sciences	One plus One	M.Sc. Biological Sciences and Post-graduate Professional degree in Education M.Sc, Physical Sciences and Post-graduate professional degree in Education	Psychology of learning, curricular issues, science teaching Do.	Core Natural Science Pedagogy of Environmental Studies School Contact Pedagogy of Natural Science
Social Science	One plus One	M.A. Political Science (with specialisation in Developmental Studies/Political Economy/M.A. Sociology (with specialisation in Developmental Studies/Political and Economic systems)/MA. History (with specialisation in Philosophy of Social Sciences and P.G. Degree/Research in Education M.A. Social Sciences and a Post-graduate professional degree in Education.	Integrated applications of social sciences, environmental education, multi-disciplinary perspectives on contemporary Indian issues Pedagogic studies in social Sciences, creative teaching methods	Core Social Science Contemporary India Pedagogy of Environmental Studies Pedagogy of Social Science
Linguistics	One	M. A. Linguistics/M. A. English/Hindi with Diploma in Linguistics and Research in language development in children/P. G. degree in EducationResearch in Education	Language development in children, creative language teaching	Nature of Language Language Acquisition
Language : Hindi or English	One	M. A. English/Hindi and a Post-graduate professional degree in Education	Development of curricula materials; teaching language through innovative methods; language pedagogy	Language Across the Curriculam Related Practicum Pedagogy of Language

attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

226

1	2	3	4	5
Education	One	M.A. Philosophy and Post graduate degree in Education/Professional Degree in Education	Educational theory, philosophy and Policy	Basic Concepts in Education Child Development Curriculum Studies.
	plus One	M. A. Social Science/ M. Sc. Science and P.G. Professional Degree in Education	Curriculum issues, Practioners perspective of school education.	Curriculum Studies Relevant units of other courses School Planning and Management.
Liberal Optional (at least 4)	Three *	Post-graduate degree in the relevant subject.	Inter-disciplinary perspectives	Liberal Optional offered
Part-time Faculty :	Three**	Training and Demonstrated experience in the relevant field :		
Theatre		Theatre in Education	Capacity to use theatre for self development and in education.	usw Performing and Fine Arts
Craft		Craft making/training	Skill in craft making and Capacity to train others.	Craft, Participatory work.
Self Development		Clinical/Counselling Practice/Training in groups	Ability to conduct workshops in स्प... personal growth/ counselling.	Self Development Workshops.
Physical Education		Training and Practice in Physical Education	Capacity to integrate varying forms of physical movement with education.	Physical Education

*These would be from cooperating departments of an Institution.

**Equivalent of one full-time faculty (these would be specialised resource personnel from outside the Institution).

8. Other Facilities :

The institutions shall provide facilities as follows :

Physical Facilities.

The physical facilities to be provided in an institution offering the B.El.Ed. can be classified under(i) Academic area, (ii) Administrative area, and (iii) Amenities area.

— Academic area will consist of Class Rooms, Curriculum Laboratory, Resource Laboratory, Conference Room, Workshop, Auditorium, Computer Room and Library.

— Administrative area will include Principal's Room, Faculty Rooms, Central Office, Conference Room, Record Room, Computer Room and Reception Lounge.

— Amenities area will comprise Students' Common Room. Staff Room, Hall, Sports/Recreation Centres, Canteen, Co-operative Stores, Dispensary and Security Services.

9. Norms for Space :

Where teacher education is provided through a Department/College as an integral part of a University/Institution having several Faculties and Departments of Studies, all central facilities/amenities are to be shared between the Department of Elementary Education and other Departments. In the case of laboratories and workshops, necessary additional provisions need be made so that the B.El.Ed. students can make use of them. Apart from the Central Library of the University/College, a Department Library may also be developed to cater to the special needs of the B.El.Ed. students. The Resource Laboratory should be equipped with adequate reading material alongwith other equipment needed for Pedagogy-based practicum and other School Contact Programmes. Amenities such as Auditorium, Hall, Conference Rooms etc. could be shared with other departments.

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
दिल्ली

227

10. Specific Infrastructural Facilities for Students of B.El.Ed.

(a) Curriculum Laboratory : One

The curriculum laboratory shall be the lab. area for conducting hands-on experience activity. The laboratory would serve this purpose for first year courses such as craft, core mathematics, core science and partly for core social science and for third year courses in logico-mathematics education, pedagogy of environmental studies and practicum on material development.

The lab. would contain science and mathematics related material such as apparatus, chemicals, kits, maps, globes, instruments and tools like hammer, pliers, scissors and wires. There should be work tables for small group activities. The furniture should be movable to allow for work area on the floor as well. The lab should also have provision for use of an overhead projector, notice boards and blackboard for holding classes.

(b) Resource Laboratory : One

The resource lab shall serve the purpose of a laboratory-cum-department library. It should have a stores and access to books, curriculum materials, children's literature, textbooks, reports and documents. These materials are essentially for use for the B.El.Ed. courses of study. Materials should be available in sufficient numbers for use students in schools as well. The Resource Laboratory may also have computer facility for use by the faculty and students. The laboratory should have sufficient space for student meetings, classes and group discussions and reading as well.

(c) Workshop Space : Two

The Institution should provide separate space for conducting specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops and physical education workshops. Such space should allow for free physical movement for a batch of 35-40 students.

11. Fee structure and scholarship Essential

The fee structure should be as decided by the State Govt. / University from time to time. In any case, the total fees and other charges collected from students should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Desirable

Adequate free studentships may be provided for meritorious poor students. Provision for some scholarships on the basis of merit may also be made.

12. Nature of Employment of Staff

All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC / Govt. Norms.

APPENDIX 1(A)

SCHEME FOR FOUR YEAR BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION PROGRAMME (B. El. Ed.)

Students will be admitted to this Programme after +2

Theory			Practicum			Colloquia/Project			Enrichment		
	Examination Duration	Total Marks		Contact Hours per week	Total Marks		Contact hours per week	Total Marks		Contact hours per week	Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
YEAR I											
F1. 1 Child Development	3	100	PR1. 1 Performing & Fine Art	4	75						
F1. 2 Contemporary India	3	100									
C1. 1 Nature of Language	2	50	PR1. 2 Craft, Participatory Work	3	25	Colloquia Tutorial	1	50	Academic Enrichment Activities	1	
C1.2 Core Mathematics	2	50									
C1. 3 Core Natural Science	2	50									
C1. 4 Core Social Sciences	2	50									
		400		7	100		50			1	550

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
YEAR II											
F2·3 Cognition & Learning	3	100	PR2·3 Observing Children	2	75						
F2·4 Language Acquisition	2	50									
F2·5 Human Relations & Communication	2	50									
P2·1 Language Across the Curriculum	2	50	PR 2·4 Self Development workshops	3	50	Colloquia Tutorial	1	50	Academic Enrichment Activities	1	
			PR2·5 Physical Education	2	25						
Liberal Course (Optional-I)	3	100									
02·1 English I											
02·2 Hindi I											
02·3 Maths I											
02·4 Phy. I											
02·5 Chem. I											
02·6 Bio. I											
02·7 Hist. I											
02·8 Pol. Sci. I											
02·9 Geog. I											
02·10 Eco. I											
		350		7	150		1	50			550

F: Foundation Course; C: Core Course: P: Pedagogy Course; O: Optional Liberal Course; OP: Optional Pedagogy Course; OL: Optional Courses; PR: Practicum; SC: School Contact Programme; SI: School Internship.

In the course nomenclature, the numeral immediately following letters (F, C, P etc.) denotes the year of the programme in which the course is to be taught. The second numeral denotes the serial number in a particular course type. For instance, F2·5 signifies that Human Relations and Communication is the 5th Foundation Course to be taught in the 2nd year of the Programme of study.

New Delhi-110016, the 29th December 1998

F. No. 28-3/98-99/NCTE.—In exercise of the powers conferred under sub clauses (f) and (h) of sub-section 2 of Section 32 read with Sections 14 and 15 of National Council for Teacher Education Act 1993 (No. 73 of 93) National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations:—

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Norms and Conditions for recognition of Teacher Education Programme in Physical Education—C.P. Ed., B.P. Ed. and M.P. Ed.) Regulations, 1998.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to institutions including universities, open universities, constituents thereof and any other bodies called by whatever name and style and offering any one or some or all the courses specified in Para 1 above.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires:—

(i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institution at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution.

(iii) "Regional Committee" means a committee established under Section 20.

(iv) All other terms shall have the same meanin[g] as contained in Section 2 of the Act.

4. Application for Recognition

(i) Every institution offering/intending to off[er] a course or training in Teacher Educatio[n] Programme in Physical Education shall ma[ke]

attested 27/4/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

229

an application in the form obtainable from Regional Committee of NCTE on payment of price fixed by NCTE from time to time for recognition under the Act.

(ii) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

5. Application for permission to start new course or training or increase in intake.

(i) Where any recognised institution intends to start any new course or training in Teacher Education Programme in Physical Education it shall make new application in the form obtainable from Regional Committee of NCTE on payment of price fixed by NCTE from time to time to the Regional Committee concerned.

(ii) Where any recognised institution intends to increase its in take of students beyond the intake approved for such course or training, the recognised institution shall make an application to the Regional Committee of NCTE concerned.

(iii) The application shall be submitted to Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

6. Manner of making application

(a) Application for recognition shall be made to the Regional Committee of NCTE concerned.

(b) Application for permission to start new course or training in Teacher Education Programme in Physical Education or increase in intake approved shall be made by the recognised institution to the Regional Committee concerned.

(c) Application for recognition of institutions or permission to start a new course or to increase intake approved, shall be submitted in triplicate.

(d) Application for recognition of institution offering a course or training in teacher training immediately before 17th August, 1995, shall be submitted directly to the Regional Committee concerned.

(e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995 shall submit application for recognition with a "No Objection Certificate" from the respective State Govt. or Union Territory administration in which the institution is located.

(f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with "No Objection Certificate" from the State or Union Territory in which the institution is located.

7. Fees

Application for recognition of the institution or permission to start new course or training or to increase the intake approved by recognised institutions shall be accompanied by fees for such application as indicated from time to time by Council and shall be in the form of Demand Draft drawn in favour of "Regional Committee, National Council for Teacher Education" payable at the place of location of the Regional Committee concerned.

8. Time limit for making applications

(a) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee at least four months before the scheduled date of commencement of next academic session.

(b) Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institution shall be submitted so as to reach the Regional Committee concerned at least four months before the scheduled date of commencement of next academic session.

9. Conditions for recognition

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application for recognition and or inspection of the institution where considered necessary or any other manner deemed fit, that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for the proper functioning of the institutions for the course or training in Teacher Education Programme in Physical Education which are being offered or intending to offer.

(b) Regional Committee shall ensure that every institution applying for recognition fulfil the norms and standards given in Appendix (I), (II) & (III).

attested 27/4/11

सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

230

10. Conditions for grant of permission to recognised institutions to start new course or training or increase in intake.

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application of recognised institution for starting a new course or training in Teacher Education Programme in Physical Education or increase in intake approved, and or inspection of the recognised institution where considered necessary or any other manner deemed fit, that institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for offering the course or training or increase in intake.

(b) Regional Committee shall ensure that every recognised institution applying for permission to start a new course or training or increase in intake fulfil the norms and standards given in Appendix (I), (II) & (III).

SURENDRA SINGH
Member Secretary

Appendix-I

August 4, 1998/July 17, 1998

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION
INSTITUTIONS OF PHYSICAL EDUCATION CERTIFICATE COURSE IN PHYSICAL EDUCATION
(C.P.Ed.) 2 Years

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS OF PHYSICAL EDUCATION CERTIFICATE COURSE IN PHYSICAL EDUCATION
(C.P.Ed.) 2 Years

(For a unit of upto 100 students Intake of 50 students each year)

1.0 Preamble

Physical Education is an integral part of general education. Its importance has been highlighted by the NPE-1986 stating that a nation-wide infrastructure of physical education should be built into the edifice of education. In order to improve quality of teacher education programmes in the area of physical education and ensure adherence to quality by teacher education institutions with respect to human resources, academic inputs, physical infrastructure and financial resource, the NCTE has formulated norms and standards for different kinds of programmes of teacher education in physical education.

As a matter of policy it has been now widely accepted that teachers working in the general education stream in primary schools should have passed at least senior secondary examination (10+2) with a professional certificate courses of 2 years duration. Accordingly it is necessary that physical education teachers working in primary schools should have passed at least their senior secondary examination with a professional certificate course in physical education of 2 years duration.

In this document, the norms and standards for regular institutional programmes leading to Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed 2 years) are presented. These norms shall apply to all institutions offering regular institutional programmes preparing teachers of physical education. They are applicable for recognition of institutions, permission of courses and additional intake of seats. The norms are stated under two categories: (i) essential norms which are the minimum that all institutions should fulfil in order to be eligible for recognition/permission of their institution/course by NCTE, and (ii) desirable norms which institutions should strive to achieve in a reasonably short period of time.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2.0 Human Resources

2.1 Teaching Staff

Teacher—Student ratio:

Essential	1 : 12
Desirable	1 : 10

Designation	Number Required		Educational Qualifications and Experience
	Essential	Desirable	
Principal	1		As laid down by state government/post graduate professional degree in physical education; at least five years experience in a recognised physical education institution.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

231

Lecturers	8	10	As laid down by state government/post graduate professional degree in physical education.

2.3 Administrative Staff

Designation	Number Required	
	Essential	Desirable
Office superintendent	1	
Senior Assistant-cum-Cashier	1	2
Clerk	1	3

2.4 Other Staff

Designation	Number Required	
	Essential	Desirable
Medical Officer (Part time)	1 (Lecturer's Grade/consolidated allowance)	1 (Lecturers Grade)
Librarian	1	2
Attendants/peons	2	3
Lab. Assistant	1	3
Chowkidar	3	4
Sweeper	2	4
Groundsmen	6	8
Hostel Staff-Cook, Attendant Sweeper, chowkidar		1 each

Qualifications : as per state government rules.

3.0 Physical Infrastructure

Suitable and adequate institutional building (including academic wing, gymnasium, administrative wing, hotels and staff quarters) contributes to quality teacher education programmes in physical education. Academic wing, play grounds, some indoor sports facilities and administrative wing are essential components of the institutional building requirements. It is desirable that the institute has adequate facilities for other co-curricular activities.

3.1 Space and buildings
Land Area And Location

The minimum space required includes space for institutional building and space for playgrounds. Adequate land area for hostels and staff quarters is essential for organising morning and evening physical activity programmes.

Essential	5 acres
Desirable	8 acres

The instiitution should be located in a noise-free area. It should be relatively pollution free. Three should be transportation and communication facilities and availability of water and electricity.

3.2 Academic Area

	Essential	Desirable
Class Rooms	one room for every 50 students Size 30 sq. m. approximately	2 additional rooms (30 sq. m.)
Multi-purpose Hall	1 (200 sq. m.)	1 (600 sq. m.)
Health Education lab	1 (30 sq. m.)	1 (50 sq. m.)

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

232

ET lab	1 (30 sq. m.)	1 (600 sq. m.)
Anatomy -Physiology lab	—	1 (30 sq. m.)
Physio-therapy lab	—	1 (30 sq. m.)
Sports-Psychology lab	—	1 (30 sq. m.)
Bio-Mechanical lab	—	1 (30 sq. m.)
Library	150 sq. m.	250 sq. m.

3.3 Administrative Area

Item	Floor Area/Number	
	Essential	Desirable
Principal's Room	1 (25sq. m.)	40 sq. m.
Teaching Staff Common Room	1 (30 sq. m.)	50 sq. m.
Separate Room	—	1 each 20 sq. m.
Office Room		70 sq. m.
Store Rooms (a) Equipments	1 (40 sq. m.)	40 sq. m.
(b) Sports Goods	1 (25 sq. m.)	40 sq. m.
Toilets	1 (25 sq. m.)	4 (Men)
	2 (Men)	4 (Women)
	3 (Women)	2 (staff)
	1 (staff)	

3.4 Library and Reading Room

Essential

A library-cum-reading room having floor area of 150 sq. m. and 250 sq. m. desirable. It should have a reading room space for atleast 30 students. It should have a minimum of 500 standard text/ reference books and 3 professional journals.

Desirable

Reading room space for 40 students, 1000 books, 5 journals.

3.5 Students' Hostel

Commensurate with the nature of the programme of Physical Education, it is desirable that there be adequate provision for hostel accommodation for at least 75% students initially, and 100% within 5 years. There should be separate hostels for women and men students.

3.6 Staff quarters

It is desirable that 50% staff initially and 100% in 5 years be provided with staff quarters. Principal/Head, wardens, sweepers, ground men and other essential staff be accommodated on the campus.

3.7 Facilities for Indoor and Outdoor Sports and Physical Education Activities

The practical classes of a physical education teacher education institution depend upon adequate sports and physical activity facilities. Physical activity programmes may be conducted during early morning or late evening hours. Multipurpose Playfield of 100 m. × 60 m. is essential for various game and sports activities.

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

233

3.8 Equipment

3.8.1 Laboratories

Essential

(a) Educational Technology Laboratory

Essential	Desirable
Public address system	Video Camera
Slide projector	one cinematic projector
Tape-recorder	Computer
T.V. set	
VCR	
Overhead projector	

(b) Health Education Laboratory

Essential	Desirable
A lever weighing machine	Body composition Analyser
An anthropometer	Health style testing unit
Growth charts and body system charts	Underwater weighing density and obestiy
Desirable weight-height tables	
Skinfold calipers	
Respometer	
Haemoglobino meter	

Desirable

Anatomy-Physiology Lab. Physiotherapy Lab; Sports-Psychology Lab.; Bio-Mechanics Lab-suitable measurement tools and equipment.

3.8.2 Sports

(i) Athletics

Hurdles	20
One starting clapper	1
Four measuring tapes (Steel)	4
One Wire for marking the track	1
Six stop-watches	6
Starting-Block	6
High Jump uprights (One pair & Six cross bars)	1 Pair
Vaulting piles (fibre glass)	6+2
Vaulting box	
Discus-Men & Women	6 each
Hammers 12 (4Kg. each)	6
Stop boards	2
Circles,	2
Two stands, for judges at the finish	2
Flag Pole	20
Javeline Men and Women (including two aluminium)	6
Take off board	2

(ii) Games

The basketball boards and rings	1 (full set)
Volleyball posts	4
Equipment for Cricket, Soft ball, Throw ball, (sets each)	2
Table tennis and lawn tennis	2
Football goal posts with nets	2 Pairs
Hand ball posts	2 Pairs
Badminton posts	4
Badminton Racket	24
Hockey goal posts with nets	1 Pairs
Hockey Sticks	3 dozen

(iii) Sports Goods and others

Lezium	50 pairs
Volley ball	12
Basket ball	12
Dumbells	50 pairs
Indian clubs	50 pairs
Flags, Hoopla-rings and light apparatus for Physical activities demonstration	
Beat board	
Equipment for marshal arts	
Parallel bars	1
Parallel bars uneven for Girls	1
Horizontal bars	1
Roman rings	2

attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

●Climbing Ropes	6
●Mats	1 doz coir+ 1 doz rubber
●Weightlifting set/power lifting set	1
●Balance beam (adjustable set)	1
●Pommelled Horse	1
●Foot balls	12
●Hockey Balls	24

3.8.3 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments should be provided

3.8.4 Miscellaneous

Any other equipment required for major games, minor games, recreational games, relays and combatives.

4.0 Academic input

4.1 Working Days

Essential

200 days (1400 hours per year)

Desirable

220 days (1540 hours per year)

Each working day to be of seven hours (equally distributed for theory and practical) in a six day week, proportionate hours for a five day week.

4.2 Admission

4.2.1 Eligibility

Candidate should have passed 10+2 examination from any recognised Board of Education securing an aggregate of at least of 45% marks.

4.2.2 Selection Procedure

All students should be selected on the basis of merit. Merit list shall be determined on the basis of performance at the qualifying examination and/or interview and/or an entrance test.

The weightage may be as follows :

(a) Physical Fitness/Proficiency weightage 40%

(b) Theory Test weightage 40%

(c) Sports participation level weightage 20%

(i) National level	(Ist Position)	20 Marks
	(IInd Position)	18 Marks
	(IIIrd Position)	16 Marks
	Participation	12 Marks
(ii) State level	(Ist position)	12 Marks
	(IInd position)	10 Marks
	(IIIrd position)	08 Marks
	Participation	06 Marks
(iii) District level	(Ist position)	06 Marks
	(IInd position)	04 Marks
	(IIIrd position)	02 Marks
	Participation	01 Marks

Practical games test may be used to ascertain the validity of the certificates.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

5.0 Financial Provision

5.1 Endowment and Reserve Fund

The institution should be financially sound and viable. Government/Local self government/university institution should have an undertaking for provision of adequate finances from time to time. Private institutions should have an endowment fund of Rs. 5 lakh and a reserve fund of an amount equal to three months staff salaries.

5.2 Budgeting

The institution must adopt a proper budgeting, expenditure sanctioning accounting and auditing procedure/systems. The annual audit should be done by a chartered accountant.

5.3 Costs

(i) Non-recurring

There should be adequate investment in institutional building, play fields, library, labs, furnishing & fittings etc.

		Essential	Desirable
a	Institutional Building and Play Fields	20 lakhs	20 lakhs
b	Equipment and Books	2 lakhs	5 lakhs
c	Furniture	2 lakhs	4 lakhs
d	Student's Hostels	—	20 lakhs
e	Staff Quarters	—	25 lakhs

attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

235

(ii) Recurring: Annual

		Essential	Desirable
5.4.1	Salaries	as per state/central government norms	
5.4.2	Maintenance cost (Honorarium, Travel, Field Visits, Lib. and Labs, Purchase of soft-wares and General amenities etc.	3 lakh	4 lakh
5.4.3	Library books	Rs. 25,000/-	Rs. 50,000/-
5.4.4	Replenishment of equipments: sports/games and athletics	Rs. 30,000/-	Rs. 50,000/-

Note— Provision of Rs. 1 lakh annually be made to add to the facilities and amenities under plan head.

5.4 Fees

The fee structure should be as prescribed by the state government from time to time. The guiding criteria for prescribing the tuition fee is that it should not exceed what is being spent per student annually under recurring expenditure.

It is desirable that 10% of the students should be given freeship/scholarship on merit-cum-means basis.

6.0 More than One Course in the Same Institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, playfields etc. may be shared in a reasonable manner.

Appendix II

NORMS AND STANDARDS FOR INSTITUTIONS OFFERING P.G. DIPLOMA/B.P.ED. COURSE (TWO YEARS DURATION)

(For a unit of upto 100 students-Intake of 50 students each year)

1.0 Preamble

Physical Education is an integral part of general education. Its importance has been highlighted by the NPE-1986 stating that a nation-wide infrastructure of Physical Education should be built into the edifice of education. In order to improve quality of teacher education programmes in the area of physical education and ensure adherance to quality by teacher education institutions with respect to human resources, academic inputs, physical infrastructure and financial resources, the NCTE has formulated norms and standards for different kinds of programmes of teacher education in physical education.

As a matter of policy it has now been widely accepted that teachers working in High/Secondary School should be at least graduates with a professional diploma/degree. Accordingly it is necessary that physical education teachers working in high/secondary schools should be at least graduates in physical education (professional degree) or graduates in general education with a degree in physical education.

In this document, the norms and standards for regular institutional programmes leading to PG Diploma/BPEd. (Two years), are presented. These norms shall apply to all institutions offering regular institutional programmes preparing teachers of physical education. They are applicable for recognition of institutions, permission of courses and additional intake of seats.

The norms are stated under two categories: (i) essential norms which are the minimum that all institutions should fulfil in order to be eligible for recognition/permission of their institution/course by NCTE, and (ii) desirable norms which institutions should strive to achieve in a reasonably period of time.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main pur-

attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

236

pose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2.0 Human Resources

2.1 Teacher-Student Ratio

Essential	1:12
Desirable	1:10

2.2 Teaching Staff

Designation	Number Required: Essential	Number Required: Desirable	Educational Qualifications and Experience
Principal/Head (Professor Grade)	1		As per UGC/University norms; PG Degree in physical education with at least 5 years experience in recognised physical education institutions.
Reader	2	2	As per UGC/University norms; PG Degree in physical education.
Lecturers	6	8	As per UGC/University norms; PG Degree in physical education.
Part-time coaches	1 each game/sport		As per UGC/University norms; PG Degree in physical education.

2.3 Supporting Staff

Designation	Number Required: Essential	Number Required: Desirable	Educational Qualifications and experience
Medical Officer	1 (Lecturer's Grade)		M.B.B.S., preferably Diploma in Sports Medicine/ Physio Therapy
Librarian	1		As per qualifications prescribed by the UGC/state government.
Professional Assistant (PA)	1	2	,,
Library Assistant	1	2	,,
Attendant	1	2	,,
Lab. Assistant	1	1 in each lab.	,,
Technical Assistant (Computer)	1	2	,,
Peon/Attendant	1	2	,,
Chowkidar	3	4	,,
Sweeper	2	3	,,
Groundsmen-cum-markers	6	8	,,

2.4 Administrative Staff

Designation	Essential	Desirable
P.A. to the Head/ Principal	1	
Section Officer/Office Superintendent	1	2
Assistant/Cashier/ Clerk	3	4
Storekeeper	1	2
Hostel staff: cook, attendant, chowkidar, sweeper	—	one each

Qualifications: As per state govt./university rules.

3.0 Physical Infrastructure

Suitable and adequate institutional building (including academic wing, gymnasium, administrative wing, hostels and staff quarters) contributes to quality teacher education programmes in physical education.

3.1 Space and Building

Land Area and Location

The minimum space required includes space for institutional building and space for playgrounds.

	Essential	Desirable
Land Area	8 acres (5 acres for play fields and 3 acres for building, hostel and staff quarters)	10 acres (6 acres for play fields and 4 acres for building, hostel and staff quarters)

The institution should be located in a noise-free area. It should be relatively pollution free. There should be satisfactory transpor-

attested [signature] 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

237

tation and communication facilities and availability of water and electricity.

3.2 Academic Area

	Essential	Desirable
Class Rooms	Room for every 50 students (1) Size: 50 sq. m.	Additional room for every 100 students for seminar etc. (1)
Multi-purpose Hall	1(150 sq. m.)	1(500 sq. m.)
Sorts medicine	1(30 sq. m)	50 sq. m
Health Education Lab	1(30 sq. m)	50 sq. m.
ET Lab	—	1(30 sq. m)
Anatomy-Physiology Lab	—	1(30 sq. m)
Physio-Theraphy Lab	—	1(30 sq. m)
Sports Psychology Lab	—	1(30 sq. m)
Bio-Mechanics Lab	—	1(30 sq. m)
Library	150 sq. m	250 sq. m

3.3 Administrative Area

Item	Floor Area/Number	
	Essential	Desirable
Principal's Room	1(25 sq. m.)	40 sq. m
Staff-Common Room	1(30 sq. m.)	40 sq. m.
Separate Rooms	—	1 for each teacher
Office Room	1(40 sq. m.)	70 sq. m.
Store Rooms		
(a) Equipments	1(25 sq. m)	40 sq. m.
(b) Sports Goods	1(25 sq. m.)	40 sq. m.
Toilets	2 (Men)	4(Men)
	2 (Women)	4 (Women)
	1 (Staff)	2 (Staff)
Common Room for men	24 sq. m.	50 sq. m.
Common Room for women	Do.	50 sq. m.

Note: Men/women common rooms may be used as change rooms also and they should preferably be on the play fields.

3.4 Students' Hostels

Desirable.

Commensurate with the nature of the programme of Physical Education, it is desirable that there be provision for hostel accommodation for at least 75% students initially and 100% within 5 years. There should be separate hostels for men and women students.

3.5 Staff Quarters

It is desirable that 50% of the staff initially and 100% in 5 years should be provided with staff quarters. Standard accommodation norms of each category of staff (both teaching and non-teaching) as prescribed by the state government/university/central government should be followed. Principal/Head, warden, sweepers, groundsmen should have accommodation in the campus.

3.6 Library and Reading Room

A library-cum-reading room with floor area of 150 sq. m. is essential and 250 sq. m. desirable. It should have a reading room space for at least 30 students. It should have a minimum of 1000 standard text/reference books, 5 professional journals.

3.7 Facilities for Indoor and Outdoor Sports and Physical Activities

3.7.1 Indoor Sports

Gymnasium

Essential: Hall 30×20m.

Desirable: Full size Gymnasium The physical education institution should have a well equipped gymnasium for gymnastics, basketball, volleyball, badminton, weight lifting, and multi-utilisation area.

3.7.2 Outdoor Sports and Physical Activities

Practical classes of a physical education teacher education institution depend upon adequate outdoor sports and physical activity facilities. The outdoor sports and physical activity facilities are indispensable.

Physical activity programmes may be conducted during early morning or late evening hours.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

238

Essential	Desirable
●400 m Athletic track-1	●Additional-1
●Long jump pit-I	●Cricket field-1
●(within the track)	
●Throwing Area for shot put, Javelin and discus-1 (within the track)	●Tennis courts-2
●Basketball court-1	●Badminton courts-2 (indoor also with lighting)
●Badminton court-1	●Basketball court-2
●Volleyball court-1	●Volleyball courts-2
●Kabaddi court-1	●Kabaddi courts-2
●Kho-Kho court-1	●Kho-Kho courts-2
●Hockey field-I (may be within the track)	●Standard size foot ball field-1
●Football field-I may be combined with hockey field within the track)	●Hockey field-1
●Hand ball court-1	●Hockey field-1
●Physical fitness trail	●Circuit training track-1
●Gymnastics equipment	●Swimming pool with deep diving facility with life guards, attendants and filtration plant
●(Parallel bar, Horizontal-bar)	

3.8 Equipment

3.8.1 Laboratories

Essential

(a) Sports Medicine Lab Equipment

Diagnostic table, Infra-red lamp, sterilising unit, first-aid box, B. P. apparatus, Stethoscope, Goniometer, Stopwatch, Oral thermometer, Ice-box, Vibrators-2 Exerciser (bicycle).

Desirable

Ultrasound therapy unit, Shortwave therapy unit, Wheel chair, A pair of crutches, Weighing machine, Skinfold cliper, Electronic bicycle ergometer (for measuring uptake capacity), An operation table.

(b) Education Technology lab equipment

Essential

Public address system, Slide projector, Tape-recorder, T.V. set, Overhead projector, One epidiascope, Display Boards (Three) and Video cassette recorder.

Desirable

Video cameras, one cinematic projector, Movie-Camera

(c) Health Education Laboratory

Essential	Desirable
●A lever weighing Machine	●Body composition Analyser
●An anthropometer	●Health-style testing unit
●Growth charts	●Underwater weighing, density and obesity
●Desirable weight snd height tables	
●Skinfold calipers	

Desirable

(a) Sports Psychology Lab—Psychological measurement tools .

(b) Anatomy and physiology Lab—Suitable measurement tools and equipment.

(c) Physio Therapy Lab—do

(d) Bio-Mechanics Lab—Bio-mechanics measurement tools.

3.9 Sports and Field Equipment

(i) Athletic

- Hurdles-20
- Starting-clapper-1
- Measuring taps (Steel)-4
- Wire for marking the track-I
- Stop-watches-6
- Starting Block-6
- High Jump Stands (One pair & Six cross bars)
- Vaulting box-1
- Disco-Men & Women-6 each
- Shot-put-6
- Hammers-6 (for men & women)
- Stop boards-2
- Circles-2
- Stands for judges at the finish-2
- Flag Pole-6
- Javelin Men and Women (including two aluminum)-6
- Take off board-2
- Matresses-6

(ii) Games

- The basketball boards and rings (full set)
- Volleyball posts-2 sets
- Equipment for Cricket, Soft ball

239

attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

- Table tennis table-2 sets
- Two pairs of Football goal posts with nets
- Two pairs of Hand ball posts, and one dozen balls
- Badminton posts-4
- One pairs of hockey goal posts with nets
- 3 dozen hockey sticks and 3 dozen balls
- Lawn tennis posts-2
- Badminton racks 2 dozen shuttles—as per needs

(iii) Sports Goods and other Equipment

- Lezium-50
- Volley ball-12
- Football-12
- Basket ball-12
- Table Tennis ball-10 doz.
- Dumbles-50 pairs
- Indian clubs, 50 pairs
- Flags, Hoopla-rings and light apparatus for Physical activities
- Demonstration/display
- Beat-board
- Equipment for marshal arts
- One parallel bars
- One parallel bar (uneven for Girls)
- One horizental bars
- Two Roman rings
- Six climbing Ropes,
- One dozen Mats-Coir
- One weightlifting set/power lifting set
- One balance beams (adjustable sets)
- One Pommelled Horse
- Multigym

3.9.3 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments should be provided.

3.9.4 Miscellaneous

Any other equipment required for minor games, recreational games, relays and combatives.

4.0 Academic Inputs

4.1 Working Days

Essential

200 days (1400) inclusive of examination and admission days.

Desirable

220 days (1540) inclusive of examination and admission days.

7 hours per day (5 hour for practicum and 2 hour for theory), with 6 day week.

4.2 Admission

4.2.1 Eligibility

Graduate in any subject with physical Education as an elective subject or graduate in any subject having offered Physical Education as the Senior Secondary Level and securing an aggregate of 45% marks.

or

Any graduate having represented State/University in sports/games/athletics.

or

Any graduate who has secured Ist, 2nd or 3rd position in Inter-Collegiate sports/games Tournament.

or

Any graduate with atleast 45% marks.

4.2.2 Selection Procedure

All the students should be selected on the basis of merit. Merit should be determined on the basis of Academic performance and/or interview and/or an entrance test at qualifying examination.

The weightage may be follow :

(a) Theory test weightage 40 %

(b) Physical Fitness Test weightage 30%

(c) Sports Representation weightage 30%

(i) National level	I position	30 marks
	II position	25 marks
	III position	20 marks
(ii) All India Inter University level	I position	20 marks
	II position	15 marks
	III position	10 marks
(iii) Inter College level	I position	7 marks
	II position	5 marks
	III position	3 marks

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

5.0 FINANCIAL PROVISIONS

5.1 Endowment and Reserve Fund

The institution should be financially sound and viable. Government/Local self government/university institutions should have an undertaking for provision of adequate finances. Private institutions should have an endowment fund of Rs. 5/- lakh and a reserve fund equal to a minimum of three month's staff salaries.

5.2 Budgeting

The institution must adopt proper budgeting expenditure sanctioning, accounting and auditing procedure/systems. The annual audit should be done by a chartered accountant.

attested 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–5

240

5.3 Cost

(i) Non-recurring

There should be adequate investment in institutional building, play fields, library, labs furnishing & fittings etc.

	Essential	Desirable
Institutional Building and Play Fields	20 lakhs	50 lakhs
Equipment and Books	2 lakhs	5 lakhs
Furniture	2 lakhs	4 lakhs
Student Hostels	—	20 lakhs
Staff Quarters	—	25 lakhs

(ii) Recurring ; Annual

	Essential	Desirable
Salaries	(as per UGC/State/ Central Govt. norms)	
Maintenance costs (Honoramenitiesarium, Travel, Field Visits, Library and Labs, Purchase of soft-wares and General etc,)	Rs. 2 Lakhs	Rs. 4 lakh
Library books	Rs. 25,000-	R. 50,000-
Replenishment of sports/games and ahtletics equipment	Rs. 100,000-	Rs. 1,50,000-

Note ; Provision of Rs. 2 Lakhs annually be made to add to the facilities and amenities under plan head.

5.5 Fees :

The fee structure should be as prescribed by the State Government/University from time to time; The guiding criteia for prescribing the annual tution fee is that it should not exceed what is being spent per student annually under re-curring expenditure,

It is desirable that 10% of the students should be given freeships/scholarship on merit-cum-means basis.

6.0 More than One Course in the same Institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a resonable manner.

Appendix-III

NORMS AND STANDARDS FOR INSTITUTIONS OFFERING POST GRADUATE DEGREE COURSE (TWO YEARS DURATION)

(For a Unit of up to 100 Intake of 50 Students Each Year)

1.0 Preamble

Physical Education is an integral part of general education. Its importance has been highlighted by the NPE-1986 stating that a nation-wide infrastruture of Physical Education should be built into the edifice of education. In order to improve quality of teacher education programmes in the area of physical education and ensure adherence to quality by teacher education institutions, with respect to human resources, academic inputs. phusical infrastructure and financial provisions. The NCTE has formulated norms and standards for different kinds of programmes of teacher education in physacal education,

As a matter of policy, it has now been widely accepted that teachers working in senior secondary schools and colleges should have a Master's degree in physical education. Teachers desirous of becoming teacher educations in physical education institutions also need to go in for M.P. Ed. in addition to passing the qualifying examination NET/JRF as prescribed by the UGC/state governments. Accordingly, the M.P.Ed. caters to the professional education needs of physical education teachers at the senior secondary level as well as teacher educators in colleges of physical education and university departments of physical education.

In this document, the norms and standards for regular institutional programmes leading to post graduate degree (2 years) in physical education are presented. These norms shall apply to all institutions offering regular institutional programmes preparing teachers of physical education. They are applicable for recognition of institutions, permission of courses and additional intake of students.

attested 27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

241

The norms are stated under two categories (i) essential norms which are the minimum that all institutions should fulfil in order to be eligible for recgonition/permission of their institution/courses by NCTE and (ii) desirable norms which institution should strive to achieve in a reasonable period of time.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2.0 Human Resources

2.1 Teaching Staff

Teacher Student Ratio	
Essential	1:12
Desirable	1:10

Designation	Number Required		Educational Qualifications and Experience
	Essential	Desirable	
Head/Principal (Professor grade)	1	1	As per UGC/university/state government rules; PG degree in physical education; at least 5 years experience in recognised physical education institution.
Readers	2	3	As per UGC/University/state govt. rules; PG degree in physical education.
Lecturers	6	7 (One for each specialization)	Do.

2·2 Supporting Staff

Designation	Number Required		Educational Qualifications and experience
	Essential	Desirable	
Medical Officer	1 (Lecturer's grade)		M.B.B.S., preferably Diploma in Sports Medicine
Librarian	1		As per qualifications prescribed by the UGC/state government.
Technical Assistant	3	5	As per state govt./university rules.
Helpers	2	4	Do.

2·3 Administrative Staff

Designation	Essential	Desirable
P.A. to the Head/Principal	1	
Section Officer/Office superintendent	1	2
Assistant/Steno Typist/cashier	2	3
Storekeeper	1	2
Hostel Staff—Cook, Attendant, Sweeper, Chowkidar	—	1 each

3.0 Physical Infrastructure

Suitable and adequate institutional building (including academic wing, gymnasium, administrative wing, hostels and staff quarters) contributes to quality teacher training programmes in physical education. Academic wing, play grounds, some indoor sports facilities and administrative wing are essential components of the institutional building requirements. It is also desirable that the institute should have adequate facilities for other co-curricular activities.

3.1 Space and Buildings

Land Area and Location

The minimum space required for a physical education teacher education institution includes space for institutional building and playgrounds.

	Essential	Desirable
Land area	8 acres (5 acres for play filelds for 3 acres for building)	10 acres (6 acres for play field and 4 acres for building)

attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

242

The institution should be located in a noise-free area. It should be relatively pollution free. There should be satisfactory transporation and communication facilities and availability of water and electricity.

3·2 Academic Area

	Essential	Desirable
●Class Rooms	4 (50 sq. m.) (one room for every 50 students	5
●Multi-purpose Hall	1 (150 sq. m.)	1 (500 sq. m.)
●Health Education lab	1 (30 sq. m.)	50 sq. m.
●Educational-Technology lab.	1 (30 sq. m.)	Do.
●Physio-therapy lab.	1 (30 sq. m.)	Do.
●Sports Psychology lab.	1 (30 sq. m.)	Do.
●Bio-mechanics lab.	1 (30 sq. m.)	Do.
●Sports medicine lab.	1 (30 sq. m)	Do.
●Library	1 (50 sq. m.)	250 sq. m.

3·3 Administrative Area

Item	Floor area/number	
	Essential	Desirable
●Principal's Room	25 sq. m.	40 sq. m.
●Staff/common Room	30 sq. m.	50 sq. m.
●Separate Rooms		one for each teaccher 20 sq. m.
●Office Room(s)	40 sq. m.	70 sq. m.
●Store Rooms		
(a) Equipments	25 sq. m.	40 sq. m.
(b) Sports Goods	25 sq. m.	40 sq. m.
●Toilets	2 (Men) 2 (Women) 1 staff	4 (Men) 4 (Women) 2 staff

3.4 Library and Reading Room

A library cum-reading room with floor area: essential-150 sq. m. and desirable 250 sq. m. Reading room space for at least 30 students.

Essential : 1000 standard text/reference books and 5 national professional/journals.

Desirable : 2000 books and 15 professional journals. A minimum of 200 books to be added every year.

3.5 Students' Hostel

Desirable

Commensurate with the nature of the programme of Physical Education, it is desirable that 50% of the students and 100% within 5 years be provided with hostel accommodation. There should be separate hostels for women and men students.

3.6 Staff Quarters

Desirable

It is desirable that 50% of the staff initially and 100% within 5 years be provided staff quarters. Standard accommodation norms for each category of staff (both teaching and non-teaching) as prescribed by the state govt./university/central govt. should be followed. Principal/Head, wardens, employees and groundsmen and other essential staff should be accommedated on the campus.

3.7 Facilities for Indoor and Outdoor Sports and Physical Activities

3.7.1 Indoor Sports Facilities

A multipurpose indoor hall/gymnasium

Essential : Hall 30 × 20 m.

Desirable : Full size gymnasium

3.7.2 Facilities for Outdoor Sports and Physical Activities

Basically, at this stage the programme is of a higher academic standard and research oriented but even then adequate facilities for games and sports are highly desirable.

Physical activity programmes may be conducted during morning or late evening hours.

3.8 Equipment

3.8.1 Laboratories

Essential

attested 27/4/11

नायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

243

(i) Health Education Laboratory

Essential	Desirable
A lever weighing machine	Body composition Analyser
An anthropometer	Health-style testing unit
Desirable weight and height tables	Underwater weighing density and obesity

(ii) Educational Technology Laboratory

Essential	Desirable
Public address system	One cinematic projector
Slide projector	Movie-Camera
Tape-recorder set	
Overhead projector	
One epidiascope	
Display Boards (3)	
Video recorder (VCR)	

(iii) Physio-therapy Laboratory

Essential	Desirable
Diagnostic table	Ultrasound therapy unit
Infared lamp	Shortwave therapy unit
Sterlising unit	Wheel chair
First-aid box	A pair of crutches
Apparatus	Weighing machine
Stethoscope	Skinfold caliper
Goniometer	Electronic bicycle ergometer (for measuring uptake capacity)
Stopwatch	An operation table Teadmill
Oral Thermometer	
Ice box	
Vibrators-2	
—Exerciser (bicycle)	

(iv) Anatomy-Physiology Laboratory

Essential	Desirable
—Metronomes-1	—Calorimeter
—Models and charts of various body systems	—Kiynomograph
	—Treadmill
—Apparatus-2	—Egroneumo meter
—Stopwatches-5	—Electronic weighing machine
—Spirometers-2	—Skinfold caliper
—Electronic barometer	—Haemoglobin meters-5
—Weighing machine	—Lung functions tester (Microsprio)

294

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(v) Sports—Medicine Laboratory

Essential

Diagnostic table, Infared lamp, Sterlising unit, first-aid-box, B.P. apparatus, Stethoscope, Goniometer, Stopwatch, Oral thermometer, Ice-box, Vibrators-2, Exerciser (bicycle).

Desirable

Ultrasound therapy unit, Shortwave therapy unit, Wheel chair, A pair of crutches, Weighing machine, Skinfold caliper, Electronic bicycle ergometer (for measuring uptake capacity), An operation table.

(vi) Sports Psychology Laboratory

Psychological measurement and other tools

(vii) Bio-Mechanics Laboratory

Bio mechanics measurement and other tools

3.8.2 Sports

(i) Athletics

- Hurdles-20
- Starting clapper-1
- Measuring tapes (Steel)-4
- Wire for marking the track-1
- Stop-watches-6
- Starting-Block-6
- High Jump Stands (one pair & Six cross barbars)
- Vaulting box-1
- Discus-men & women-6 each
- Shot puts-6
- Hammers-6 (for men and women)
- Stop boards-2
- Circles-2
- Stands, for judges at the finish-2
- Flag Pole
- Javeline-men and women-6 in all including two aluminium
- Take off boards-2
- Mattresses-6

(ii) Games

- The basketball boards and rings (full set)
- Volleyball posts-2 sets
- Equipment for cricket, soft ball, throw ball, with balls at least a dozen
- Table tennis table-2
- Football goal posts with nets-1 pair
- Handball posts-1 pair
- Badminton posts-4
- Hockey goal posts with nets-1 pair
- Weight lifting set.

(iii) Sports Goods and others

- Lezium-50
- Volleyball-24
- Handballs-6
- Football-24
- Basketball-24
- Dumbles-50 pairs
- Indian clubs-50 pairs
- Beat board
- Equipment for marshal arts
- Parallel bars-1
- Parallel bars (uneven for Girls)-1
- Horizontal bars-1
- Roman rings-2
- Climbing Ropes-6
- Mats-Coir-1 dozen
- Weight lifting set/power lifting set/weight training set-1
- Balance beams (adjustable sets)-1
- Pommelled Horses-1
- Shuttle cocks-10 dozen
- Hockey sticks-24
- Badminton rackets-12
- Hand balls-6

3.8.3 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments should be provided.

3.8.4 Miscellaneous

Any other equipment required for minor games recreational games, relays and combatives.

4.0 Academic Inputs

4.1 Working Days

Essential

200 days (140 hours)

Desirable

220 days (1540 hours)

Each working day will be of seven Hours per day (4 hours for practicum and 3 hours for theory), in a 6 day week : proportionate hours in a five-dayweek.

4.2 Admission

4.2.1 Eligibility

Graduation in any subject with Physical Education as an elective subject or graduation in an subject having offered Physical Education at the

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

245

Senior Secondary Level with an aggregate of 45% marks (at senior secondary level).

or

Any graduate having represented state/inter-university participation

or

B.P. Ed : 50%

4.2.2 Selection Procedure

Essential

All students should be selected on the basis of merit. Merit shall be determined on the basis of performance at the qualifying examination and/or interview and/or an entrance test.

The weightage may be as follows:

(a) Theory Test	weightage	60%
(b) Sports Representation	weightage	40%
(i) International level		40 marks
(ii) National level	Ist position	30 marks
	IInd position	25 marks
	IIIrd position	20 marks
	Participation	15 marks
(iii) All India Inter-University	Ist position	20 marks
	IInd position	15 marks
	IIIrd position	10 marks
	Participation	8 marks
(iv) Inter-University National level	Ist position	10 marks
	IInd position	5 marks
	IIIrd position	3 marks
	Participation	2 marks

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

5.0 Financial Provisions

5.1 Endowment and Reserve Fund

The institution should be financially sound and viable. Government/local self government/university institutions should have an undertaking for provision of adequate finances from time to time. Private institutions should have an endowment fund of Rs 5 lakh and a reserve fund equal to minimum of three month's staff salaries.

5.2 Budgeting

The institution must adopt a proper budgeting, expenditure sanctioning, accounting and auditing procedure/systems. The annual audit should be done by a chartered accountant.

5.3 Cost

(i) Non-Recurring

There should be adequate investment in institutional building, play fields, library, laboratories, furnishing and fittings etc.

	Essential	Desirable
(a) Institutional Building and Play Fields	20 lakhs	50 lakhs
(b) Equipment and Books	2 lakhs	5 lakhs
(c) Furniture	2 lakhs	4 lakhs
(d) Student's Hostels	—	20 lakhs
(e) Staff Quarters	—	25 lakhs

attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

246

(ii) Recurring : Annual

	Essential	Desirable
(a) Salaries	(as per UGC/state/ central govt. norms)	
(b) Maintenance costs (Honorarium, Travel, Field Visits, Laboratories and Library, Purchase of soft-wares and General amenities etc.) Library books	2 lakhs	5 lakhs
(c) Replenishment of sports	Rs. 50,000/-	Rs. 25,000/-
(d) games and athletics equipment	Rs. 1,25,000/-	Rs. 1,50,000/-

*Note : Provision of Rs. 2 lakhs annually be made to add to the facilities and amenities under plan head.

5.4 Fees

The fee structure should be as prescribed by the state government/university from time to time. The guiding criteria for prescribing the annual tuition fee is that it should not exceed what is being spent per student annually under recurring expenditure. 10% of the students should be given freeship/scholarship on merit-cum-means basis.

6.0 More than one course in the same institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/ complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

C:/WPWIN60/WPDOCS/JULY-10/PT-GRU-CWPD

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली

247